सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हरियाणा सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हरियाणा सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
विहंगावलोकन	-	vii-xvi
भाग-कः पंचायती राज संस्थाएं		
अध्याय-1		
पंचायती राज संस्थाओं का प्रलेख		
प्रस्तावना	**1.1**	**1**
लेखापरीक्षा व्यवस्था	**1.2**	**1-3**
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	**1.3**	**3-5**
वित्तीय प्रलेख	**1.4**	**6-7**
लेखांकन व्यवस्था	**1.5**	**7-8**
लेखापरीक्षा व्याप्ति	**1.6**	**8**
बकाया निरीक्षण रिपोर्ट तथा अनुच्छेद	**1.7**	**8**
अध्याय-2		
पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम		
पंचायती राज संस्थाओं में परिसंपत्तियों का प्रबंधन	**2.1**	**9-21**
पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान जारी करना	**2.2**	**21-22**
ई-निविदा की बजाय कोटेशन के आधार पर खरीद	**2.3**	**22-23**
सेवा कर की वसूली न करना और भुगतान न करना	**2.4**	**23-24**
गृह कर के बकाया की वसूली न करना	**2.5**	**24-25**
अनुसूचित जाति की कम आबादी वाले गांवों में अनुसूचित जाति उप-योजना निधियों का उपयोग	**2.6**	**25-26**
आवासीय इकाइयों का पूरा न होना	**2.7**	**26-28**
निर्धारित सीमा से अधिक नकदी के प्रतिधारण के कारण सरपंचों से वसूलनीय ब्याज की वसूली न करना	**2.8**	**28-29**
पूर्व-सरपंचों से शेष राशि की वसूली न करना	**2.9**	**29-30**
भुगतानों में अनियमितताएं	**2.10**	**30-32**
जिला योजना स्कीम की निधियों का विपथन	**2.11**	**32**
अस्वीकार्य कार्यों पर व्यय	**2.12**	**33**
कार्यों का संदिग्ध निष्पादन	**2.13**	**33-34**
मजदूरी का भुगतान करने में देरी	**2.14**	**34-35**

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
भाग-खः शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय-3		
शहरी स्थानीय निकायों का प्रलेख		
प्रस्तावना	3.1	37
लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.2	37-38
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	3.3	38-40
वित्तीय प्रलेख	3.4	40-42
लेखांकन व्यवस्था	3.5	42-43
लेखापरीक्षा व्याप्ति	3.6	43
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद	3.7	43
अध्याय-4		
शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम		
नगर निगम, गुरूग्राम और पंचकुला की कार्यप्रणाली	4.1	45-62
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	4.2	63-69
शहरी स्थानीय निकायों में कार्यों का निष्पादन	4.3	69-82
विकास प्रभारों की वसूली न करना	4.4	82-83
बाहरी विकास प्रभारों/रूपांतरण प्रभारों की वसूली न होना	4.5	83-84
व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए फीस प्रभारित न किए जाने के कारण राजस्व की हानि	4.6	85
चैकों के अस्वीकृत होने के कारण राजस्व की वसूली न होना	4.7	85-86
वस्तु एवं सेवा कर से छूट का लाभ न लेना	4.8	86-87
ई-निविदा की प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई खरीद	4.9	87-88
कर्मचारी भविष्य निधि का विलंबित जमा/जमा न करना	4.10	88-89
स्वचालित गणक मशीनों के डिश-एंटीना पर इंस्टालेशन/लाईसेंस और प्रक्रिया फीस का उद्ग्रहण न करना	4.11	89-90
मस्टर रोल पर भुगतान में अनियमितताएं	4.12	90-91
स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए किस्त की दोहरी निर्मुक्ति	4.13	91-92
ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.14	92-93
नगरपालिका निधि का संदिग्ध गबन	4.15	93-94
निधियों का विपथन	4.16	94-95

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
I	राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति	1.3.2	97
II	राज्य में जिला परिषदों में कर्मचारियों (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति	1.3.2	98
III	**क:** 2017-18 के दौरान नमूना-जांच की गई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सूची	1.6	99-100
	ख: 2018-19 के दौरान नमूना-जांच की गई पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों की सूची	1.6	101-102
IV	'पंचायती राज संस्थाओं में परिसंपत्तियों के प्रबंधन' की लेखापरीक्षा के लिए चयनित ग्राम पंचायतों की सूची	2.1.1	103-104
V	कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर न देने के कारण राजस्व की हानि दर्शाने वाले विवरण	2.1.3.1	105-106
VI	प्रत्येक मामले में पट्टे पर दी गई 10 एकड़ से अधिक भूमि के विवरण	2.1.3.2	107
VII	ग्राम पंचायतों को वार्षिकी के असंवितरण दर्शाने वाले विवरण	2.1.3.6	108-109
VIII	भवन निर्माण सामग्री की खरीद पर भुगतान की गई अधिक राशि दर्शाने वाले विवरण	2.1.5.3.1	110
IX	भूतपूर्व सरपंचों/पंचों से वसूलनीय राशि दर्शाने वाले विवरण	2.1.6.1	111-112
X	नकदी के अनियमित अवधारण के कारण ब्याज की अवसूली दर्शाने वाले विवरण	2.1.6.2	113-114
XI	बकाया गृह-कर को दर्शाने वाले विवरण	2.5	115
XII	अनुसूचित जाति की कम आबादी वाले गांवों में अनुसूचित जाति उप-योजना निधियों के उपयोग की विवरणी	2.6	116-120
XIII	**क:** इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अपूर्ण आवास इकाइयों को दर्शाने वाली विवरणी	2.7	121
	ख: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपूर्ण आवास इकाइयों को दर्शाने वाली विवरणी	2.7	121
XIV	**क:** पट्टा राशि के देर से जमा करने के कारण ब्याज की वसूलनीय राशि दर्शाने वाली विवरणी	2.8	122
	ख: नकदी के अनियमित प्रतिधारण के कारण ब्याज की वसूलनीय राशि दर्शाने वाले विवरण	2.8	122-123

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
XV	प्रभार न सौंपने के कारण पूर्व-सरपंचों/पंचों से वसूल किए जाने वाली निधियों का विवरण	2.9	124
XVI	**क:** मस्टर रोल पर बिना नाम और बिना हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लिए, किए गए भुगतान को दर्शाने वाले विवरण	2.10	125
	ख: विभिन्न कार्यों पर मजदूरों के एक साथ रोजगार और किए गए भुगतान दर्शाने वाले विवरण	2.10	126
XVII	**क:** स्टील के उपयोग के कारण वसूली के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.3.4.2	127
	ख: हरियाणा की दरों की अनुसूची की तुलना में अधिक दरों के कारण अतिरिक्त भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.3.4.2	128
XVIII	विकास प्रभारों की वसूली न करने के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.4	129
XIX	अस्वीकृत चैकों और उनमें आवेष्टित राशि के नगर निगम-वार मामलों को दर्शाने वाला विवरण	4.7	130
XX	शुद्ध सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता को भुगतान किए गए वस्तु एवं सेवा कर के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.8	131-132
XXI	ई-निविदा प्रक्रिया के बजाय कोटेशन के आधार पर की गई खरीद को दर्शाने वाला विवरण	4.9	133-135
XXII	स्वचालित गणक मशीनों के डिश-एंटीना पर इंस्टालेशन और प्रक्रिया फीस की अवसूली के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.11	136
XXIII	मस्टर रोल पर अनियमितताएं दर्शाने वाले विवरण	4.12	137-138
XXIV	एकत्रित प्राप्तियों और कैशियर के पास वास्तविक जमा को दर्शाने वाली विवरणी	4.15	139

प्राक्कथन

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग के निबंधनों के अनुसार हरियाणा सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की संबंधित विभागों सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

2017-19 की अवधि हेतु नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामलों के साथ-साथ वे मामले भी, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे किंतु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे, जहां कहीं आवश्यक थे, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है और इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय 1 और 2 से समायुक्त भाग-क, पंचायती राज संस्थाओं तथा अध्याय 3 और 4 से समायुक्त भाग-ख, शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं।

पंचायती राज संस्थाओं का प्रलेख

मार्च 2019 को राज्य में 21 जिला परिषद, 126 पंचायत समितियां और 6,197 ग्राम पंचायतें थीं। पंचायती राज संस्थाओं का समग्र नियंत्रण विकास एवं पंचायत विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशकों के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के पास है। 73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया तथा इन संस्थाओं को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य करने हेतु समर्थ बनाने के लिए हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 तथा हरियाणा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान तथा निर्माण कार्य) नियम, 1996 बनाए। 10 जिला परिषदों, 68 पंचायत समितियों और 621 ग्राम पंचायतों के लेखाओं के अभिलेखों की नमूना-जांच वर्ष 2017-19 के दौरान की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

(अध्याय 1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा की विशिष्टताएं

'पंचायती राज में परिसंपत्तियों के प्रबंधन' की लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियों पर प्रकाश डाला:

- परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में परिसम्पत्तियों की उपलब्धता एवं उनके उचित उपयोग की स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- 18 ग्राम पंचायतों द्वारा कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर नहीं दिया गया जिससे ₹ 100.77 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।
- तालाबों के पट्टाधन की वसूली के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई।
- जिला परिषद, करनाल के भवनों और दुकानों को किराए पर नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.38 लाख के राजस्व की हानि हुई।
- खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा ₹ 4.21 करोड़ की वार्षिकी के लाभ ग्राम पंचायतों को नहीं दिए गए थे।
- दुकानों और भवनों के किराए की वसूली के प्रयासों में कमी थी क्योंकि पट्टाधारियों के विरूद्ध ₹ 76.48 लाख के किराए का भुगतान बकाया था।
- ₹ 84.84 लाख व्यय करने के बाद भी 12 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया।

- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कुशल नहीं था क्योंकि बड़ी संख्या में परियोजनाएं अपूर्ण रहीं और कुछ पूर्ण परियोजनाएं कार्यशील स्थिति में नहीं थी।
- 21 पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों ने जनवरी 2015 और मई 2019 के मध्य विभिन्न कार्यों के लिए उच्च दरों पर निर्माण सामग्री की खरीद की जिससे ₹ 7.74 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- 93 पूर्व सरपंचों/पंचों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों अर्थात सरपंचों या पंचों, सामाजिक शिक्षा पंचायत अधिकारी या ग्राम सचिव को ₹ 18.86 लाख की नकद शेष राशि नहीं सौंपी गई। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों ने निर्धारित सीमा से अधिक नकदी रखी।

(अनुच्छेद 2.1)

निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग ने 6,205 ग्राम पंचायतों को ₹ 76.15 करोड़ की राशि का निष्पादन अनुदान जारी किया (जनवरी 2017) यद्यपि इन ग्राम पंचायतों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.2)

पंचायत समिति, राई (सोनीपत) किरायेदारों से किराये की प्राप्तियों पर ₹ 7.06 लाख की राशि का सेवा कर एकत्र करने और उसे जमा करवाने में विफल रही।

(अनुच्छेद 2.4)

मुख्य योजना एवं विकास अधिकारी, हिसार और सिरसा ने दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 172 ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति उप-योजना घटक के अंतर्गत ₹ 12.71 करोड़ की राशि जारी की क्योंकि इन गांवों में अनुसूचित जाति की बहुलता नहीं थी या 40 प्रतिशत से अधिक नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.6)

16 खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों और दो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में 1,313 लाभार्थियों, जिन्होंने अपनी आवास इकाइयों का निर्माण पूरा नहीं किया था, को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ₹ 6.32 करोड़ की सहायता प्रदान की गई थी। चार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और एक खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में 3,996 लाभार्थियों, जिन्होंने अपनी आवास इकाइयों का निर्माण पूरा नहीं किया था, को प्रियदर्शिनी आवास योजना के अंतर्गत ₹ 20.69 करोड़ की सहायता प्रदान की गई थी।

(अनुच्छेद 2.7)

फतेहाबाद ब्लॉक के तीन ग्राम पंचायतों के पूर्व-सरपंचों/पंचों ने आठ से 172 दिनों की देरी के साथ पट्टा धन की प्राप्तियां जमा की थीं। इसके अतिरिक्त, आदमपुर, नारनौंद और उकलाना ब्लॉकों के ग्राम पंचायतों के पूर्व-सरपंचों/पंचों ने 28 से 123 दिनों की अवधि के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नकदी को अपने पास रखा। बरवाला खंड के अंतर्गत सरसोद ग्राम पंचायत के एक मामले में ₹ 2.46 लाख की राशि जून 2005 से रोकड़ शेष के रूप में दर्शाई गई थी।

(अनुच्छेद 2.8)

17 ब्लॉकों में 58 पूर्व सरपंचों और पंचों से ₹ 40.56 लाख की राशि वसूल किए बिना रही।

(अनुच्छेद 2.9)

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, हिसार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एक धार्मिक स्थान के लिए ₹ 2.88 लाख की लागत का एक ट्रैक्टर खरीदा।

(अनुच्छेद 2.12)

पंचायती राज संस्थाएं भाग पर सिफारिशें:

- ❖ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि परिसंपत्ति के दुरुपयोग से बचने और उनके प्रभावी उपयोग के लिए उचित परिसंपत्ति रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना चाहिए।
- ❖ ग्राम पंचायतों को राजस्व की हानि से बचने के लिए कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर देने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए और नीति के अनुसार पट्टे पर देना चाहिए ताकि सभी को उचित अवसर मिल सके।
- ❖ ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यदि तालाबों का पट्टाधन समय पर प्राप्त नहीं होता है तो पट्टा रद्द किया जा सकता है और जमानत राशि जब्त की जा सकती है।
- ❖ जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों से वार्षिकी राशि प्राप्त होने पर, प्रत्येक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को तुरंत ऐसी राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करनी चाहिए।
- ❖ भवन एवं दुकानों को नियमित रूप से पट्टे पर देना चाहिए तथा इन सम्पत्तियों के किराये में समय-समय पर संशोधन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बकाया किराया वसूल करने के लिए भी कड़े प्रयास किए जाने चाहिए।
- ❖ जिला कार्यक्रम समन्वयक को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।
- ❖ विभाग को लंबित ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यशील बनाने का प्रयास करना चाहिए।

- पंचायती राज संस्थाओं को जिला स्तरीय समिति द्वारा भवन निर्माण सामग्री की खरीद की निर्धारित दरों का पालन करना चाहिए।
- विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ग्राम पंचायतें नियमों का पालन करें तथा ब्याज की राशि वसूल करने का प्रयास करें।
- विभाग को 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में निर्धारित निष्पादन अनुदान जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- पंचायत समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किरायेदारों से सेवा कर लेकर उसे सेवा कर विभाग में जमा किया जाए।
- विभाग को अनुसूचित जाति के लोगों के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग अनुसूचित जाति समुदाय को लाभ पहुंचाने के दिशा-निर्देशों के अनुसार करना चाहिए।
- खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इंदिरा आवास योजना के लिए सहायता दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जानी चाहिए।
- खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को यथाशीघ्र प्राप्ति जमा करने का प्रयास करना चाहिए और उक्त प्राप्ति को जमा करने में देरी की अवधि के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज की वसूली करनी चाहिए।
- विभाग को पूर्व सरपंचों/पंचों से बकाया राशि वसूल करने के लिए कड़े प्रयास करने चाहिए।
- विभाग को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सामग्री की खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए।

शहरी स्थानीय निकायों का प्रलेख

31 मार्च 2019 को राज्य में 10 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 58 नगरपालिकाएं थीं। शहरी स्थानीय निकाय का समग्र नियंत्रण निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास है। 74वें संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय निकाय को 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया। 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु शहरी स्थानीय निकाय को शक्तियों और जिम्मदारियों के हस्तांतरण के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 बनाया और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया। 30 शहरी स्थानीय निकाय (10 नगर निगमों, 12 नगर परिषदों और आठ नगरपालिकाओं) तथा निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय के अभिलेखों की वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान नमूना-जांच की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे वर्णित हैं:

(अध्याय 3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की विशिष्टताएं

गुरूग्राम और पंचकुला के नगर निगमों का प्रतिस्थापन आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजना बनाने और जलापूर्ति, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, शहरी आयोजना, भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं आदि की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। गुरूग्राम और पंचकुला के नगर निगमों का वित्तीय प्रबंधन मजबूत नहीं था जैसे कि ₹ 342.91 करोड़ के बकाया अग्रिमों का समायोजन न करना, वस्तु एवं सेवा कर से छूट का लाभ न उठाना, समन्वय का अभाव और भूमि के अतिक्रमण के कारण राजस्व की हानि के मामले थे। करों/किरायों की अवसूली, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए फीस के कम प्रभारण और मोबाइल/संचार टॉवरों के अनधिकृत प्रस्थापन के कारण राजस्व की हानि के कई मामले थे। चैकों के अस्वीकृत होने के कारण निगम राजस्व की वसूली करने में विफल रहे, जबकि पर्याप्त धनराशि अव्ययित पड़ी थी।

(अनुच्छेद 4.1)

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत) जून 2015 में भारत सरकार द्वारा जलापूर्ति, सीवरेज, परिवारों को शहरी परिवहन जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करने और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरों में सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रारंभ किया गया था। ₹ 2,565 करोड़ के राज्य वार्षिक कार्य योजना के विरूद्ध ₹ 313.36 करोड़ केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्मुक्त किए गए थे। इसमें से ₹ 282.09 करोड़ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निर्मुक्त किए गए थे परंतु केवल तीन शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 60.05 करोड़ व्यय किए और ₹ 222.04 करोड़ की शेष राशि शहरी स्थानीय निकायों के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। इस प्रकार मिशन का कार्यान्वयन बहुत धीमा है क्योंकि मिशन अवधि (2015-20) के तीन वर्षों से अधिक बीतने के बावजूद ₹ 2,565 करोड़ के कुल राज्य वार्षिक कार्य योजना के विरूद्ध केवल 2.34 प्रतिशत व्यय किया गया। विभाग द्वारा ₹ 12.85 करोड़ की राशि परियोजना मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में परियोजना निधियों में से प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय पर खर्च कर दी गई। निधियों का प्रयोग न होने के कारण विभाग, भारत सरकार से मिशन निधियों की दूसरी एवं तीसरी किस्तों का दावा नहीं कर सका। आगे छः नगरपालिकाओं द्वारा जलापूर्ति परियोजनाओं को वरीयता नहीं दी गई जैसा कि मार्गनिर्देशों में प्रावधान था। ₹ 6.69 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम का अनियमित भुगतान अनुबंधकीय एजेंसी को किया गया। आगे ₹ 178.10 करोड़ का एक कार्य एकल निविदा पर लोक निर्माण विभाग संहिता के उल्लंघन में आवंटित किया गया। मिशन मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में अन्य विभागों से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य का आबंटन कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों का धीमा निष्पादन हुआ।

(अनुच्छेद 4.2)

'शहरी स्थानीय निकायों में कार्यों का निष्पादन' की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि वित्तीय प्रबंधन उपयुक्त नहीं था क्योंकि ₹ 2.46 करोड़ निधि के विपथन, अनुपयोगी अनुदानों के निवेश नहीं होने के कारण ₹ 1.07 करोड़ के ब्याज की हानि, ₹ 34.18 लाख की बिक्री कर/वस्तु एवं सेवा कर की गैर-कटौती, सिक्योरिटी जमा की कम कटौती तथा रेलवे के साथ समन्वय की कमी के कारण ₹ 6.81 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने के मामले थे। निर्माण कार्यों के अनियमित आबंटन, अयोग्य ठेकेदारों को कार्य का आबंटन, भूमि कार्य का अनियमित निष्पादन और ई-निविदा के बजाय कोटेशन के आधार पर कार्यों के निष्पादन के मामले थे। स्टील, मिट्टी भराई, गैर-अधिसूचित मदों पर प्रीमियम, बिटुमिनस कार्यों इत्यादि पर ₹ 1.24 करोड़ के अधिक भुगतान के मामले भी संज्ञान में आए। राष्ट्रीय भवन कोड में परिकल्पित अग्नि सुरक्षा उपायों का भी पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र पर्याप्त नहीं था क्योंकि नागरिक पर्यवेक्षी समितियों का गठन नहीं किया गया था, अवमानक कार्यों को निष्पादित किया गया था और कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त जल की गुणवत्ता का आश्वासन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 4.3)

सात नगर पालिकाओं (हेली मंडी, कलायत, कलानौर, चरखी दादरी, बहादुरगढ़, गोहाना और पलवल) ने नागरिक सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित 73 कॉलोनियों के भूस्वामियों से ₹ 15.63 करोड़ की राशि के विकास प्रभार वसूल नहीं किए।

(अनुच्छेद 4.4)

फरीदाबाद नगर निगम ने सात से 25 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद संपत्ति धारकों से बाह्य विकास प्रभारों की ₹ 11.18 करोड़ की शेष राशि की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं की।

(अनुच्छेद 4.5)

अंबाला और हिसार के नगर निगमों ने विभिन्न व्यापार/वाणिज्यिक गतिविधियां करने वाली 35,194 इकाइयों से ₹ 2.12 करोड़ की लाइसेंस फीस वसूल नहीं की।

(अनुच्छेद 4.6)

फरीदाबाद और गुरुग्राम के नगर निगमों ने आउटसोर्सिंग सेवाओं पर ₹ 2.23 करोड़ की राशि के वस्तु एवं सेवा कर की छूट का लाभ नहीं उठाया जिसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.8)

16 नगर पालिकाओं और निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, पंचकुला के कार्यालय ने कोडल प्रावधानों का पालन किए बिना ₹ 2.44 करोड़ की अनियमित खरीद की।

(अनुच्छेद 4.9)

नगर निगम, अंबाला और करनाल ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 13 लाभार्थियों को प्रोत्साहन की पहली किस्त दो बार जारी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 71,000 का दोहरा भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 4.13)

नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा एक विवादित स्थल की नीलामी के परिणामस्वरूप ₹ 61.52 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 4.14)

नगर निगम, सोनीपत द्वारा प्राप्तियों और जमाओं की जांच न करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.58 लाख का संदिग्ध गबन हुआ।

(अनुच्छेद 4.15)

तीन नगरपालिकाओं (अंबाला, चरखी दादरी और पेहोवा) ने विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई ₹ 107.30 लाख की राशि को कर्मचारियों के वेतनों, बकायों, भत्तों, मजदूरी, लेखापरीक्षा फीस, इत्यादि की ओर विपथन किया।

(अनुच्छेद 4.16)

शहरी स्थानीय निकाय भाग पर सिफारिशें:

4.1 नगर निगम, गुरूग्राम और पंचकुला की कार्यप्रणाली

- विभाग को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए।
- संबंधित नगर निगमों को प्रस्तावों को शुरू करने के लिए क्षेत्र सभाओं और वार्ड समितियों की स्थापना करनी चाहिए और योजनाओं/विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए।
- नगर निगमों को विकास कार्यों/आवर्ती व्यय तथा निधियों की उपलब्धता इत्यादि की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आधार पर बजट तैयार करना चाहिए।
- संबंधित नगर निगम अग्रिमों के समायोजन के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं।
- शुद्ध सेवाओं को किराए पर लेने/प्राप्त करने और ऐसी सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान करने से पहले सरकार की प्रासंगिक छूट अधिसूचना को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- नगर निगम को संग्रहण प्रभारों की कटौती के बाद निर्धारित समय के भीतर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पास श्रम उपकर जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- नगर निगम, गुरूग्राम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान वाउचर, वाउचर फ़ाइल के साथ संलग्न होने चाहिए।
- सरकार को अभीष्ट प्रयोजन हेतु निधियों के उपयोग के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए और साथ ही सरकार को अव्ययित निधियों की वापसी के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।
- अपशिष्ट प्रबंधन मशीनों को उचित योजना और उपयोगीकरण के साथ खरीदा जाना चाहिए ताकि मशीनों का उद्देश्य पूरा हो सके।
- संबंधित नगर निगमों को नगरपालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर, किराया, लाइसेंस फीस इत्यादि की वसूली के लिए प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।
- नगरपालिका अधिनियम, 1973 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में अग्निशमन प्रभारों की वसूली हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए।
- नगर निगम यह सुनिश्चित करे कि अनुबंध की राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुबंध के अनुसार जमा की जानी चाहिए।
- नगर निगम की भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए।
- नगर निगम, अधिनियम के अनुसार, बिना अनुमति के चल रहे अवैध विवाह भवनों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।
- संबंधित नगर निगमों को रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाना चाहिए ताकि नगर निगम के काम-काज को सुव्यवस्थित किया जा सके और दक्षता में वृद्धि की जा सके।

4.2 अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

- निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करे कि निधियां समय पर जारी की जाएं। इसके अतिरिक्त, संबंधित नगरपालिकाएं यह सुनिश्चित करें कि निधियों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य पर और समय पर संस्वीकृति के अनुसार किया जाना चाहिए।
- मिशन के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित प्राथमिकता नीति के अनुसार परियोजनाओं को लिया जाना चाहिए।

- विकास कार्यों को करते समय लोक निर्माण संहिता का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, परियोजना के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे कार्यों की विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना और अनुबंध समझौते के नियम और शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।

- संबंधित विभाग से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही कार्य आबंटित किया जाना चाहिए।

4.3 शहरी स्थानीय निकायों में कार्यों का निष्पादन

- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि नगरपालिकाएं आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करें।

- नगरपालिकाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इन्हें संस्वीकृत किया गया था।

- लोक निर्माण विभाग संहिता तथा मैनुअल में निर्धारित विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना और अनुबंध समझौते के नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्यों को निष्पादित किया जाना चाहिए। न्यूनतम बोली लगाने वाले को अंतिम रूप देने से पहले सभी बोलीदाताओं की पात्रता सत्यापित की जानी चाहिए।

- राष्ट्रीय भवन संहिता में परिकल्पित अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।

- राज्य सरकार नागरिक पर्यवेक्षी समिति की देखरेख में कार्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

- नगरपालिकाएं निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता की जांच करना सुनिश्चित करें।

❖ शहरी स्थानीय निकायों को विकास प्रभारों के निर्धारण एवं संग्रहण के लिए समय पर उचित एवं प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

❖ बाह्य विकास प्रभारों/रूपांतरण प्रभारों की बकाया राशि का आकलन किया जाना चाहिए और बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया को ब्याज की देय राशि के साथ शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए नोटिस समयबद्ध तरीके से जारी किया जाना चाहिए और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 130 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

- नगरपालिकाओं को बिना अनुमति के व्यापार/वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम देने वाली चूककर्ता इकाइयों/व्यक्तियों से व्यापार लाइसेंस फीस की वसूली के लिए लगातार कड़े कदम उठाने चाहिए।

- नगर निगम, फरीदाबाद और नगर निगम, गुरूग्राम को भविष्य में पात्र सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की अधिसूचना को ध्यान में रखना चाहिए।

- नगरपालिकाओं को राज्य सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए, जिसमें ई-निविदा के माध्यम से की जाने वाली सभी प्रकार की खरीद के लिए, खरीद आदेशों को विभाजित किए बिना, ₹ एक लाख की सीमा निर्धारित की गई है।

- नगरपालिकाओं को डुप्लीकेट आवेदनों को हटाने के लिए लाभार्थियों के आवेदनों को सही ढंग से सत्यापित/जांच करने के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि भविष्य में दोहरे भुगतान से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को किए गए अधिक भुगतान को बिना किसी देरी के वसूल किया जाना चाहिए।

- विभाग को संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित करने और किसी भी अदालती मामले से मुक्त होने के बाद ही संपत्ति को नीलामी के अंतर्गत रखना चाहिए।

- नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए और किसी भी गबन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए नगरपालिकाओं द्वारा प्राप्तियों और जमाओं की उचित जांच की जानी चाहिए।

- नगरपालिकाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए ये प्राप्त/संस्वीकृत की गई थी। इसके अलावा, मंजूरी आदेश में निर्धारित के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसी राशि के उपयोग के लिए, यदि कोई हो, सरकार का अनुमोदन मांगा जाना चाहिए।

भाग कः पंचायती राज संस्थाएं

भाग-कः पंचायती राज संस्थाएं

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं का प्रलेख

1.1 प्रस्तावना

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और समरूप ढांचे, नियमित चुनावों तथा वित्त आयोगों के माध्यम से निधियों के नियमित प्रवाह की प्रणाली स्थापित की। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राज्यों द्वारा इन निकायों को ऐसी शक्तियां, कार्य और दायित्व सौंपने अपेक्षित थे ताकि ये स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ हों। विशेष रूप से, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित योजनाओं सहित आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं तैयार करना और योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित था।

राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया और हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 और हरियाणा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, लेखापरीक्षा, कराधान और निर्माण कार्य) नियम, 1996 तैयार किए ताकि ये संस्थाएं सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में कार्य करने में समर्थ हो सकें। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित लेखांकन ढांचा राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया है तथा वार्षिक लेखे (प्राप्तियां और व्यय) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तदनुसार अनुरक्षित किए जाने हैं।

1.2 लेखापरीक्षा व्यवस्था

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग, हरियाणा एक सांविधिक लेखापरीक्षक है तथा पंचायती राज संस्थाओं की इकाइयों की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा करने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को जारी किए जाते हैं।

ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई कि पंचायती राज संस्थाओं की सभी तीनों श्रेणियों/स्तरों के लेखाओं के उचित रखरखाव तथा उनकी लेखापरीक्षा पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा जाना चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने आगे सिफारिश की कि राज्य विधान सभा के सम्मुख नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था

सरकार द्वारा की जानी चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की नमूना-लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंप दी (अगस्त 2008)। राज्य सरकार ने आगे अधिसूचित किया (दिसंबर 2011) कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किए जाएंगे। चौदहवें वित्त आयोग ने भी सिफारिश की कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्थाएं जारी रखी जानी चाहिए तथा लेखाओं का संकलन और समय पर उनकी लेखापरीक्षा करवाने के लिए स्थानीय निकायों को सुविधा प्रदान करने हेतु राज्यों को कार्रवाई करनी चाहिए।

राज्य सरकार ने 2009 से 2017 तक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के समक्ष अंतिम प्रस्तुति (2016-17 का प्रतिवेदन) के साथ 10 सितंबर 2018 को प्रस्तुत करके तत्रैव अधिसूचना की शर्तों का पालन किया है। स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग का वर्ष 2015-16 का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष 27 फरवरी 2019 को प्रस्तुत किया गया था। वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं पर एक पृथक समिति का गठन भी किया गया था (मई 2014) और 2016-17 तक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन पर विधानसभा में चर्चा हुई है। तथापि, समिति में चर्चा के लिए 10[1] अनुच्छेद लंबित थे।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, पंचायती राज संस्थाओं में सार्वजनिक वित्त प्रबंध तथा उत्तरदायिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं के प्राथमिक बाह्य लेखापरीक्षक अर्थात् स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (सांविधिक लेखापरीक्षक) को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के मापदण्ड, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2020 की धारा 120 से 122 में दिए गए हैं।

स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के कार्य के अनुसरण में इस कार्यालय ने फरवरी 2018, अगस्त 2018 और फरवरी 2019 में स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए क्रमशः "पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखाओं का प्रमाणीकरण एवं वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक लेखापरीक्षा", 'ई-ऑडिटिंग सिस्टम या पेपरलेस ऑडिटिंग तकनीक; संविदा, आउटसोर्सिंग और खरीद का लेखापरीक्षण'

[1] 2011-12: दो, 2014-15: एक, 2015-16: एक और 2016-17: छः।

एवं 'सरकारी विभाग/निगम/बोर्ड आदि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के उपाय और उसके बाद सार्वजनिक निजी भागीदारी की लेखापरीक्षा' पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

इससे पहले, सूचना प्रणाली में सुधार हेतु एक संरचनात्मक सूचना फॉर्मेट, जिसमें उद्देशिका, प्रमाणों के साथ मामले के तथ्य हों, का अनुसरण करके सही एवं उपयुक्त आदेशों/नियमों को उद्धृत करते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तैयार करके स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को सुझाव दिए गए थे (जनवरी 2018)। आगे, लेखापरीक्षा इकाइयों द्वारा पुराने बकाया पैरा के निपटान और अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाने के लिए सुझाव दिए गए थे (जनवरी 2019)।

जिला परिषद अंबाला, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, सिरसा, गुरुग्राम और पलवल; खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों[2]; कार्यकारी अभियंता पंचायती राज, गुरुग्राम; की लेखापरीक्षा पर निरीक्षण प्रतिवेदन मार्गदर्शन के लिए उदाहरण सहित नमूने के रूप में स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को भेजे गए थे (जनवरी-जून 2018 और जनवरी 2020)। तथापि, इस कार्यालय को स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा भेजे गए 168[3] लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पणियों से यह अवलोकित हुआ था कि इन सुझावों/मार्गदर्शनों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा

मार्च 2019 तक राज्य में 21 जिला परिषदें, 126 पंचायत समितियां और 6,197 ग्राम पंचायतें थीं। जिला परिषद् के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सभापति और ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए सदस्य होते है तथा क्रमशः जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के मुखिया होते हैं। जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग और पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा नीचे दर्शाया गया हैः

---

2 डबवाली, मुरथल, गोहाना, अंबाला-1, गन्नौर, बराड़ा, खोल, बड़ागुढ़ा, खरखौदा, बेरी, साल्हावास, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और फरुखनगर।

3 2017-18: 76 और 2018-19: 92

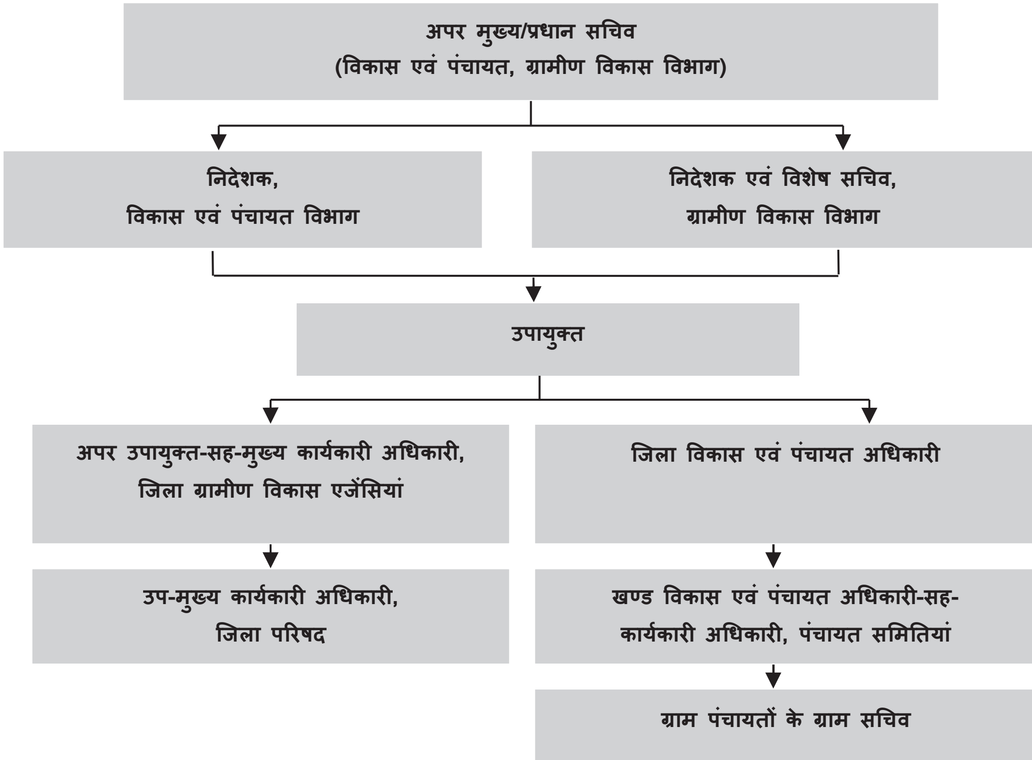

1.3.1 स्थाई समितियां

पंचायती राज संस्थाओं ने सौंपे गए कार्यों को करने के लिए स्थाई समितियां गठित कीं। पंचायती राज संस्थाओं की स्थाई समितियों के ब्यौरे **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: स्थाई समितियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थाई समिति का मुखिया	स्थाई समितियों के नाम	स्थाई समिति की भूमिका तथा उत्तरदायित्व
पंचायत समिति	सभापति	सामान्य स्थाई समिति	स्थापना मामलों, संचार, भवन, ग्रामीण आवास, ग्राम विस्तार तथा राहत विषयों को देखती है।
		वित्त, लेखापरीक्षा और आयोजना समिति	पंचायत समिति के वित्त, बजट तैयार करना और सहकारिता, लघु बचत योजना तथा खंड की विकास योजना से संबंधित किसी अन्य कार्य को देखती हैं।
		सामाजिक न्याय समिति	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान तथा अन्य हितों को देखती है।
ग्राम पंचायत	सभापति	उत्पादन उप-समिति	कृषि उत्पादन, पशुपालन, ग्रामीण उद्योगों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को देखती है।
		सामाजिक न्याय उप-समिति	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ें वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा के प्रोत्साहन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, खेलों तथा अन्य हितों तथा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के प्रोत्साहन को देखती है।
		सुविधा उप-समिति	ग्राम पंचायत की उप-समितियों के शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण कार्यों तथा अन्य कार्यों को देखती है।

1.3.2 योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

पंचायती राज संस्थानों के पास तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्टाफ हैं। 31 मार्च 2020 को इन संस्थानों में 5,760 संस्वीकृत पदों में से 1,661 पद रिक्त पड़े थे ***(परिशिष्ट-I)***। संस्वीकृत पदों[4] के विरुद्ध रिक्त पद मुख्यतः जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी: 21 (48 प्रतिशत), खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी: 68 (48 प्रतिशत), ग्राम सचिव: 737 (33 प्रतिशत), लिपिक: 165 (40 प्रतिशत), पटवारी: 40 (31 प्रतिशत), कार्यकारी अभियंता: 13 (46 प्रतिशत), उप-मंडल अभियंता: 61 (41 प्रतिशत) संवर्गों में थे। जिला परिषदों में 269 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध 139 पद रिक्त थे ***(परिशिष्ट-II)***।

1.3.3 कार्यों की सुपुर्दगी

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई ताकि उन्हें वित्तीय रूप से समर्थ तथा स्वायत्त बनाया जा सके। राज्य ने संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 कार्यों में से 21 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे हैं जैसा कि **तालिका 1.2** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.2: पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कार्य
1.	कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है
2.	भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी तथा मृदा संरक्षण
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा जल विभाजक क्षेत्र का विकास
4.	पशुपालन, डेयरी तथा कुक्कुट-पालन
5.	सामाजिक वानिकी तथा फार्म वानिकी
6.	लघु वन उपज
7.	ग्रामीण आवासन
8.	पेय जल
9.	ईंधन एवं चारा
10.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
11.	शिक्षा, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों सहित
12.	पुस्तकालय
13.	बाजार तथा मेले
14.	स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरियों सहित
15.	परिवार कल्याण
16.	महिला एवं बाल विकास
17.	समाज कल्याण, दिव्यांगों तथा मानसिक रूप से विक्षिप्तों के कल्याण सहित
18.	कमजोर वर्गों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों का कल्याण
19.	सार्वजनिक संवितरण प्रणाली
20.	सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव
21.	बस क्यू शेल्टर[5]

4 संवर्ग में संस्वीकृत पद जिला विकास एवं पंचायत अधिकारीः 44, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारीः 140, ग्राम सचिवः 2,237, लिपिकः 416, पटवारीः 130, कार्यकारी अभियंताः 28, उपमंडल अभियंताः 148.

5 बस क्यू शेल्टर के कार्य को आंशिक रूप से 'सड़कों, पुलियों, पुलों, घाटों, जलमार्गों और संचार के अन्य साधनों' के अंतर्गत किया जाता है।

1.4 वित्तीय प्रलेख

1.4.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह

पंचायती राज संस्थाओं में निधि का स्रोत और अभिरक्षा

पंचायती राज संस्थाओं के संसाधन आधार में स्वयं का राजस्व, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार के अनुदान और केन्द्रीय सरकार के अनुदान शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केंद्रीय तथा राज्य अनुदान, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि पंचायती राज संस्थाओं की अपनी प्राप्तियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं/कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। मुख्य योजनाओं के लिए निधि प्रवाह प्रबंध **तालिका 1.3** में दिए गए हैं:

तालिका 1.3: प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में निधि प्रवाह प्रबंध

क्र.सं.	योजना	निधि प्रवाह प्रबंध
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	भारत सरकार तथा राज्य सरकार मनरेगा निधियों से संबंधित अपने हिस्से राज्य रोजगार गारंटी निधि नामक बैंक खाते में अंतरित करते हैं जिसे राज्य खातों से अलग रखा जाता है। राज्य रोजगार गारंटी निधि से निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों को जारी की जाती हैं।
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे इंदिरा आवास योजना से दिनांक 1 अप्रैल 2016 से पुनः संरचित किया गया है। इकाई सहायता की लागत भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में साझा की जानी है। न्यूनतम तीन किश्तें होंगी और घर का निर्माण स्वीकृति की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकार की निधियां राज्य के नोडल खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। निधि हस्तांतरण आदेश खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा अवाससॉफ्ट से तैयार किया जाता है, जिसे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा स्टेट नोडल बैंक को भेजा जाता है और निधियों को लाभार्थी के खाते में जमा किया जाता है।
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मजबूत संस्थानों के निर्माण जैसे स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और गरीबों के क्लस्टर स्तर के संघों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में कमी के लिए एक केंद्र प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम है और इन संस्थानों को वित्तीय सेवाओं और आजीविका सेवाओं की एक श्रृंखला का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है। यह 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य साझा आधार पर वित्त पोषित है। इस योजना के अंतर्गत चार पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि महिला किसान सशक्तीकरण योजना, स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। भारत सरकार और राज्य सरकार जिला स्तर पर आवंटित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय और सोसाइटी के रूप में शामिल) के एक अलग बैंक खाते में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निधियों के अपने संबंधित हिस्से को हस्तांतरित करते हैं।

क्र.सं.	योजना	निधि प्रवाह प्रबंध
4	स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)	इस योजना के अधीन व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में निधियों की हिस्सेदारी की जाती है। भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने पर, राज्य अपने हिस्से के साथ अनुदानों को जिला कार्यान्वयन एजेंसी (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी) को निर्मुक्त करती है। संबंधित ग्राम पंचायत आवश्यक विवरणों के साथ लाभग्राहियों के बारे में सूचना खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को उपलब्ध करवाती है जो लाभग्राहियों को सहायता निर्मुक्त करती है।

1.4.2 निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं की निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता के विवरण **तालिका 1.4** में दिए गए हैं।

तालिका 1.4: पंचायती राज संस्थाओं की निधियों के स्रोतों तथा उपयोगिता पर समयक्रम आंकड़े

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
स्वयं का राजस्व	411.54	411.54	282.06	282.06	277.85	277.85	400.02	400.02	520.38	520.38
केन्द्रीय वित्त आयोग अंतरण (केंद्रीय वित्त आयोग सुपुर्दगियां)	284.06	284.06	419.28	419.28	656.72	656.72	756.98	756.98	775.99	755.99
राज्य वित्त आयोग अंतरण (राज्य वित्त आयोग सुपुर्दगियां)	199.99	199.99	150.00	150.00	312.45	312.45	455.00	455.00	631.15	631.15
केंद्र तथा राज्य हिस्सा के लिए अनुदान (केंद्र तथा राज्य का हिस्सा)	508.03	421.69	363.15	271.68	557.54	482.08	336.75	300.15	814.51	636.57
राज्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार के अनुदान	340.15	340.15	389.10	389.10	638.40	636.10	821.95	797.88	582.60	582.60
कुल	**1,743.77**	**1,657.43**	**1,603.59**	**1,512.12**	**2,442.96**	**2,365.20**	**2,770.70**	**2,710.03**	**3,324.63**	**3,126.69**

स्रोतः निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा तथा निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा।

1.5 लेखांकन व्यवस्था

उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदों के लेखाओं के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होता है, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति लेखाकार की सहायता से पंचायत समितियों के लेखाओं का रख-रखाव करता है जबकि ग्राम सचिव/सचिव, ग्राम पंचायतों के लेखाओं का रख-रखाव करता है।

राज्य सरकार ने अप्रैल 2010 से मॉडल एकाउंटिंग स्ट्रक्चर 2009 को अपनाया है, जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि पंचायती राज संस्थाओं

के सभी स्तर अपने लेखाओं का रख-रखाव प्रियासॉफ्ट में कर रहे हैं, प्रियासॉफ्ट एक ऐसा साफ्टवेयर है जो कि मॉडल एकाऊंटिंग स्ट्रक्चर 2009 पर आधारित है।

1.6 लेखापरीक्षा व्याप्ति

21 में से 10[6] जिला परिषदों, 126 में से 68[7] पंचायत समितियों और 6,197 में से 621[8] ग्राम पंचायतों के लेखाओं के अभिलेखों की वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान नमूना-जांच की गई थी ***(परिशिष्ट-III)***। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर अध्याय-2 में चर्चा की गई है।

1.7 बकाया निरीक्षण रिपोर्ट तथा अनुच्छेद

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अभ्युक्तियों की अनुपालना करना तथा कमियों/चूकों का सुधार किया जाना तथा अभ्युक्तियों को समायोजित करने के लिए उनकी अनुपालना/उत्तर देना अपेक्षित है।

सितंबर 2019 को बकाया (फरवरी 2021 तक समायोजित) निरीक्षण रिपोर्ट तथा अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: पंचायती राज संस्थाओं की बकाया निरीक्षण रिपोर्टें

निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने का वर्ष	बकाया लेखपरीक्षा आपत्ति का आरंभिक शेष		जमा		कुल		समायोजित निरीक्षण रिपोर्टों/अनुच्छेदों की संख्या		सितंबर 2019 को बकाया निरीक्षण रिपोर्टों/अनुच्छेदों की संख्या	
	निरीक्षण रिपोर्टें	अनुच्छेद	निरीक्षण रिपोर्टें	अनुच्छेद	निरीक्षण रिपोर्टें	अनुच्छेद	निरीक्षण रिपोर्टें	अनुच्छेद	निरीक्षण रिपोर्टें	अनुच्छेद
2014-15	234	1,745	43	307	277	2,052	09	149	268	1,903
2015-16	268	1,903	46	271	314	2,174	51	890	263	1,284
2016-17	263	1,284	52	326	315	1,610	6	84	309	1,526
2017-18	309	1,526	61	432	370	1,958	2	90	368	1,868
2018-19	368	1,868	61	436	429	2,304	0	152	429	2,152
		कुल	263	1,772		कुल	68	1,365		

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बकाया अनुच्छेदों की संख्या 1,526 (मार्च 2017) से बढ़कर 2,152 (मार्च 2019) हो गई। लंबित अनुच्छेद उचित ध्यान तथा प्रभावी कार्रवाई की कमी के सूचक हैं जो जवाबदेही को कमजोर करते हैं।

[6] 2017-18: {(i) अंबाला, (ii) रेवाड़ी, (iii) सिरसा, (iv) भिवानी और (v) सोनीपत}, 2018-19: {(i) हिसार, (ii) फतेहाबाद, (iii) यमुनानगर, (iv) पंचकुला और (v) करनाल}।

[7] 2017-18: 35 और 2018-19: 33

[8] 2017-18: 316 और 2018-19: 305

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

विकास एवं पंचायत विभाग

2.1 पंचायती राज संस्थाओं में परिसंपत्तियों का प्रबंधन

2.1.1 प्रस्तावना

पंचायती राज संस्थाओं की प्रमुख परिसंपत्तियां, पंचायत क्षेत्रों के भीतर स्थित भूमि संपत्तियां हैं और जिनका स्वामित्व उनमें निहित है। पंजाब ग्राम सामूहिक भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 के अंतर्गत वह भूमि जो पंचायतों में निहित है या निहित मानी जाती है, जिसका पंचायतों द्वारा उन गावों के अधिवासियों के हित के लिए प्रयोग किया जाता है या उसका निपटान किया जाता है। पंचायती राज संस्थाएं इन संपत्तियों से आय सृजित करने के लिए सशक्त है। पंचायती राज संस्थाएं भूमि संपत्तियों, तालाबों, फेरी घाटों को पट्टे पर रखकर और पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्रों में स्थित दुकानों और अन्य भवनों आदि को किराए पर देकर आय सृजित करती है। इन भूमि संपत्तियों के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के पास अपनी निधियों या सरकार से प्राप्त निधियों से अधिगृहीत अथवा सृजित अन्य परिसंपत्तियां भी हैं।

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग सरकारी स्तर पर विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है। निदेशक, विकास एवं पंचायत विभागीय प्रमुख है और जिला स्तर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों और खंड स्तर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

पंचायती राज संस्थाओं की परिसंपत्तियों के सृजन, उपयोग और देखरेख का मूल्यांकन करने के लिए 2016-19 की अवधि के निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के साथ-साथ पांच[1] जिलों के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों, जिला परिषदों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज) के कार्यालयों के साथ चयनित 282 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की फरवरी-दिसंबर 2019 के दौरान नमूना-जांच की गई। नमूना-जांच किए गए ग्राम पंचायतों के विवरण ***परिशिष्ट-IV*** में दिए गए हैं। लेखापरीक्षा परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

2.1.2 परिसंपत्ति रजिस्टरों का गैर-रखरखाव

हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा अचल संपत्तियों के रजिस्टर को फार्म (xiii) और चल संपत्तियों के रजिस्टर को फार्म (xiv) में बनाया जाना अपेक्षित था।

[1] करनाल, कुरूक्षेत्र, झज्जर, गुरूग्राम तथा सिरसा।

नमूना-जांच की गई ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त रजिस्टर नहीं बनाए गए थे। परिसंपत्ति रजिस्टरों की अनुपस्थिति में, परिसंपत्तियों की उपलब्धता की स्थिति एवं उनके समुचित प्रयोग को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उनके गबन, गैर-अनुप्रयोग या दुष्प्रयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने चूक को स्वीकार किया (मार्च से नवंबर 2019) और आश्वासन दिया कि भविष्य में परिसंपत्ति रजिस्टरों का समुचित रख-रखाव किया जाएगा।

सिफारिश: खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि परिसंपत्ति के दुरुपयोग से बचने और उनके प्रभावी उपयोग के लिए उचित परिसंपत्ति रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना चाहिए।

2.1.3 ग्राम सामूहिक भूमि

पंजाब ग्राम सामूहिक भूमि (विनियम) अधिनियम, 1961 के अनुसार पंचायतें उनमें निहित शामलात[2] भूमि का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए कर सकती हैं।

2.1.3.1 भूमि को पट्टे पर न देने के कारण राजस्व की हानि

ग्राम पंचायतों द्वारा उस भूमि को राजस्व सृजित करने के लिए पट्टे पर दिया जाना अपेक्षित था, जिसका उपयोग ग्रामवासियों के सामूहिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा था। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि नमूना-जांच किए गए 32 खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों में से 18 ग्राम पंचायतों ने कृषि योग्य संपूर्ण भूमि को पट्टे पर नहीं दिया हुआ था, भूमि के कुछ हिस्सों को अलग-अलग अवधियों के लिए पट्टे पर नहीं दिया गया और कुछ गांवों में भूमि पांच वर्षों से पट्टे पर नहीं दी गई थी। इस कारण, ग्राम पंचायतें 2013-19 की अवधि के दौरान ₹ 100.77 करोड़ ***(परिशिष्ट-V)*** का राजस्व सृजित नहीं कर सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने बताया (सितंबर-दिसंबर 2019) कि मामले की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.3.2 10 एकड़ से अधिक भूमि एकल व्यक्तियों को अनियमित रूप से पट्टे पर दिया जाना

हरियाणा में यथा लागू पंजाब ग्राम सामूहिक भूमि नियमावली, 1964 का नियम 6 (2) निर्धारित करता है कि कृषि के लिए एक व्यक्ति को पट्टे पर दी जाने वाली शामलात भूमि का अधिकतम क्षेत्र किसी भी समय 10 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।

---

[2] शामलात: सभा क्षेत्र में स्थित सड़कों, गलियों, खेल के मैदानों, स्कूलों, पेयजल कुओं या तालाबों सहित ग्राम समुदाय के लाभ के लिए आरक्षित भूमि।

2016-19 के दौरान पांच खंडों में सात ग्राम पंचायतों ने 11 व्यक्तियों को प्रत्येक मामले में 10 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि पट्टे पर दी ***(परिशिष्ट-VI)***। यदि ग्राम पंचायतों द्वारा इन नियमों का अनुसरण किया जाता तो और व्यक्तियों को भूमि पट्टे पर दी जा सकती थी। यह पट्टाधारियों को अदेय लाभ प्रदान करने के समान है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने बताया (जुलाई-नवंबर 2019) कि भविष्य में इस संबंध में उचित ध्यान दिया जाएगा।

2.1.3.3 अनुसूचित जाति के सदस्यों को भूमि पट्टे पर न दिया जाना

हरियाणा में यथा लागू पंजाब ग्राम सामूहिक भूमि नियमावली, 1964 का नियम 6(1) (ए) निर्धारित करता है कि कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर देने के लिए प्रस्तावित भूमि में से 30 प्रतिशत भूमि नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि तीन ग्राम पंचायतों में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर दी गई परंतु तालिका 1 में दिए विवरणों के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के सदस्यों को पट्टे पर देने के लिए कोई भूमि आरक्षित नहीं की गई। फरूखनगर खंड के जानियावास गांव में, पट्टे के लिए 104.20 कनाल भूमि की उपलब्धता होने के बावजूद अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को केवल चार कनाल भूमि दी गई। यह कुल कृषि योग्य भूमि के निर्धारित 30 प्रतिशत से कम था।

तालिका 1: अनुसूचित जातियों के सदस्यों को भूमि पट्टे पर न देने को दर्शाने वाले विवरण

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	कृषि योग्य भूमि
बहादुरगढ़	मातन	2015-17	20 एकड़
गुरूग्राम	धरमपुर	2016-19	12 एकड़ 2 कनाल
सोहना	समारथला	2016-19	25 एकड़ 11 कनाल 4 मरला

अत: उपर्युक्त नियमों की अनुपालना न होने से, अनुसूचित जाति के सदस्य पट्टे पर पंचायत भूमि लेने के वांछित लाभों से वंचित रहे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने बताया (सितंबर से दिसंबर 2019) कि भविष्य में इस संबंध में उचित ध्यान रखा जाएगा।

सिफारिश: ग्राम पंचायतों को राजस्व की हानि से बचने के लिए कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर देने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए और नीति के अनुसार पट्टे पर देना चाहिए ताकि सभी को उचित अवसर मिल सके।

2.1.3.4 भूमि का प्रयोग न किया जाना

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति, घरौंडा के अंतर्गत ग्राम पंचायत, अलीपुर खालसा ने अपनी भूमि को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 33 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण के लिए पट्टे पर देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया (जून 2013)। वर्ष 2016-17 के लिए ग्राम पंचायत के पट्टा रजिस्टर में प्लाट संख्या 5

को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया दर्शाया गया था। आगे, इस भूमि का पट्टाधन भी ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा था क्योंकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से पट्टाधन की प्राप्ति का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट, घरौंडा को प्रस्तावित 33 के.वी. सब-स्टेशन की भूमि से अपशिष्ट की सफाई एवं औद्योगिक निपटान के लिए अनुरोध किया था (जुलाई 2018)। सब-स्टेशन का निर्माण शुरू नहीं किया गया था। अत: पंचायत भूमि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पास किसी पट्टाधन की प्राप्ति के बिना अनुपयुक्त पड़ी थी। यह देखा गया था कि ग्राम पंचायत द्वारा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से पट्टाधन वसूल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि मामले की जांच की जाएगी।

2.1.3.5 तालाबों का वसूलनीय पट्टाधन

ग्राम तालाबों को इस शर्त पर पट्टे पर दिया गया था कि पट्टाधारी आगामी वर्षों के लिए देय तिथि पर या उससे पहले वार्षिक पट्टाधन जमा करवाएंगे, जिसमें विफल रहने पर पट्टा अपने आप रद्द हो जाएगा और जमानत जब्त कर ली जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच किए गए पांच ग्राम पंचायतों के विरूद्ध ₹ 4.04 लाख राशि का पट्टाधन बकाया था जैसा कि नीचे विवरण दिए गए हैं:

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी	ग्राम पंचायत का नाम	पट्टा अवधि	वसूली की अवधि	वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
निसिंग	मोतिया	अक्तूबर 2010 - अक्तूबर 2020	अक्तूबर 2011 से फरवरी 2018	0.84
घरौंडा	उपली	नवंबर 2009 - नवंबर 2019	नवंबर 2016 से फरवरी 2019	0.77
नीलोखेड़ी	अबलिया गाजिर	अप्रैल 2012 - मार्च 2019	अप्रैल 2018 से मार्च 2019	0.63
बेरी	बागपुर	अगस्त 2017 - अगस्त 2025	अगस्त 2018 से अगस्त 2019	0.80
फरूखनगर	शेखपुर माजरी	मई 2015 से अप्रैल 2022	मई 2018 से अप्रैल 2019	1.00
कुल				**4.04**

ग्राम पंचायतों, उपली, शेखपुर माजरी और अबलिया गाजिर के मामले में पट्टाधारियों को नोटिस जारी किए गए थे (सितंबर 2018 और मई 2019) परंतु ग्राम पंचायतों, बागपुर और मोतिया के संबंध में नोटिस तक जारी नहीं किए गए। पट्टे के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, पट्टे को रद्द करना और जमानत धन को जब्त करना अपेक्षित था परंतु इन ग्राम पंचायतों ने पट्टा रद्द नहीं किया था। यदि ग्राम पंचायतें पट्टे को समय पर रद्द कर देती और तालाब पट्टे पर दे देती तो ग्राम पंचायतें ₹ 4.04 लाख का राजस्व अर्जित कर सकती थीं।

सिफारिश: ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यदि तालाबों का पट्टाधन समय पर प्राप्त नहीं होता है तो पट्टा रद्द किया जा सकता है और जमानत राशि जब्त की जा सकती है।

2.1.3.6 ग्राम पंचायतों को वार्षिकी राशि का वितरण न किया जाना

राज्य सरकार द्वारा उन ग्राम पंचायतों को वार्षिकी के तौर पर प्रतिवर्ष ₹ 10,000 प्रति एकड़ की राशि का भुगतान किया जाता है जिनकी भूमि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत 100 वर्ग गज के प्लाट देने के लिए की अधिगृहीत की गई थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि तीन जिलों में 14 खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने 2014-19 की अवधि के दौरान जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों से ₹ 552.25 लाख प्राप्त किए थे, परंतु इस राशि में से ग्राम पंचायतों को केवल ₹ 191.64 लाख वितरित किए गए। ₹ 360.61 लाख की शेष राशि ***(परिशिष्ट-VII)*** खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के पास अवितरित पड़ी थी (जनवरी से दिसंबर 2019)। न तो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों ने ग्राम पंचायतों को वार्षिकी की पूर्ण राशि वितरित की और न ही ग्राम पंचायतों ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों से वार्षिकी राशि प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए। वार्षिकी के संवितरित न होने के कारण, ग्राम पंचायतें सरकार द्वारा प्रदत्त मुआवजे के लाभ से वंचित रहीं।

इसी प्रकार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, करनाल ने ग्राम पंचायतों के उद्देश्य के लिए प्राप्त ₹ 84.38 लाख की वार्षिकी राशि को ₹ 24.33 लाख के ब्याज सहित बिना कोई कारण बताए मुख्य प्रशासक, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकारी को वापस कर दिया (जून 2018)। इससे संबंधित ग्राम पंचायतें सरकार द्वारा प्रदत्त वार्षिकी के लाभ से वंचित रहीं।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, करनाल ने बताया (जनवरी 2019) कि सरकार के निर्देशों पर राशि वापस की गई थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सरकार ने वार्षिकी राशि के अव्ययित शेष को वापस मांगा था। जबकि, उद्धृत मामलों में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, करनाल ने संबंधित ग्राम पंचायतों को आगे संवितरण के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को वार्षिकी राशि वितरित नहीं की थी जिसके कारण निधियां जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के पास अव्ययित पड़ी रही। अत:, वार्षिकी राशि के रिफंड के कारण, ग्राम पंचायतें सरकार द्वारा प्रदत्त वार्षिकी के लाभ से वंचित रहीं।

सिफारिश: जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों से वार्षिकी राशि प्राप्त होने पर, प्रत्येक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को तुरंत ऐसी राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करनी चाहिए।

2.1.4 भवन एवं दुकानें

हरियाणा पंचायती राज नियमावली 1995 के नियम 21 में निहित प्रावधानों के अनुसार, पंचायत समिति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या स्थान को पट्टे पर दे सकती है। इसी प्रकार, जिला परिषद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 144 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अचल संपत्ति को पट्टे पर दे सकती है। आगे, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 201 निर्धारित करती है कि कलेक्टर इस अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक मामलों में जुर्माने के अतिरिक्त किसी भी देय राशि को वसूल कर सकता है यदि यह भू-राजस्व के बकाया हों।

2.1.4.1 भवनों और दुकानों को पट्टे पर न देने के कारण राजस्व की हानि

जिला परिषद, करनाल ने अप्रैल 2013 से बेसमेंट हाल और दो दुकानों को पट्टे पर नहीं दिया था। कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज, करनाल का प्रतिमाह अनुमानित किराया बेसमेंट हाल के लिए ₹ 22,703 और प्रत्येक दुकान के लिए ₹ 5,701 था। जिला परिषद ने दुकानों और बेसमेंट हाल को किराए पर देने के लिए नीलामी के कोई प्रयास नहीं किए। यदि बेसमेंट हाल और दुकानों को किराए पर दिया जाता, तो जिला परिषद, करनाल अप्रैल 2013 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान किराए के तौर पर ₹ 23.87 लाख अर्जित कर लेती। इसी प्रकार, न्यायपुरी स्थित जिला परिषद, करनाल के एक भवन को अगस्त 2017 से किराए पर नहीं दिया गया था। इसके पहले यह ₹ 55,962 प्रतिमाह किराए पर दिया गया था। यदि इसे किराए पर देने के प्रयास किए जाते, तो जिला परिषद, करनाल सितंबर 2017 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान ₹ 9.51[3] लाख किराए के तौर पर अर्जित कर लेती। अत: जिला परिषद, करनाल को अपनी संपत्तियों को किराए पर न देने के कारण ₹ 33.38 लाख के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करनाल ने बताया (फरवरी 2019) कि संपत्तियों को पट्टे पर देने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी बताया गया कि संपत्तियों को पट्टे पर तब दे दिया जाएगा जब जिला परिषद को उचित किराया मिलेगा।

2.1.4.2 दुकानों/भवनों का बकाया किराया

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान एवं लोक निर्माण नियमावली 1996 का नियम 43 (2) निर्धारित करता है कि पर्याप्त कारणों के बिना पंचायत समिति या जिला परिषद को देय कोई भी राशि बकाया नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

नौ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और एक जिला परिषद की 165 दुकानों और पांच भवनों के किराएदारों और अधिवासियों के विरूद्ध किराए के तौर पर ₹ 76.48 लाख की राशि बकाया थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

---

[3] पहले ₹ 55,962 प्रति माह पर किराए पर दिया गया और अवधि जिसके लिए भवन खाली रहा (किराए पर नहीं दिया गया) = सितंबर 2017 से जनवरी 2019 (कुल 17 माह)।
कुल राशि जो भवन को किराए/पट्टे पर देकर अर्जित की जा सकती थी = ₹ 55,962 x 17 = ₹ 9,51,354

जिला	पंचायत समिति/जिला परिषद	दुकानों की संख्या	भवनों की संख्या	बकाया किराया (₹ लाख में)
करनाल	निसिंग	24	शून्य	23.05
	नीलोखेड़ी	22	शून्य	5.87
	इन्द्री	01	03	2.74
	करनाल	06	शून्य	0.50
	जिला परिषद करनाल	शून्य	02	5.44
झज्जर	बहादुरगढ़	20	शून्य	8.09
	मातनहेल	07	शून्य	4.38
गुरूग्राम	सोहना	25	शून्य	4.61
कुरूक्षेत्र	लाडवा	51	शून्य	16.76
सिरसा	सिरसा	09	शून्य	5.04
कुल		**165**	**05**	**76.48**

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पंचायती राज संस्थाओं ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के तौर पर किराया वसूल करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। लेखापरीक्षा (मार्च 2019 से दिसंबर 2019) के दौरान इंगित किए जाने पर संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि बकाया किराए की वसूली शीघ्र ही की जाएगी।

सिफारिश: भवन एवं दुकानों को नियमित रूप से पट्टे पर देना चाहिए तथा इन सम्पत्तियों के किराये में समय-समय पर संशोधन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बकाया किराया वसूल करने के लिए भी कड़े प्रयास किए जाने चाहिए।

2.1.5 अन्य परिसंपत्तियों का सृजन

2.1.5.1 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण ग्राम पंचायतों और खंड स्तरों पर मनरेगा के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभावी रूप तथा कुशलता से कार्यान्वयन के लिए मूलभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था।

खंड और पंचायत स्तर के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के मैनुअल के पैरा 1.7 में बताया गया है कि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों के भवन के निर्माण की गुणवत्ता और समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (उपायुक्त) की है।

चार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के अंतर्गत 12 गांवों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों के भवनों का निर्माण ₹ 84.84 लाख व्यय करने के बाद भी पूर्ण नहीं किया गया था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

जिला	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का नाम	ग्राम का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	संस्वीकृत राशि	व्यय
				(₹ लाख में)	
झज्जर	साल्हावास	बिठला, चंदौल और जैतपुर	2013-14 और 2016-17	50.49	11.29
	बहादुरगढ़	छुडानी और खरमाण	2012-13 और 2013-14	20.00	12.03
	मातनहेल	रेढ़वास, अम्डाल, शाहपुर, बिलोचपुरा, झांसवा, ससरोली और भिंडावास	2012-13 और 2013-14	77.13	55.53
सिरसा	डबवाली	मतदादू	2012-13	10.00	5.99
कुल				**157.62**	**84.84**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सहायक खंड कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा, साल्हावास, बहादुरगढ़ और मातनहेल ने बताया (अगस्त 2019 से सितंबर 2019) कि नव-निर्वाचित

सरपंचों द्वारा अधिक रूचि न लेने के कारण भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को पूर्ण नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा का विचार है कि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को पूर्ण करने के लिए संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

आगे, यह देखा गया कि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, बेरी के भवन का निर्माण ₹ 25 लाख की लागत पर 2010-11 के दौरान किया गया और प्रयोग में भी लाया गया। हालांकि, भवन फरवरी 2016 में एक आन्दोलन के कारण नष्ट हो गया था। इसे प्रयोग में लाने के लिए भवन की मरम्मत के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। इतनी लंबी अवधि के लिए भवन की मरम्मत न करवाने के कोई कारण अभिलेख में नहीं थे। अत: मरम्मत की आवश्यकता में भवन बिना प्रयोग के पड़ा था। उत्तर में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बेरी ने बताया (जुलाई 2019) कि आवश्यक मरम्मत के बाद भवन का प्रयोग किया जाएगा।

सिफारिश: जिला कार्यक्रम समन्वयक को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

2.1.5.2 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य स्वच्छता, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना है। राज्य सरकार के दिशानिर्देशों (नवंबर 2015) के अनुसार, कार्यकारी एजेंसी को निधियों की निर्मुक्ति से तीन से चार माह के भीतर ठोस एवं तरल अपशिष्ट परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना था। इसके अतिरिक्त, निधियां तीन से चार माह से अधिक अप्रयुक्त नहीं रहनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि परियोजना का कार्यान्वयन कुशल नहीं था जैसा कि नीचे चर्चित है:

(i) सरकार ने गुरूग्राम और झज्जर जिलों के लिए ₹ 19.17 करोड़ की अनुमानित लागत पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए 74 परियोजनाओं की स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं में से 20 परियोजनाएं पूर्ण की गई और 54 परियोजनाएं अपूर्ण रह गई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

कार्यकारी एजेंसी	संस्वीकृति का वर्ष	कुल परियोजनाएं	पूर्ण परियोजनाएं	अपूर्ण परियोजनाएं	अपूर्ण परियोजनाओं पर व्यय (₹ लाख में)
कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज), गुरूग्राम	2014-16	56	17	39	370.83
कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज), झज्जर	2014-15	18	3	15	82.31
कुल		**74**	**20**	**54**	**453.14**

इंगित किए जाने पर, कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज), गुरुग्राम ने बताया (अक्तूबर 2020) कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण परियोजनाएं अधूरी रह गई। इस प्रकार, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया ₹ 4.53 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(ii) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, करनाल ने 33 ठोस एवं तरल अपशिष्ट परियोजनाओं के निर्माण के लिए 33 ग्राम पंचायतों और कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज), करनाल को ₹ 2.53 करोड़ की निधियां जारी की (2016-17 और 2017-18) परंतु जनवरी 2019 तक इन परियोजनाओं का निर्माण अधूरा रहा।

(iii) ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत जुडोला (फरूखनगर खंड) में ₹ 29.99 लाख की लागत पर चार तालाबों और जोनियावास गांव (फरूखनगर खंड) में ₹ 33.38 लाख की लागत पर तीन तालाबों और एक शैड का कार्य क्रमश: 2016-17 और 2017-18 के दौरान कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज, गुरूग्राम द्वारा निष्पादित किया गया। संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ इन कार्यों के भौतिक निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि दोनों गांवों में उपर्युक्त परियोजनाएं अकार्यात्मक थी। दोनों मामलों में तरल अपशिष्ट परियोजना के अंतर्गत निर्मित तालाबों में गिरने की बजाय समीपवर्ती भूमि पर फैल रहा था। इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित शैड का उद्देश्य कचरे को निपटान के लिए छांटना था। यह अवलोकित किया गया कि शैड में कचरा एकत्र करने और छंटाई की कोई गतिविधि नहीं की जा रही थी जैसा कि नीचे चित्रों में दिखाया गया है:

फरुखनगर खंड के अंतर्गत जोनियावास गाँव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गैर-कार्यात्मक परियोजनाएं (शेड)

(iv) 2013-15 के दौरान ₹ 2.52 लाख की लागत पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पटौदी के अंतर्गत ग्राम पंचायत, भोकारका द्वारा निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक शैड का निर्माण किया गया था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ठोस अपशिष्ट एकत्रित करने, छंटाई और सुरक्षित निपटान के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे। पांच वर्षो के पश्चात भी शैड अप्रयुक्त पड़ा था और निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा था जिससे ₹ 2.52 लाख का व्यय निष्फल रहा।

पटौदी खंड के अंतर्गत ग्राम भोकारका में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गैर-कार्यात्मक परियोजनाएं (शेड)

सिफारिश: विभाग को लंबित ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यशील बनाने का प्रयास करना चाहिए।

2.1.5.3 निर्माण सामग्री की खरीद में अनियमितताएं

2.1.5.3.1 निर्माण सामग्री की अधिक दरों पर खरीद

विकास निर्माण कार्यों के निष्पादन संबंधी सरकार के दिसंबर 2012 में जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार, उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज) और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक शामिल थे, द्वारा खंडवार विभिन्न मदों की दरें निश्चित की जानी थी, जो तीन महीने तक वैध थीं। समिति द्वारा निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान द्वारा अनुमोदित दरों का यथासंभव अनुसरण किया जाना था। तत्पश्चात, यदि आवश्यक हो, तो दरों का संशोधन किया जाना था और दरों का संशोधन करते समय साथ वाले जिलों/खंडों की दरों को ध्यान में रखा जाना था।

नमूना-जांच की गई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 21 पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों ने जनवरी 2015 और मई 2019 के बीच विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्त अध्यक्षित समितियों द्वारा निश्चित की गई दरों से अधिक दरों पर निर्माण सामग्रियों की खरीद की गई। उच्च दरों पर निर्माण सामग्री की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 7.74 लाख का अधिक व्यय हुआ ***(परिशिष्ट-VIII)***। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नीलोखेड़ी ने बताया (जनवरी 2020) कि संबंधित फर्मों से ₹ 0.33 लाख की अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली गई थी और सरकारी खाते में जमा कर दी गई थी जबकि अन्य खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया (जुलाई 2019 से दिसंबर 2019) कि मामले की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सिफारिश: पंचायती राज संस्थाओं को जिला स्तरीय समिति द्वारा भवन निर्माण सामग्री की खरीद की निर्धारित दरों का पालन करना चाहिए।

2.1.5.3.2 निर्माण सामग्री की खरीद पर वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान

उपायुक्त, गुरूग्राम ने गांवों के विकास निर्माण कार्यों के लिए खरीदे जाने वाले स्टील, तैयार मिश्रित कंकरीट, पेवर ब्लाकों आदि की दरें वस्तु एवं सेवा कर सहित निर्धारित की (जुलाई 2017)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पांच ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों के संबंध में, आपूर्तिकर्ताओं ने निर्धारित दरें लागू की तथा बिलों में वस्तु एवं सेवा कर भी जोड़ दिया, जबकि उपायुक्त द्वारा निर्धारित दरें वस्तु एवं सेवा कर सहित थी। इसके

परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 2.62 लाख की राशि का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि नीचे विवरण दिए गए हैं:

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं ग्राम पंचायत का नाम	बिल नंबर एवं दिनांक/वाउचर	खरीदी गई मदों का नाम	प्रदत्त राशि	देय राशि	अधिक भुगतान
				(₹ लाख में)		
1	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पटौदी	545 दिनांक 13 जून 2019	स्टील	2.41	2.04	0.37
2	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सोहना (ग्राम पंचायत समरथला)	75 दिनांक 11 सितंबर 2018	तैयार मिश्रित कंकरीट	6.70	5.67	1.03
3	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सोहना (पंचायत समिति)	1153 दिनांक 20 जून 2019	स्टील	2.00	1.69	0.31
4	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सोहना (पंचायत समिति)	23 एवं 24 दिनांक 8 जनवरी 2018, 91 दिनांक 05 अक्तूबर 2018	तैयार मिश्रित कंकरीट	4.66	3.95	0.71
5	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सोहना (ग्राम पंचायत हरियाहेड़ा)	13 दिनांक 13 नवंबर 2017	पेवर ब्लॉक	2.47	2.27	0.20
	कुल					**2.62**

संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया (दिसंबर 2019) कि राशि संबंधित फर्मों से वसूल कर ली जाएगी।

2.1.5.3.3 बिलों के गलत योग के कारण अधिक भुगतान

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पटौदी के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोकारका ने मार्च-मई 2019 के दौरान सात[4] बिलों के द्वारा स्टोन मैटल, बजरी, रोड़ी, ईंटें, इंटरलॉकिंग ब्लाक आदि जैसी निर्माण सामग्री खरीदी। इन बिलों का योग ₹ 2.83 लाख बनता है परंतु आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 3.40 लाख का भुगतान किया गया। यह अवलोकन किया गया कि बिलों की राशि का योग गलत था जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 0.57 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया (दिसंबर 2019) कि जांच के बाद राशि की वसूली कर ली जाएगी।

2.1.6 तरल परिसंपत्तियां

2.1.6.1 पूर्व सरपंचों से नकदी की वसूली न करना

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (अधिनियम 1994) की धारा 18 (2) में प्रावधान है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत के चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन से 7 दिन पहले की अवधि के अंदर या सरपंच या पंच के निलंबन या हटाए जाने की स्थिति में रिकार्ड और संपत्ति की निगरानी के लिए अधिकृत व्यक्ति को रिकार्ड, रजिस्टर और अन्य संपत्ति सौंपने का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की

---

[4] बिल संख्या एवं दिनांक: (i) 183 दिनांक 16 मार्च 2019, (ii) 184 दिनांक 16 मार्च 2019, (iii) 378 दिनांक 01 मई 2019, (iv) 379 दिनांक 01 मई 2019, (v) 380 दिनांक 01 मई 2019, (vi) 381 दिनांक 01 मई 2019 तथा (vii) 382 दिनांक 01 मई 2019

धारा 18 (1) या 18 (2) जैसा भी मामला हो, के अधीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को रिकार्ड या संपत्ति सौंपने में विफल रहता है तो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ऐसा रिकार्ड और संपत्ति उस व्यक्ति से प्राप्त करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आवेदन देगा ताकि इसे अधिकृत व्यक्ति को सौंपा जा सके {धारा 18 (3)}।

नमूना-जांच किए गए ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 56 ग्राम पंचायतों के 93 पूर्व सरपंचों/पंचों द्वारा ₹ 18.86 लाख राशि के नकद शेष अधिकृत व्यक्ति अर्थात् सरपंचों या पंचों, सामाजिक शिक्षा पंचायत अधिकारी या ग्राम सचिव को नहीं सौंपे गए ***(परिशिष्ट-IX)***। ये मामले अप्रैल 2016 से पहले के हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधान के अनुसार राशि वसूल करने के लिए चूककर्ता पूर्व सरपंचों/पंचों के विरूद्ध उचित कार्रवाई नहीं की गई।

2.1.6.2 नकदी का जमा न या देरी से किए जाने के कारण वसूलनीय राशि

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और निर्माण कार्य नियमावली 1996 (नियम 1996) का नियम 11(3) निर्धारित करता है कि राशि, जो ₹ 25,000 से अधिक न हो, नकदी के तौर पर सरपंच की निगरानी में रखी जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि नकदी के तौर पर रखने पर सरपंच 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। आगे, नियम 16(2) निर्धारित करता है कि दिन की समाप्ति के समय कैशबुक पर हस्ताक्षर करते समय ग्राम सचिव को यह देखना चाहिए कि दिन के दौरान संग्रहित प्राप्तियां उसी दिन या आगामी कार्यदिवस की सुबह बैंक या राजकोष में जमा की जा रही हैं।

छः खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति के अंतर्गत 12 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अप्रैल 2016 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान निर्धारित राशि से ₹ 0.34 लाख से लेकर ₹ 6.57 लाख तक की नकदी सीमा से अधिक अपने पास रखी ***(परिशिष्ट-X)***। निर्धारित सीमा से अधिक नकदी रखने के कारण संबंधित खंडों के सरपंचों से ₹ आठ लाख की राशि ब्याज के तौर पर वसूलनीय थी। उत्तर में संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने बताया (मार्च से दिसंबर 2019) कि ब्याज की राशि नियमानुसार वसूल कर ली जाएगी।

सिफारिश: विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ग्राम पंचायतें नियमों का पालन करें तथा ब्याज की राशि वसूल करने का प्रयास करें।

2.1.7 निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा परिसंपत्तियों का प्रबंधन कुशल नहीं था क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा परिसंपत्ति रजिस्टर नहीं रखे गए थे, जिनके अभाव में पंचायती राज संस्थाओं के पास परिसंपत्तियों की उपलब्धता और उनका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। 18 ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि कृषि के लिए पट्टे पर नहीं दी गई, परिणामत: ₹ 100.77 करोड़ की राजस्व हानि हुई। तालाबों के पट्टाधन की वसूली के लिए पर्याप्त

कार्रवाई नहीं की गई। जिला परिषद, करनाल के भवनों और दुकानों को किराए पर नहीं दिया गया परिणामस्वरूप ₹ 33.38 लाख के राजस्व की हानि हुई। दुकानों और भवनों के किराए की वसूली के प्रयासों में कमी थी क्योंकि पट्टाधारियों के विरूद्ध ₹ 76.48 लाख के किराए का भुगतान बकाया था। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा ₹ 4.02 करोड़ की वार्षिकी राशि के लाभ ग्राम पंचायतों को नहीं दिए गए थे। ₹ 84.84 लाख व्यय करने के बाद भी 12 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कुशल नहीं था क्योंकि बड़ी संख्या में परियोजनाएं अपूर्ण रहीं और कुछ पूर्ण परियोजनाएं कार्यशील स्थिति में नहीं थी। पंचायती राज संस्थाओं ने उच्च दर पर निर्माण सामग्री खरीदी परिणामत: ₹ 7.74 लाख का अधिक व्यय हुआ। ₹ 18.86 लाख की राशि 93 पूर्व सरपंचों/पंचों से अवसूलित रही। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों ने निर्धारित सीमा से अधिक नकदी रखी।

इन बिंदुओं को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के पास भेजा गया (सितंबर 2020); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

2.2 पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान जारी करना

अक्तूबर 2015 में भारत सरकार द्वारा जारी चौदहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन की मात्रा सहित विस्तृत प्रक्रिया और परिचालन मानदंड निर्धारित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंध करता है कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रोत्साहन की मात्रा तय की जाएगी:

i. जिस वर्ष में ग्राम पंचायत निष्पादन अनुदान का दावा करना चाहती है, उसे किसी एक वर्ष के लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करना होगा लेकिन वे खाते वर्तमान वर्ष से दो वर्ष से पहले के नहीं होने चाहिए।

ii. ग्राम पंचायत को पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित खातों में दर्शाए गए राजस्व की तुलना में अपने राजस्व में वृद्धि दिखानी होगी।

निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के अभिलेख की संवीक्षा ने प्रकट किया कि भारत सरकार से प्राप्त (जनवरी 2017) ₹ 76.15 करोड़ की राशि का निष्पादन अनुदान 6,205 ग्राम पंचायतों को पात्रता शर्तों की पूर्ति अर्थात लेखापरीक्षित खातों का प्रस्तुतीकरण और ग्राम पंचायतों के अपने राजस्व में वृद्धि के बिना जारी किया गया था। इस प्रकार, चौदहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायतों को ₹ 76.15 करोड़ की राशि का निष्पादन अनुदान जारी किया गया था।

यह इंगित किए जाने पर निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (मई 2018) कि निष्पादन अनुदान के लिए ग्राम पंचायतों की पात्रता के संबंध में रिपोर्ट/सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों को जनसंख्या (90 प्रतिशत) और क्षेत्र (10 प्रतिशत) के आधार पर अनुदान जारी किया गया था। लेखापरीक्षा

ने पाया कि विभाग द्वारा अपनाए गए जनसंख्या और क्षेत्र के मानदंड का पालन बुनियादी अनुदान के वितरण के संबंध में पालन किया जाना था न कि निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए। ग्राम पंचायतों को जारी किया गया निष्पादन अनुदान दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था और इस प्रकार अनियमित था।

मामला टिप्पणी के लिए प्रधान सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार के पास भेजा गया था (जनवरी 2018), उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: विभाग को 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में निर्धारित निष्पादन अनुदान जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.3 ई-निविदा की बजाय कोटेशन के आधार पर खरीद

खरीद प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने और खरीद प्रणाली में कुशलता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया (जून 2015) कि माल एवं भंडार, निर्माण कार्यों और सरकारी विभागों की सेवाओं की सभी खरीद एक ही वेब पोर्टल का प्रयोग करके की जानी चाहिए और यह भी निर्देश दिए कि सभी विभाग जुलाई 2015 तक ई-निविदा प्रणाली का अनुसरण करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रत्येक मामले में (आदेश को विभाजित किए बिना) राज्य में भंडार/माल/निर्माण कार्य/सेवाओं की खरीद के संबंध में ई-निविदा के मूल्य की न्यूनतम सीमा ₹ एक लाख नियत कर दी (जून 2016)। मुख्य अभियंता, पंचायती राज ने पंचायती राज के सभी अधीक्षक अभियंताओं को निर्णय संप्रेषित कर दिया (जून 2016)।

2.3.1 ई-निविदा की बजाय कोटेशन के आधार पर खरीद

कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज, हिसार के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि जनवरी 2018 में 85 गांवों में गौरव पट्ट को तैयार करने के लिए काले ग्रेनाइट की खरीद पर ई-निविदा की बजाय कोटेशन आधार पर ₹ 20.96 लाख का व्यय किया गया था जो कि सरकार के उक्त निर्णय के उल्लंघन में था। इस प्रकार ₹ 20.96 लाख की खरीद ई-निविदा प्रणाली का अनुसरण किए बिना की गई और सरकार का खरीद प्रणाली में कुशलता एवं पारदर्शिता बढ़ाने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

यह इंगित किए जाने पर, कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज, हिसार ने बताया (जून 2018) कि कार्य प्रत्येक ग्राम पंचायत से संबंधित है और प्रत्येक गांव में एक गौरव पट्ट का निर्माण किया जाना था। यह भी बताया गया कि ये छोटे-छोटे कार्य विभागीय स्तर पर शुरू किए गए इसलिए एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोटेशन आधार पर खरीद सरकार के निर्णय के उल्लंघन में है, ₹ एक लाख से ऊपर की खरीद वेब पोर्टल का प्रयोग करके की जानी थी।

2.3.2 कार्य का अनियमित आबंटन

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उकलाना के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत बुड्डा खेड़ा ने सितंबर 2015 में "गांव के विभिन्न स्थानों पर डस्टबिन लगाने" के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। तत्पश्चात, कार्य निष्पादित किया गया और एजेंसी को ₹ 7.12 लाख का भुगतान कर दिया गया (अक्तूबर 2015)। अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि तीन कोटेशनों में से, पहली कोटेशन मई 2015 में प्राप्त की गई अर्थात ग्राम सभा में प्रस्ताव (सितंबर 2015) पारित करने से पहले और दूसरी कोटेशन ठेकेदार को भुगतान करने के बाद प्राप्त की गई (नवंबर 2015)। तीसरी कोटेशन मैसर्ज कृष्ण स्टील एंड वूडन इंडस्ट्रीज, जिन्होंने कार्य निष्पादित किया, से अक्तूबर 2015 में प्राप्त की गई। अत: कोटेशन पारदर्शी ढंग से प्राप्त नहीं की गई।

ग्राम पंचायत भेरी अकबरपुर ने 'गांव के सीमांकन' का कार्य निष्पादित किया और ठेकेदार को ₹ 5.17 लाख का भुगतान किया (20 अगस्त 2017)। अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कार्य के लिए कोटेशन 17 से 19 अगस्त 2017 तक प्राप्त की गई जबकि वास्तव में कार्य 25 जून 2017 से 10 अगस्त 2017 तक निष्पादित करवाया गया। यह दर्शाता है कि कोटेशन कार्य पूर्ण होने के बाद प्राप्त की गई जो अनियमित था।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उकलाना ने बताया (जून 2018) कि इन मामलों की जांच की जाएगी।

इन बिंदुओं को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के पास भेजा गया (जून 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: विभाग को कार्य आवंटन करते समय ₹ एक लाख की सीमा-रेखा के साथ ई-निविदा अपनानी चाहिए।

2.4 सेवा कर की वसूली न करना और भुगतान न करना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (105) (जेड.जेड.जेड.जेड.) के अनुसार, अचल संपत्ति को किराए पर देने के लिए 'कर योग्य सेवा' शब्द का अर्थ है, व्यापार या वाणिज्य को बढ़ाने के दौरान उपयोग के लिए अचल संपत्ति को किराए पर देने के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली सेवा। धारा 66-बी निगेटिव लिस्ट में निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य पर निर्धारित दरों पर सेवा कर का निर्धारण करती है।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति, राई (सोनीपत) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पंचायत समिति के भवनों, बूथों और भूखंडों को मासिक किराये के आधार पर किराए पर दिया गया था। पंचायत समिति किरायेदारों से सेवा कर एकत्र करने के बाद जनवरी 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए किराये की प्राप्तियों पर ₹ 7.06 लाख के सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। तथापि, पंचायत

समिति ने न तो किरायेदारों से सेवा कर एकत्र किया और न ही सेवा कर विभाग के पास कोई राशि जमा करवाई।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति, राई (सोनीपत) ने बताया (दिसंबर 2017) कि सेवा कर की देय राशि वसूल की जाएगी और भविष्य में अनुपालन के लिए तथ्य को नोट कर लिया गया था।

मामला प्रधान सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार के पास भेजा गया था (जनवरी 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: पंचायत समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किरायेदारों से सेवा कर लेकर उसे सेवा कर विभाग में जमा किया जाए।

2.5 गृह कर के बकाया की वसूली न करना

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और निर्माण कार्य नियमावली 1996 (नियम) के नियम 117(1) के अनुसार, एक ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर धारा 41 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ए) के अंतर्गत गृह कर ऐसी दरों पर लगाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करेगी जो उचित समझी जाए परंतु यह ₹ 30 प्रति वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, नियम 118 में प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद, ग्राम पंचायत चूककर्ताओं से देय राशि की एक सूची तैयार करेगी और प्रत्येक चूककर्ता का एक पृथक मामला कलेक्टर को अग्रेषित करेगी जो इसे अधिनियम की धारा 201 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल करेगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि, ग्राम पंचायत को सौंपी जाएगी।

10 जिलों के 22 खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2018-19 से पहले की अवधि से संबंधित ₹ 215.31 लाख राशि का गृह कर बकाया था ***(परिशिष्ट-XI)***। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि संबंधित ग्राम पंचायतों ने वर्तमान नियमों के अनुसार गृह कर की वसूली के लिए समुचित कार्रवाई नहीं की।

पांच खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों[5] ने बताया (अगस्त 2018 से मार्च 2019) कि बकाया गृह कर की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे और दस[6] खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2018 से जनवरी 2019) कि संबंधित ग्राम पंचायतों को बकाया गृह कर वसूल करने के लिए नोटिस/अनुदेश जारी किए जा रहे हैं। तीन[7] खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने बताया (अक्तूबर से दिसंबर 2018) कि राशि वसूल करने के बाद, लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा जबकि छः खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने बताया (अगस्त से सितंबर 2018) कि वसूली शीघ्र की जाएगी।

---

5 डबवाली, मुरथल, जाखल, रादौर और नीलोखेड़ी।

6 बाढरा (चरखी दादरी), शहजादपुर (अंबाला), साहा (अंबाला), रेवाड़ी, बावल (रेवाड़ी), टोहाना, भूना, फतेहाबाद, करनाल, और मोरनी।

7 बिलासपुर, छछरौली और मुस्तफाबाद।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग को टिप्पणी के लिए भेजा गया (जून 2017 से अगस्त 2018 और सितंबर 2018 से अप्रैल 2019 तक); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: विभाग को बकाया गृहकर की शीघ्र वसूली के लिए प्रयास करने चाहिए।

2.6 अनुसूचित जाति की कम आबादी वाले गांवों में अनुसूचित जाति उप-योजना निधियों का उपयोग

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति उप योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों में बताया गया है कि केवल उन योजनाओं को अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों या परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित करती हैं। क्षेत्र उन्मुख योजनाओं के मामले में, अनुसूचित जाति की आबादी की बहुलता वाली बस्तियों/गांवों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को अनुसूचित जाति उप योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डी-प्लान दिशानिर्देशों के पैरा 8.1 में यह भी बताया गया है कि अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत आबादी वाले गांवों को अनुसूचित जाति उप योजना घटक के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

मुख्य योजना एवं विकास अधिकारी, सिरसा तथा हिसार के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि 16 खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के अंतर्गत 172 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति की कम आबादी वाले क्षेत्र में अनुसूचित जाति उप योजना घटक के अधीन चौपालों के निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्ट्रीट लाइटों आदि 315 विकासात्मक कार्यों के निष्पादन पर ₹ 12.71 करोड़ की राशि खर्च की गई थी ***(परिशिष्ट-XII)***। चूंकि यह धनराशि क्षेत्र उन्मुख योजनाओं के लिए जारी की गई थी, बहुलता या 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाली ग्राम पंचायत के लिए इसे जारी न करना अनुसूचित जाति उप योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था।

इंगित किए जाने पर, योजना अधिकारी, हिसार ने बताया (सितंबर 2018) कि अनुसूचित जाति उप योजना का बजट अनुसूचित जाति आबादी के लिए आवंटित किया गया है, न कि अनुसूचित जाति की अधिक आबादी वाले गांवों के लिए। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था।

यह मामला टिप्पणियों के लिए सितंबर 2018 में प्रधान सचिव, योजना विभाग एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग के पास भेजा गया था (जून 2018)। अपर मुख्य सचिव ने उत्तर दिया (नवंबर 2020) कि निधियां योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार वितरित की गई हैं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि अनुसूचित जाति उप योजना क्षेत्र उन्मुख योजना के अंतर्गत उन गांवों में निधियां प्रदान की जानी थी, जहां अनुसूचित जाति आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है, जबकि लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत से कम थी।

सिफारिश: विभाग को अनुसूचित जाति के लोगों के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग अनुसूचित जाति समुदाय को लाभ पहुंचाने के दिशा-निर्देशों के अनुसार करना चाहिए।

2.7 आवासीय इकाइयों का पूरा न होना

(i) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास इकाइयों के निर्माण के लिए प्रत्येक लाभार्थी को तीन किस्तों में ₹ 70,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। लिंटेल स्तर तक निर्माण कार्य के सत्यापन के बाद, खंड विकास पंचायत अधिकारियों द्वारा दूसरी किस्त जारी की जानी थी। तीसरी किस्त तब दी जानी थी जब घर में सेनेटरी टॉयलेट का निर्माण किया गया हो और लाभार्थी ने घर में रहना शुरू कर दिया हो। किसी भी हाल में एक आवास इकाई के निर्माण कार्य का समापन पहली किस्त के अनुमोदन की तारीख से दो साल के भीतर होना चाहिए।

सोलह[8] खंड विकास पंचायत अधिकारियों और दो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि 1,313 लाभार्थियों, जिन्हें 2012-16 के दौरान पहली/दूसरी किस्त के रूप में ₹ 6.32 करोड़ की राशि ***(परिशिष्ट-XIII)*** जारी की गई थी, ने दूसरी/तीसरी किस्त जारी करने के लिए आवेदन नहीं किया था। दूसरी/तीसरी किस्तों का जारी न करना यह संकेत देता है कि पहली किस्त के जारी होने के दो से छः साल बीत जाने के बाद भी लाभार्थियों ने अपनी आवास इकाइयों का निर्माण पूरा नहीं किया है जो कि इन मामलों में योजना के उद्देश्य को विफल करता है।

इंगित किए जाने पर 12[9] खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने बताया (अगस्त 2018 से जनवरी 2019) कि लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जाएंगे और तीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (उकलाना, अग्रोहा और बरवाला) ने बताया (जून-सितंबर 2018) कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी जबकि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, आदमपुर ने बताया (जुलाई 2018) कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, खरखौदा के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि पहली किस्त के हिसाब से 25 लाभार्थियों को ₹ 6.25 लाख का दो बार भुगतान किया गया था (जनवरी 2016 और मार्च 2016), जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.25 लाख का दोहरा भुगतान हुआ। मामले में आगे मार्गदर्शन के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, खरखौदा द्वारा अपर उपायुक्त, सोनीपत को एक संदर्भ दिया गया (नवंबर 2016)। इसके बाद, भुगतान की दो साल से अधिक की अवधि के बावजूद राशि को वसूल करने या राशि को बाद की किस्तों में समायोजित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

---

[8] खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी - रेवाड़ी, बावल, जाटूसाना, खोल, उकलाना, अग्रोहा, आदमपुर, बरवाला, हांसी-I, छछरौली, मुस्तफाबाद, मोरनी, हांसी-II, रतिया, फतेहाबाद और भट्टू कलां, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी - अंबाला, सिरसा।

[9] खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी - रेवाड़ी, बावल, जाटूसाना, खोल, हांसी-I, छछरौली, मुस्तफाबाद, मोरनी, हांसी-II, रतिया, फतेहाबाद और भट्टू कलां।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को अप्रैल 2016 से लागू किया गया है इसमें सभी आवासहीन गृह-लाभार्थियों को तीन किश्तों में ₹ 1.20 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। पहली किस्त को स्वीकृति के समय जारी किया जाना था, दूसरी किस्त हेतु केवल नींव या कुर्सी स्तर तक और तीसरी किस्त हेतु खिड़की/लिंटेल/छत डालने तक माना जाना चाहिए। स्वीकृति की तारीख से 12 महीने के भीतर लाभार्थियों को आवास इकाई निर्माण को पूरा करना चाहिए।

तीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (फतेहाबाद, रतिया और भट्टू कलां) के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2014 से सितंबर 2018) से पता चला है कि 2016-18 के दौरान ₹ 146.10 लाख ***(परिशिष्ट-XIII)*** पहली/दूसरी किस्त के रूप में जारी किए गए थे लेकिन दूसरी/तीसरी किस्त जारी नहीं की गई थी। दूसरी/तीसरी किस्तों के जारी न होने से संकेत मिलता है कि योजना के उद्देश्य को विफल बनाते हुए पहली किस्त जारी होने के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद लाभार्थियों ने अपनी आवास इकाइयों का निर्माण पूरा नहीं किया है।

इंगित किए जाने पर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया (सितंबर-नवंबर 2018) कि लाभार्थियों को आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आश्रय प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने 2013-14 से इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर प्रियदर्शनी आवास योजना शुरू की, जहां प्रत्येक लाभार्थी को तीन किस्तों में ₹ 81,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी, स्वीकृति के समय ₹ 25,000, लिंटेल स्तर तक घर के निर्माण के बाद ₹ 35,000 और दरवाजे और खिड़कियां लगाने के बाद ₹ 21,000 दिए जाने चाहिए। लाभार्थियों को छः महीने के भीतर आवास इकाई को पूरा करना था जिसे विशेष परिस्थितियों में नौ महीने तक बढ़ाया जा सकता था। यदि आवास इकाई को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया, तो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को लाभार्थियों से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ अनुदान/वित्तीय सहायता की वसूली करनी थी। यदि संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि लाभार्थियों ने राशि का दुरूपयोग या गलत उपयोग किया था, तो वह दोषी लाभार्थियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करेंगे।

चार[10] जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, भट्टू कलां के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2013 से सितंबर 2018) में देखा गया कि 2013-14 में ₹ 2.19 करोड़ की पहली किस्त लेने के बाद 876[11] लाभार्थियों और 2013-14 से 2016-17 तक ₹ 18.50 करोड़ की पहली और दूसरी किस्त लेने के बाद 3,088[12] लाभार्थियों ने अपने घर को पूरा नहीं किया था और बाद में दूसरी/तीसरी किस्त के लिए भी आवेदन नहीं किया

---

[10] अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी और सिरसा।

[11] जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अंबाला: 280, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी सिरसा: 236, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी सोनीपत: 208 और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी रेवाड़ी: 152

[12] जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अंबाला: 1247, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी सिरसा: 684, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी सोनीपत: 673 और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी रेवाड़ी: 452, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भट्टू कलां: 32

था। दूसरी/तीसरी किस्तों को जारी न करना संकेत देता है कि योजना के उद्देश्य को विफल करते हुए पहली किस्त के जारी होने के पांच साल से अधिक समय बीतने के बावजूद लाभार्थियों ने अपनी आवास इकाइयों का निर्माण पूरा नहीं किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, आठ[13] खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने बताया (मई 2017-जनवरी 2018 और नवंबर 2018) कि दोषी लाभार्थियों को उनकी इकाइयों को पूरा करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। तीन[14] खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने बताया (जुलाई 2017-सितंबर 2017) कि संबंधित ग्राम सचिवों से स्थिति का पता लगाने के बाद दोषियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार, दोषियों के विरूद्ध समुचित निगरानी और उचित कार्रवाई की कमी थी।

इस मामले को प्रधान सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार के पास भेजा गया था (जनवरी 2018 से फरवरी 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इंदिरा आवास योजना के लिए सहायता दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जानी चाहिए।

2.8 निर्धारित सीमा से अधिक नकदी के प्रतिधारण के कारण सरपंचों से वसूलनीय ब्याज की वसूली न करना

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और निर्माण कार्य नियम, 1996 (नियम, 1996) के नियम 11(3) में यह प्रावधान है कि सरपंच के पास नकद स्वरूप ₹ 25,000 से अधिक की राशि नहीं रखनी चाहिए और वह निर्धारित सीमा से अधिक राशि रखने पर प्रति वर्ष 21 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, नियम 16(2) में वर्णित है कि कैश बुक पर हस्ताक्षर करते समय, ग्राम सचिव को यह देखना चाहिए कि प्राप्तियां, जिस दिन प्राप्त हों उसी दिन या अगले कार्य दिवस की सुबह को बैंक या कोषागार में जमा कर दी जाती हैं।

पांच खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2013 से नवंबर 2018) से पता चला है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद की विभिन्न ग्राम पंचायतों के पूर्व-सरपंचों/पंचों ने आठ से 172 दिनों की देरी के साथ पंचायती भूमि के पट्टे के बदले में संगृहीत प्राप्तियां जमा की थी।

इसके अतिरिक्त, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, आदमपुर, नारनौद और उकलाना की विभिन्न ग्राम पंचायत के पूर्व-सरपंचों/पंचों ने नियम, 1996 के उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में 28 से 123 दिनों की अवधि के लिए ₹ 25,000 की निर्धारित सीमा से अधिक की नकदी अपने पास रखी थी। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बरवाला के अंतर्गत ग्राम पंचायत,

---

[13] खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी खरखौदा (सोनीपत), ओढां (सिरसा), सिरसा, खोल (रेवाड़ी), साहा (अंबाला), शहजादपुर (अंबाला), और नारायणगढ़ (अंबाला), खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भट्टू कलां (फतेहाबाद)।

[14] खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बराड़ा (अंबाला), अंबाला-I और अंबाला-II

सरसोद के मामले में जून 2005 से ₹ 2.46 लाख की राशि कैश इन हैंड के रूप में प्रतिबिंबित हो रही थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्राप्तियों के जमा में देरी के लिए सरपंचों से वसूलनीय ₹ 14.53 लाख का ब्याज, उनसे वसूल नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट-XIV)***।

इंगित किए जाने पर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद और आदमपुर ने बताया (जुलाई-सितंबर 2018) कि ब्याज वसूल किया जाएगा, जबकि बरवाला और नारनौंद के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया (अगस्त-सितंबर 2018) कि ब्याज वसूलने के लिए कार्रवाई की जाएगी। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उकलाना ने बताया (जून 2018) कि मामले की जांच के बाद लेखापरीक्षा को अंतिम उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

इस मामले को प्रमुख सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के पास भेजा गया था (जुलाई-अक्तूबर 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को यथाशीघ्र प्राप्ति जमा करने का प्रयास करना चाहिए और उक्त प्राप्ति को जमा करने में देरी की अवधि के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज की वसूली करनी चाहिए।

2.9 पूर्व-सरपंचों से शेष राशि की वसूली न करना

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 (2) में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन से पहले या सरपंच या पंच को निलंबित करने या हटाने की घटना के सात दिनों के भीतर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी) अभिलेखों और संपत्ति की अभिरक्षा के लिए अधिकृत व्यक्ति को अभिलेख, रजिस्टर और अन्य संपत्ति सौंपने का आदेश दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को अभिलेख या संपत्ति सौंपने में विफल रहता है, तो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी उस व्यक्ति से ऐसे अभिलेख और संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करेगा ताकि उसे अधिकृत व्यक्ति को सौंप दिया जा सके {धारा 18 (3)}।

अधिनियम की धारा 53 में आगे यह प्रावधान है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ग्राम निधि के नुकसान, बर्बादी या दुरूपयोग के कारण संबंधित सरपंच या पंच से वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, जो कि सरपंच या पंच के रूप में कार्य करते समय सरपंच या पंच की उपेक्षा या कदाचार का परिणाम है।

17 खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 58 पूर्व-सरपंचों ***(परिशिष्ट-XV)*** द्वारा अधिकृत व्यक्ति यानी सरपंच या पंच को ₹ 27.69 लाख की नकद राशि नहीं सौंपी गई थी। यह राशि 1989-93 से 2014-15 तक की अवधि के लिए उनके पास पड़ी थी।

आगे, सिरसा जिले के ओढां खंड के ग्राम पंचायत जगमालवाली के पूर्व-सरपंच को विभागीय जांच में दोषी पाया गया (अगस्त 2015) और उपायुक्त, सिरसा द्वारा सरपंच से ₹ 12.87 लाख वसूलने के आदेश दिए गए। हालांकि, अभी तक उनसे राशि वसूल नहीं की गई थी (फरवरी 2021)।

राशि की वसूली के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार पूर्व-सरपंचों/पंचों के विरूद्ध उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, पूर्व-सरपंचों से ₹ 40.56 लाख की राशि वसूल नहीं हो सकी।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी हिसार-I, हिसार-II, जगाधरी और मुस्तफाबाद ने बताया (अगस्त-दिसंबर 2018) कि पूर्व-सरपंचों से राशि वसूली जाएगी जबकि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी टोहाना, रतिया और फतेहाबाद ने बताया (सितंबर 2018) कि वसूली के लिए पूर्व सरपंचों को नोटिस जारी किया जाएगा। संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का उत्तर इंगित करता है कि नकद शेष की वसूली के लिए अब तक उचित कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस मामले को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के पास टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तथा अगस्त 2018 से जनवरी 2019); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: विभाग को पूर्व सरपंचों/पंचों से बकाया राशि वसूल करने के लिए कड़े प्रयास करने चाहिए।

2.10 भुगतानों में अनियमितताएं

(क) (i) बेबाकी प्राप्त किए बिना भुगतान

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और निर्माण कार्य नियम, 1996 के नियम 136 (1) में यह प्रावधान है कि यदि दैनिक मजदूर द्वारा काम किया जाता है, तो काम का प्रभारी व्यक्ति एक मस्टर रोल रखेगा और मस्टर रोल पर प्राप्तकर्ता से भुगतान राशि की पावती प्राप्त की जाएगी।

खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, अग्रोहा, हिसार-I, भूना और कार्यकारी अभियंता पंचायती राज, फतेहाबाद के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2014 से अगस्त 2018) में देखा गया कि मस्टर रोल पर 141 मजदूर दर्ज थे और फरवरी 2016 से जनवरी 2018 के दौरान उन्हें ₹ 9.31 लाख ***(परिशिष्ट-XVI)*** का भुगतान किया गया था। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी हिसार-I और भूना के कार्यालय में, मजदूरों के नाम मस्टर रोल पर दर्ज नहीं किए गए, जिनमें ₹ 5.08 लाख का भुगतान शामिल है। भुगतान किए जाने के समर्थन में मजदूरों से उनके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान नहीं लिए गए थे। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, अग्रोहा और कार्यकारी अभियंता पंचायती राज, फतेहाबाद के कार्यालय में ₹ 4.23 लाख के भुगतान के संबंध में, मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान नहीं पाए गए। मजदूरों के नाम और मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के बिना भुगतान करना धन के दुरूपयोग के जोखिम से भरा हुआ है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज, फतेहाबाद ने बताया (जुलाई 2018 से सितंबर 2018) कि मामले की जांच की जाएगी।

(ii) संदिग्ध भुगतान

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी उकलाना, हिसार-I, हिसार-II और मुख्य योजना एवं विकास अधिकारी, करनाल के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2014 से जनवरी 2019) में पाया गया है कि जून 2014 से अक्तूबर 2017 के दौरान मस्टर रोल पर 15 विकासात्मक कार्यों के लिए 61 मजदूरों को ₹ 1.81 लाख का भुगतान किया गया था ***(परिशिष्ट-XVI)***। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि इन 61 मजदूरों को एक ही अवधि के दौरान एक साथ अलग-अलग कामों में लगाया गया था। चूंकि अलग-अलग काम में एक ही व्यक्ति का एक साथ काम करना संभव नहीं है, अत: मस्टर रोलों पर किए गए भुगतानों का धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के संदिग्ध मामलों के अंतर्गत आने का जोखिम है।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी उकलाना, हिसार-I, हिसार-II, और मुख्य योजना एवं विकास अधिकारी करनाल ने बताया (जून 2018 से फरवरी 2019) कि जांच के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा/वसूली की जाएगी।

(ख) खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बड़ागुढ़ा, नाथुश्री चोपटा, गोहाना, मुंडलाना और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, सोनीपत के अंतर्गत पंचायतों ने सितंबर 2013 और मई 2017 के मध्य मामूली कार्यों के विभागीय रूप से निष्पादन के लिए मस्टर रोल पर मजदूरों को काम पर लगाया। मस्टर रोलों (अप्रैल 2017 से दिसंबर 2017) की संवीक्षा ने गंभीर अनियमितताएं प्रकट कीं जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बड़ागुढ़ा की छत्रियां पंचायत और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, सोनीपत में ₹ 2.03 लाख के भुगतान में शामिल 28 मजदूरों के नाम मस्टर रोलों में दर्ज नहीं पाए गए थे। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बड़ागुढ़ा, गोहाना, मुंडलाना के अंतर्गत तीन पंचायतों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, सोनीपत में ₹ 5.39 लाख के भुगतान में शामिल 108 मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान मस्टर रोलों पर चिह्नित नहीं पाए गए थे। मजदूरों के नाम और मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के बिना और सत्यापन के बिना भुगतान निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम से भरा है।

(ii) 01 सितंबर 2013 से 18 सितंबर 2013 की अवधि के दौरान 10 व्यक्तियों को मस्टर रोलों पर दो स्थानों अर्थात "इंटरलॉकिंग पेवरब्लॉक सहित सड़क का निर्माण, बिचपड़ी, मुंडलाना" और "पंचायत सदन, मुंडलाना की चारदीवारी का निर्माण" पर समान रूप से काम में लगाया हुआ दर्शाया गया था और प्रत्येक मस्टर रोल पर इन व्यक्तियों को इस अवधि के लिए ₹ 42,430 का भुगतान किया गया था। चूँकि अलग-अलग काम में एक ही व्यक्ति का काम करना संभव नहीं है, इसलिए किसी

एक मस्टर रोल पर ₹ 42,430 की राशि का भुगतान में दुर्विनियोजन का जोखिम था।

(iii) खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नाथुश्री चोपटा के अंतर्गत जसनिया पंचायत में 32 मजदूरों की मजदूरी के ₹ 1.50 लाख की राशि के भुगतान सरपंच द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे। सरपंच के सत्यापन के बिना भुगतान करना अनियमित था।

मस्टर रोलों पर भुगतान में अनियमितताएं गंभीर प्रकृति की हैं और उचित रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

चूंकि ये अनियमितताएं नमूना-जांच किए गए अभिलेखों पर आधारित थीं, इसलिए विभाग द्वारा अन्य लेखापरीक्षित इकाइयों में, यदि कोई हो, इस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा सकती है।

इन बिंदुओं को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग के पास भेजा गया था (मई 2017 से जनवरी 2018 और जुलाई 2018 से मार्च 2019); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: विभाग मामले की जांच कर संदिग्ध भुगतान के लिए तदनुसार कार्रवाई आरंभ करे।

2.11 जिला योजना स्कीम की निधियों का विपथन

जिला योजना स्कीम के दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित स्कीमों पर ही निधियां जारी/खर्च की जानी चाहिए।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डबवाली के अभिलेखों (2012-17) की संवीक्षा (मई 2017) ने प्रकट किया कि ₹ 20 लाख की निधियां स्कीम दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में अनुसूचित जाति चौपाल स्कीम के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों पर भुगतान करने के लिए जिला योजना स्कीम से अनुसूचित जाति चौपाल स्कीम की ओर विपथित (दिसंबर 2012) की गई थी। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक जिला योजना स्कीम के अंतर्गत विकास कार्यों का निष्पादन नहीं हुआ। विपथित निधि को अभी तक (अगस्त 2018) पुनः प्राप्त नहीं किया गया था।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डबवाली ने बताया (अगस्त 2018) कि राशि को अस्थायी रूप से विपथित किया गया था क्योंकि अनुसूचित जाति चौपाल स्कीम के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों के लिए भुगतान किया जाना अपेक्षित था और बताया कि विपथित की गई निधियों को वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तथापि, तथ्य यह है कि लगभग छः वर्षों के बीत जाने के बावजूद जिला योजना स्कीम के लिए निधियां पुनः प्राप्त नहीं की गई थी।

मामला प्रधान सचिव, योजना विभाग, हरियाणा सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेजा गया था (जून 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

2.12 अस्वीकार्य कार्यों पर व्यय

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशानिर्देशों के पैरा 2.4 के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र में टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ स्थानीय रूप से महसूस किए गए बुनियादी ढाँचे और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए, दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-II में उल्लिखित कार्यों को छोड़कर, सभी कार्य संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्वीकार्य हैं। इन दिशानिर्देशों का अनुलग्नक-II धार्मिक पूजा स्थलों के भीतर और दूसरों के बीच धार्मिक आस्था/समूह के स्वामित्व या स्वामित्व वाली जगहों पर काम करने पर प्रतिबंध लगाता है।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, हिसार के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2014 से अप्रैल 2018) में पाया गया कि गौशाला में साफ-सफाई रखने के लिए डेरा महंत ओम नारायण गिरी गौशाला, नारनौंद के लिए ट्रैक्टर खरीदने हेतु ₹ 2.88 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति (सितंबर 2016) प्रदान की गई थी। सचिव, नगरपालिका, नारनौंद ने बतौर कार्यान्वयन एजेंसी ₹ 2.88 लाख का भुगतान किया था (दिसंबर 2016)। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि निदेशक, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने उपायुक्त, हिसार को स्पष्ट किया (जून 2016) कि ट्रैक्टर की खरीद स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि दिशानिर्देश धार्मिक पूजा स्थानों और धार्मिक आस्था/समूह के स्वामित्व या स्वामित्व वाली भूमि के लिए कार्य को निषिद्ध करता है। इसके बावजूद, डेरा के लिए ट्रैक्टर खरीदा गया था। इस प्रकार ₹ 2.88 लाख के ट्रैक्टर की खरीद संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

मामला प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पास भेजा गया (जून 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: विभाग को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सामग्री की खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.13 कार्यों का संदिग्ध निष्पादन

उपायुक्त, सिरसा ने जिले के बड़ागुढ़ा खंड के 12 गांवों में गलियों में मिट्टी भरने और फुटपाथ के कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 1.91 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (दिसंबर 2012)। खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, बड़ागुढ़ा (सिरसा) के अभिलेखों (दिसंबर 2017) की संवीक्षा ने प्रकट किया कि गड्डे भरने का कार्य ट्रैक्टरों के माध्यम से निष्पादित किया गया था और निष्पादन एजेंसियों द्वारा राशि का दावा करने के लिए हस्त रसीदों का उपयोग किया गया था। निष्पादन एजेंसियों द्वारा गड्डे भरने के कार्यों के दावों की सत्यता का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा ने हस्त रसीदों पर उल्लिखित ट्रैक्टरों के पंजीकृत नंबर का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट से सत्यापन किया और यह देखा गया कि एक हस्त रसीद पर ₹ 0.95 लाख के भुगतान से आवेष्टित, तालिका की क्र.सं.1, के मामले में ट्रैक्टर के रूप में दर्शाए गए वाहन का नंबर वास्तव में मोटरसाइकिल/स्कूटर के रूप में

पंजीकृत था। इस तथ्य की पुष्टि पंजीकरण प्राधिकरण (मोटर वाहन), सिरसा ने भी की थी। ₹ 1.85 लाख के भुगतान से आवेष्टित अन्य दो मामलों (तालिका के क्रमांक 2 एवं 3) के संबंध में वाहन नंबर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद नहीं थे। इन मामलों के विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	गड्डे भरने की अवधि	वाउचर संख्या	राशि (₹ लाख में)	ट्रैक्टर का नंबर	अभ्युक्तियां
1.	रंगा	01.09.12 से 15.09.12	296/ 14.12.2012	0.95	एच.आर. 26-ए.आर. 6891	वाहन मोटरसाइकिल/स्कूटर के रूप में गुरुग्राम में पंजीकृत
2.	कुरंगावली	01.10.12 से 30.10.12	300/ 14.12.2012	1.23	एच.आर.33-2222	वाहन नहीं है
3.	मातड़	01.09.12 से 22.09.12	304/ 14.12.2012	0.62	आर.जे.पी.-6818	वाहन नहीं है
कुल				**2.80**		

यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि ₹ 2.80 लाख की राशि में गड्डे भरने के कार्य वास्तव में निष्पादित हुए थे या नहीं। निष्पादन एजेंसियों द्वारा दावों की सत्यता की पुष्टि लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी और गड्डों को भरने के कार्यों का निष्पादन संदिग्ध था। व्यय की वास्तविकता का पता लगाने के लिए गड्डों को भरने के अन्य समान मामलों के साथ इस मामले की पूर्ण रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग ने क्र.सं. 1 के संबंध में बताया (जनवरी 2019) कि बिल पर ट्रैक्टर मालिक के बेटे के मोटर साइकिल के पंजीकरण नंबर का उल्लेख गलती से किया गया था। क्र.सं. 2 और 3 के संबंध में यह बताया गया था कि कार्य, ट्रैक्टरों के माध्यम से निष्पादित किया गया था किंतु ट्रैक्टरों के मालिकों के पास उनके सत्यापन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं थे क्योंकि वे वाहनों को बेच चुके थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है और मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

2.14 मजदूरी का भुगतान करने में देरी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 3 (3) निर्धारित करती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के अंतर्गत कामगारों को मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में उस तिथि से अधिक देरी से नहीं होना चाहिए जब यह कार्य संपूर्ण किया गया हो। मनरेगा मार्गनिर्देश आगे निर्धारित करते हैं कि भुगतान उस तारीख से 15 दिनों के बाद नहीं किया जाना चाहिए जिस दिन यह देय हो जाता है अन्यथा प्राप्तकर्ता मस्टर रोलों के समापन के सोलहवें दिन के बाद विलंब की अवधि के लिए प्रतिदिन अप्रदत्त मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर पर मुआवजा पाने का हकदार होगा। प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी को विलंबित मजदूरी के भुगतान के लिए देय मुआवजे का निर्णय लेना चाहिए जब तक स्थिति यह न हो (i) भुगतान करने वाले प्राधिकारी स्तर पर निधियां उपलब्ध नहीं थी (ii) मुआवजा देय नहीं (मजदूरी का भुगतान समय पर

किया गया था परंतु प्रबंधन सूचना प्रणाली में विवरणों की प्रविष्टि नहीं की गई) और (iii) प्राकृतिक आपदाएं।

निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2016 से दिसंबर 2018) से ज्ञात हुआ कि 4.99 करोड़[15] व्यक्ति दिवस के लिए मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 4.92 करोड़[16] के मुआवजे का भुगतान संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा 'अन्य कारण' के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया। ये कारण मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए मुआवजा अस्वीकृत करने के लिए मार्गनिर्देशों में निर्दिष्ट नहीं थे। अतः इन आधारों पर मुआवजे की अस्वीकृति स्कीम मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में थी जिसके परिणामस्वरूप कामगारों को ₹ 4.92 करोड़ राशि की मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ।

विभाग ने बताया (जनवरी 2019) कि मामले की जांच के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा परंतु आगामी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (फरवरी 2021)।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पास भेजा गया (फरवरी 2019); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: विभाग को दिशा-निर्देशों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

---

[15] 2014-15: 2.66 करोड़ व्यक्ति दिवस, 2015-16: 1.60 करोड़ व्यक्ति दिवस, 2016-17: 0.69 करोड़ व्यक्ति दिवस तथा 2017-18: 0.04 करोड़ व्यक्ति दिवस।

[16] 2014-15: ₹ 2.66 करोड़, 2015-16: ₹ 1.49 करोड़, 2016-17: ₹ 0.72 करोड़ तथा 2017-18: ₹ 0.05 करोड़ (मुआवजे की राशि आनुपातिक आधार पर परिकलित की गई है)।

भाग खः शहरी स्थानीय निकाय

भाग-खः शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों का प्रलेख

3.1 प्रस्तावना

74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शक्तियों के विकेन्द्रीकरण तथा शहरी स्थानीय निकायों को संविधान की बारहवीं अनुसूची में शामिल 18 कार्यों के साथ निधियों तथा पदाधिकारियों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। हरियाणा सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों तथा जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 बनाया गया और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया।

3.2 लेखापरीक्षा व्यवस्था

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग, हरियाणा सभी नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं का सांविधिक लेखापरीक्षक है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को शहरी स्थानीय निकाय के सभी तीन श्रेणियों/स्तरों के लेखाओं के सही रख-रखाव पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण तथा उनकी लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने आगे सिफारिश की कि राज्य सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों को राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को शहरी स्थानीय निकायों की नमूना-लेखापरीक्षा तथा शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग, हरियाणा को तकनीकी गाइडेंस प्रदान करने की अनुमति दी (अगस्त 2008)। राज्य सरकार ने आगे अधिसूचित किया (दिसंबर 2011) कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

राज्य सरकार ने 2009 से 2017 तक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के समक्ष अंतिम प्रस्तुति (2016-17 का प्रतिवेदन) 10 सितंबर 2018 को प्रस्तुत करके तत्रैव अधिसूचना की शर्तों का पालन किया है। स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग का वर्ष 2015-16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष 27 फरवरी 2019 को प्रस्तुत किया गया था। वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं पर एक पृथक समिति का गठन भी किया गया था (मई 2014) और पिछले 2016-17 तक के सभी वार्षिक तकनीकी

निरीक्षण प्रतिवेदन पर विधानसभा में चर्चा हुई। तथापि, समिति में चर्चा के लिए 12[1] अनुच्छेद लंबित थे।

शहरी स्थानीय निकाय में सार्वजनिक वित्त प्रबंध तथा उत्तरदायिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (सांविधिक लेखापरीक्षक) अर्थात् शहरी स्थानीय निकाय के प्राथमिक बाह्य लेखापरीक्षकों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के मापदण्ड, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2020 की धारा 120 से 122 में दिए गए हैं।

स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के कार्य के अनुसरण में इस कार्यालय ने फरवरी 2018, अगस्त 2018 और फरवरी 2019 में क्रमश: 'शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखाओं का प्रमाणीकरण, ई-ऑडिटिंग सिस्टम या पेपरलेस ऑडिटिंग तकनीक; संविदा, आउटसोर्सिंग और क्रय का लेखापरीक्षण; सरकारी विभाग/निगम/बोर्ड आदि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के उपाय और उसके बाद सार्वजनिक निजी भागीदारी की लेखापरीक्षा' पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा पुराने बकाया पैरों के निपटान एवं अभिलेखों को प्रस्तुत न करने हेतु मामले को उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष उठाने के लिए पूर्व में सुझाव दिए गए थे (जनवरी 2019)। नगर निगम, करनाल, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर और हिसार; नगर परिषद, कैथल, गोहाना, थानेसर, हांसी, रेवाड़ी और टोहाना; नगरपालिका, लाडवा, शाहबाद, महम, सांपला, बेरी, रानिया, धारूहेड़ा और कालांवाली के निरीक्षण प्रतिवेदन उनके मार्गदर्शन के लिए व्याख्यात्मक नमूनों के रूप में स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को भेजे गए थे (जनवरी-जून 2018 और जनवरी 2020)। तथापि, इस कार्यालय को स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा भेजे गए 161[2] लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण नोट से यह अवलोकित हुआ था कि इन सुझावों/मार्गदर्शनों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है और इनकी निगरानी तब तक जारी रहेगी जब तक स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा इनमें सुधार नहीं किया जाता।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

राज्य में 10[3] नगर निगम, 18 नगर परिषद तथा 58 नगरपालिकाएं हैं। शहरी स्थानीय निकायों में प्रत्येक वार्ड से चुने हुए सदस्य होते हैं। नगर निगम में मेयर तथा नगर परिषद और नगरपालिका में अध्यक्ष विभिन्न वार्डों से चुने हुए सदस्यों के बहुमत से चुने जाते हैं। शहरी स्थानीय निकाय का समग्र नियंत्रण, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के

[1] 2011-13: दो, 2013-14: तीन, 2014-15: एक, 2015-16: पांच और 2016-17: एक।

[2] 2017-18 में 77 लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण नोट और 2018-19 में 84 लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण नोट।

[3] (i) गुरुग्राम, (ii) पंचकुला, (iii) फरीदाबाद, (iv) रोहतक, (v) हिसार, (vi) सोनीपत, (vii) पानीपत, (viii) करनाल, (ix) अंबाला और (x) यमुनानगर।

माध्यम से हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव (शहरी स्थानीय निकाय) के पास होता है। शहरी स्थानीय निकाय का संगठनात्मक ढांचा नीचे **चार्ट 1** में वर्णित हैः

चार्ट 1: शहरी स्थानीय निकाय का संगठनात्मक ढांचा

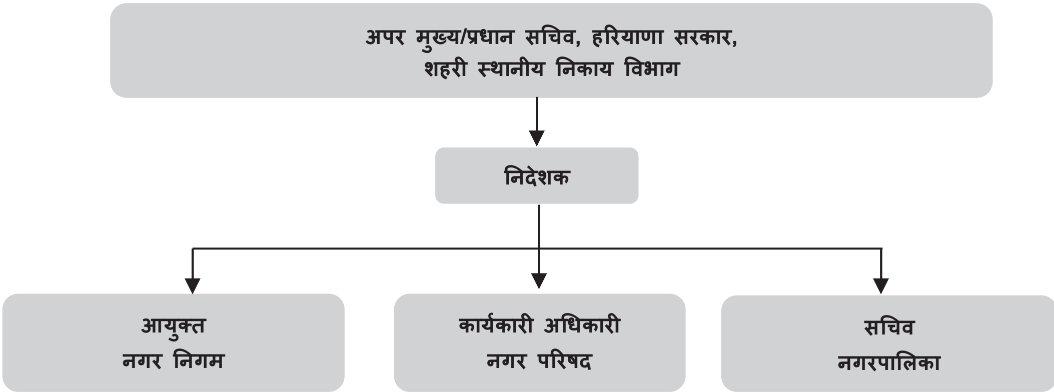

3.3.1 स्थाई समितियां

शहरी स्थानीय निकाय निर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए स्थाई समितियां गठित करेंगी। शहरी स्थानीय निकाय की स्थायी समिति के गठन का विवरण **तालिका 3.1** में वर्णित है।

तालिका 3.1: स्थाई समितियों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व

शहरी स्थानीय निकाय के स्तर	स्थाई समिति का अध्यक्ष	स्थाई समिति का नाम	स्थाई समिति की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व
शहरी स्थानीय निकाय	चेयरमैन	वित्त उप-समिति	नगरपालिका के वित्त, बजट बनाने, राजस्व की वृद्धि की संभावनाओं की संवीक्षा और प्राप्तियों तथा व्यय विवरणियों के निरीक्षण से संबंधित कार्यों को देखती है।
		लोक निर्माण कार्य तथा भवन उप-समिति	नगरीय निर्माण, शहरी स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन नगरपालिका संपत्तियों तथा भवनों के रख-रखाव तथा सत्यापन से संबंधित कार्यों को देखती है। यह अतिक्रमणों तथा प्रक्षेपणों से संबंधित सभी मामलों को भी देखती है।
		स्वच्छता तथा जलापूर्ति उप-समिति	स्वच्छता, स्वास्थ्य, सीवरेज तथा जलापूर्ति से संबंधित मामलों को देखती है।

3.3.2 कार्यों की सुपुर्दगी

शहरी स्थानीय निकाय को शक्तियों और कार्यों के विकेंद्रीकरण तथा शहरों और कस्बों की पर्याप्त मूलभूत संरचना तथा मूलभूत सुविधाओं सहित उपयुक्त और योजनागत वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए संविधान का 74वां संशोधन किया गया था। नीचे दी गई **तालिका 3.2** में दिए गए विवरणानुसार हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय को 18 कार्य सौंपे हैं:

तालिका 3.2: शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित कार्यों के विवरण

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित कार्य
1.	शहरी आयोजना जिसमें नगर आयोजना भी शामिल है
2.	भूमि प्रयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
3.	आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए आयोजना
4.	सड़कें तथा पुल
5.	जलापूर्ति-घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए जलापूर्ति
6.	जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, संरक्षणता तथा सीवरेज जल अनुरक्षण
7.	अग्निशमन सेवाएं
8.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देना
9.	विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा
10.	मलिन बस्ती का सुधार तथा उन्नयन
11.	शहरी गरीबी उन्मूलन
12.	शहरी सुख सुविधाओं तथा सहूलियतों-पार्कों, उद्यानों तथा खेल के मैदानों का प्रावधान
13.	सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सौंदर्य विषयक पहलुओं को बढ़ावा देना
14.	दफनाना तथा कब्रिस्तान, दाह-संस्कार, श्मशानघाट तथा विद्युत शवदाह गृह
15.	पशु तालाब, पशुओं पर निर्दयता की रोकथाम
16.	जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े
17.	स्ट्रीट लाईटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप तथा जन सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख-सुविधाएं
18.	बूचड़खाना और चर्मशोधनशाला का विनियमन

3.4 वित्तीय प्रलेख

3.4.1 शहरी स्थानीय निकाय का निधि प्रवाह

विभिन्न विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकाय मुख्यतः भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुदानों के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के अनुदानों में केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुदान तथा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान शामिल है। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कुल कर राजस्व की निवल आय से हस्तांतरण तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु अनुदानों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकाय द्वारा करों, किराया, फीस तथा लाईसैंस जारी करने के रूप में भी राजस्व एकत्रित किया जाता है।

केंद्रीय तथा राज्य अनुदान, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जबकि शहरी स्थानीय निकाय की अपनी प्राप्तियां प्रशासनिक व्ययों तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित स्कीमों/कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। मुख्य स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध **तालिका 3.3** में दिए गए हैं:

तालिका 3.3: मुख्य स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध

क्र.सं.	स्कीम[4]	निधि प्रवाह प्रबंध
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में निधियों की हिस्सेदारी की जाती हैं। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को लाभदायक स्व-रोजगार तथा कुशल मजदूर रोजगार हेतु सक्षम बनाकर गरीबी तथा असुरक्षा को कम करना है। राज्य शहरी विकास एजेंसी, हरियाणा योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। राज्य को केंद्र की हिस्सेदारी का निर्गम दो किस्तों में सीधे राज्य शहरी विकास एजेंसी के अंतर्गत गठित राज्य मिशन प्रबंधन इकाई के खाते में किया जाएगा। राज्य मिशन प्रबंधन इकाई ने नियत लक्ष्यों/प्राप्त परियोजनाओं के अनुसार सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स के माध्यम से जिला-वार निधियां जारी कीं।
2.	स्वच्छ भारत मिशन - शहरी	स्वच्छ भारत मिशन-शहरी योजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 2014 से कार्यान्वित की जा रही है। खुले में शौच को समाप्त करना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करना तथा स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के बारे में व्यावहारिक परिवर्तन आदि मिशन के उद्देश्य हैं। इस योजना में ₹ 14,000/- का अधिकतम प्रोत्साहन व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए (भारत सरकार का हिस्सा ₹ 4,000 और हरियाणा राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 10,000) लाभार्थियों को प्रदान किया जा सकता है। हरियाणा राज्य स्लम क्लीयरेंस बोर्ड योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। हरियाणा राज्य स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार और राज्य सरकार से धन प्राप्त करता है। इसके बाद, हरियाणा राज्य स्लम क्लीयरेंस बोर्ड द्वारा संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को निधियां जारी की जाती हैं।
3.	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2015-20 तक पांच वर्षों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। परियोजनाओं की केंद्रीय सहायता अनुमोदित लागत की 20:40:40 की तीन किस्तों में होगी। यह शहरी बुनियादी ढांचे की मजबूती और मलिन बस्तियों के सुधार के लिए है। योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझा की जाती हैं। हरियाणा शहरी मूलभूत संरचना विकास बोर्ड, योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। बोर्ड द्वारा, राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। बोर्ड राज्य वार्षिक कार्य योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार से निधियां प्राप्त करता है। इसके बाद, निधियां संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को जारी की जाती है।

[4] क्रम संख्या 1 से 3 की योजनाएं वर्ष 2017-19 और क्रमांक 4 की योजना वर्ष 2018-19 से संबंधित है।

क्र.सं.	स्कीम[4]	निधि प्रवाह प्रबंध
4.	प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी	प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी स्लम वासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता का निम्नानुसार समाधान करना चाहता है: एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ स्लम वासियों का स्लम पुनर्वास, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास और लाभार्थियों के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण/वृद्धि के लिए सब्सिडी। राज्य शहरी विकास एजेंसी, हरियाणा योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। राज्य को केंद्र की हिस्सेदारी का निर्गम दो किस्तों में सीधे राज्य शहरी विकास एजेंसी के अंतर्गत गठित राज्य मिशन प्रबंधन इकाई के खाते में किया जाएगा। राज्य मिशन प्रबंधन इकाई ने नियत लक्ष्यों/प्राप्त परियोजनाओं के अनुसार सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स के माध्यम से जिला-वार निधियां जारी कीं।

3.4.2 निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता

2014-18 से 2018-19 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकाय की निधियों के स्रोत तथा उपयोग की प्रवृत्ति का विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: शहरी स्थानीय निकाय की निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता पर समयक्रम आंकड़े

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
केंद्रीय वित्त आयोग	204.24	122.74	135.04	135.04	301.21	301.21	433.28	433.28	177.87	177.87
राज्य वित्त आयोग	152.53	152.53	189.96	189.96	241.32	241.32	250.00	250.00	318.00	318.00
ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अपने स्रोत (कर तथा कर-भिन्न)	570.55	555.95	1,259.35	1,459.35	1,264.20	2,055.55	2,878.63	2,878.63	2,266.14	2,767.64
अन्य अनुदान	1,471.08	1,394.52	1,660.06	1,660.06	2,616.61	2,616.61	3,861.06	3,861.06	2,691.75	2,691.75
कुल योग	**2,398.40**	**2,225.74**	**3,244.41**	**3,444.41**	**4,423.34**	**5,214.69**	**7,422.97**	**7,422.97**	**5,453.76**	**5,955.26**

स्रोतः निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े।

3.5 लेखांकन व्यवस्था

नगर निगमों में लेखाओं के रख-रखाव के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी उत्तरदायी हैं जबकि नगर परिषदों के मामले में कार्यकारी अधिकारी तथा नगरपालिकाओं के मामले में सचिव, लेखाकारों की सहायता से लेखे का रख-रखाव करते हैं।

नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों के खातों का रखरखाव नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 द्वारा शासित होता है। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सूचित किया गया (जनवरी 2021) कि राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा संहिता के आधार पर संहिताकरण

पैटर्न, अभी तक शुरू नहीं किया गया था, जैसा कि हरियाणा नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 में संशोधन विचाराधीन था।

3.6 लेखापरीक्षा व्याप्ति

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान 30 शहरी स्थानीय निकायों (10[5] नगर निगमों, 12[6] नगर परिषदों तथा 8[7] नगरपालिकाओं) और निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय को स्वीकृत लेखापरीक्षा योजनाओं में चुना गया और इन इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई।

3.7 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद

नगर निगम, नगर परिषद तथा नगरपालिका के क्रमशः आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अभ्युक्तियों की अनुपालना करना तथा कमियों/चूकों का सुधार किया जाना तथा अभ्युक्तियों को समायोजित करने के लिए उनकी अनुपालना/उत्तर देना अपेक्षित है।

सितंबर 2019 को बकाया (फरवरी 2021 तक समायोजित) निरीक्षण रिपोर्ट तथा अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुच्छेदों की स्थिति

निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/ अनुच्छेदों का आरंभिक शेष		जमा		कुल		समायोजित निरीक्षण प्रतिवेदनों/ अनुच्छेदों की संखया		सितंबर 2019 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/ अनुच्छेदों की संख्या	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
2013-14	111	1,018	32	453	143	1,471	-	-	143	1,471
2014-15	143	1,471	32	271	175	1,742	-	21	175	1,721
2015-16	175	1,721	54	345	229	2,066	35	807	194	1,259
2016-17	194	1,259	27	229	221	1,488	0	138	221	1,350
2017-18	221	1,350	27	237	248	1,587	0	62	248	1,525
2018-19	248	1,525	20	238	268	1,763	0	124	268	1,639
		कुल	**192**	**1,773**		**कुल**	**35**	**1,152**		

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बकाया अनुच्छेदों की संख्या 2016-17 में 1,350 से बढ़कर 2018-19 में 1,639 हो गई। लंबित अनुच्छेद उचित ध्यान तथा प्रभावी कार्रवाई की कमी के सूचक हैं जो जवाबदेही को कमजोर करते हैं।

5 (1) गुरुग्राम, (2) फरीदाबाद, (3) पंचकुला, (4) सोनीपत, (5) पानीपत, (6) रोहतक, (7) अंबाला, (8) यमुनानगर, (9) करनाल और (10) हिसार।

6 (1) फतेहाबाद, (2) पलवल, (3) सिरसा, (4) झज्जर, (5) नरवाना, (6) कैथल, (7) गोहाना, (8) बहादुरगढ़, (9) नारनौल, (10) चरखी दादरी, (11) टोहाना और (12) जींद।

7 (1) ऐलनाबाद, (2) जुलाना, (3) कलायत, (4) पेहोवा, (5) कलानौर, (6) चीका, (7) हेली मंडी, (8) उचाना।

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

4.1 नगर निगम, गुरूग्राम और पंचकुला की कार्यप्रणाली

4.1.1 प्रस्तावना

नगर निगमों की कार्यप्रणाली, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (हरियाणा नगर निगम अधिनियम) द्वारा शासित की जाती है। नगर निगमों के मुख्य कार्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना तथा स्ट्रीट लाईटिंग, पार्किंग लॉट्स और जन सुविधाओं इत्यादि सहित जलापूर्ति, जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी आयोजना, भवनों, सड़कों एवं पुलों का निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करना होता है। नगर आयुक्त प्रत्येक नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख होता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण की सभी कार्यकारी शक्तियां उसे प्राप्त हैं। नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला में 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमश: 8.87 लाख और 2.81 लाख की जनसंख्या के साथ 184.59 और 52.32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है।

विभिन्न कार्यों के कार्यचालन का आकलन करने के लिए नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला की 2015-18 की लेखापरीक्षा फरवरी से जून 2018 के दौरान की गई।

4.1.2 आयोजना

4.1.2.1 योजनाओं की तैयारी न किया जाना

हरियाणा नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, नगर निगमों को उन्हें सौंपे गए सभी कार्यों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करनी अपेक्षित है। आगे, प्रत्येक नगर निगम द्वारा इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए विविध योजनाएं तैयार करना और इन्हें जिला की विकास योजना में समेकित करने के लिए जिला योजना समिति को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

2015-18 के दौरान नमूना-जांच में पाया गया कि नगर निगमों द्वारा न तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कोई योजना तैयार की गई थी और न ही जिलों की विकास योजनाएं तैयार की गईं थी। नगर निगमों द्वारा विकास कार्यों/स्कीमों का निष्पादन समुचित योजना के बिना तदर्थ आधार पर किया गया। नगर निगम, पंचकुला ने स्वीकार किया (मई 2018) कि योजनाएं तैयार नहीं की गई थी और भविष्य में योजनाओं की तैयारी के लिए भी कोई आश्वासन नहीं दिया।

सिफारिश: विभाग को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

4.1.2.2 क्षेत्रीय सभा एवं वार्ड समितियों का प्रतिस्थापन न किया जाना

हरियाणा नगरपालिका नागरिक प्रतिभागी अधिनियम, 2008 में प्रस्ताव सृजित करने और क्षेत्र में कार्यान्वयन हेतु स्कीमों/विकास कार्यक्रमों की वरीयता निर्धारित करने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक क्षेत्र सभा गठित करने का प्रावधान है। इसी प्रकार, प्रत्येक वार्ड में अध्यक्ष के रूप में एक वार्ड पार्षद और नगर निगमों द्वारा निर्वाचित प्रतिष्ठित सदस्यों (जो तीन से कम और 10 व्यक्तियों से अधिक न हों) की वार्ड समितियां गठित की जानी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि किसी भी वार्ड में क्षेत्र सभा और वार्ड समिति गठित नहीं की गई। नगर निगम, पंचकुला ने स्वीकार किया (जून 2018) कि क्षेत्र सभा का गठन नहीं किया गया था, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया, जबकि नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अक्तूबर 2018) कि क्षेत्र सभा और वार्ड समिति की स्थापना नहीं हुई है। दोनों में से किसी भी नगर निगम द्वारा क्षेत्र सभा और वार्ड समिति के गठन के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रस्ताव क्षेत्र सभा और वार्ड समिति के माध्यम से प्राप्त नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप स्कीमों और विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकता संबंधित क्षेत्रों में जरूरतों और मांग के संदर्भ में निर्धारित नहीं की जा रही थी।

सिफारिश: संबंधित नगर निगमों को प्रस्तावों को शुरू करने के लिए क्षेत्र सभाओं और वार्ड समितियों की स्थापना करनी चाहिए और योजनाओं/विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए।

4.1.3 वित्तीय प्रबंधन

4.1.3.1 व्यय और प्राप्तियों के अवास्तविक अनुमान

2015-16 से 2017-18 वर्षों के लिए बजट अनुमान और वास्तविक व्यय नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नगर निगम का नाम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	भिन्नता की प्रतिशतता
2015-16	नगर निगम, गुरूग्राम	1,708.04	394.33	(-) 1,313.71	77
	नगर निगम, पंचकुला	75.80	33.62	(-) 42.18	56
2016-17	नगर निगम, गुरूग्राम	1,773.25	315.15	(-) 1,458.10	82
	नगर निगम, पंचकुला	83.68	49.59	(-) 34.09	41
2017-18	नगर निगम, गुरूग्राम	1,425.62	1,327.87	(-) 97.75	07
	नगर निगम, पंचकुला	197.75	165.17	(-) 32.58	16
कुल		**5,264.14**	**2,285.73**	**(-) 2,978.41**	**57**

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, गत तीन वर्षों में बजट प्रावधानों में लगातार बचतें थी (नगर निगम, गुरूग्राम में 7 से 82 प्रतिशत और नगर निगम, पंचकुला में 16 से 56 प्रतिशत)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि बजट विकास कार्यों/चालू व्यय, निधियों की उपलब्धता आदि के लिए योजनाओं को ध्यान में रखे बिना पिछले वर्षों के बजटों के आधार पर तैयार किया गया था।

नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि बजट वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किया जा सका क्योंकि वर्षवार कार्ययोजना निश्चित नहीं थी जबकि नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2018) कि बजट गत वर्ष बजट के आधार पर तैयार किया गया था।

2015-16 से 2017-18 वर्षों के लिए बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

वर्ष	नगर निगम का नाम	बजट अनुमान#	वास्तविक प्राप्ति#	भिन्नताएं कमी (-)	वसूली की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)			
2015-16	नगर निगम, गुरूग्राम	1,788.01	674.94	(-) 1113.07	38
	नगर निगम, पंचकुला	76.81	42.26	(-) 34.55	55
2016-17	नगर निगम, गुरूग्राम	1,836.65	570.71	(-) 1265.94	31
	नगर निगम, पंचकुला	85.77	52.55	(-) 33.22	61
2017-18	नगर निगम, गुरूग्राम	1,602.95	1,657.41	(+) 54.46	103
	नगर निगम, पंचकुला	89.42	61.71	(-) 27.71	69
कुल		**5,479.61**	**3,059.58**	**(-) 2,420.03**	**56**

स्वयं की प्राप्तियों के साथ-साथ अनुदान भी शामिल है।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राजस्व की वसूली में कमियां थीं। नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि वास्तविक प्राप्ति कर, लाईसेंस फीस इत्यादि की कम वसूली के कारण अनुमान की तुलना में कम थी। नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2018) कि अगले वर्ष में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अत:, नगर निगमों को अपने राजस्व संग्रहण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

सिफारिश: नगर निगमों को विकास कार्यों/आवर्ती व्यय तथा निधियों की उपलब्धता इत्यादि की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आधार पर बजट तैयार करना चाहिए।

4.1.3.2 बकाया अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

नगरपालिका लेखा संहिता 1930 का नियम XVII.14 निर्धारित करता है कि नगर निगम एक समय सीमा निर्धारित करेगा जिसके बीत जाने पर अग्रिमों का हिसाब किया जाएगा या रिफंड किए जाएंगे। अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि नगर निगम सीमा के भीतर विभिन्न विकास गतिविधियों के निष्पादन के लिए कुल ₹ 342.91[1] करोड़ के अग्रिम मार्च 2018 तक समायोजन के लिए लंबित थे। लंबित अग्रिमों का अवधि विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

[1] नगर निगम, गुरूग्राम: ₹ 342.51 करोड़ और नगर निगम, पंचकुला: ₹ 0.40 करोड़।

क्र. सं.	लंबमानता	अग्रिमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	पांच वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से कम	504	203.59
2	एक वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष से कम	77	139.32
	कुल	**581**	**342.91**

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अग्रिमों के समायोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। लंबमानता अग्रिमों के समायोजन के बारे में संहिता प्रावधान लागू करने में नगर निगमों की तरफ से ढ़ील को इंगित करता है। नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला ने बताया (अप्रैल-मई 2018) कि लंबित अग्रिमों के तुरंत समायोजन के लिए सभी संबंधित को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि नगर निगम, गुरूग्राम ने ₹ 48.40 लाख के अग्रिम निकलवाए और मार्च 2015 से अक्तूबर 2016 के दौरान 38 मामलों में 12 कर्मचारियों को वितरित किए। इन कर्मचारियों द्वारा सितंबर 2016 से मार्च 2018 के दौरान किसी भी राशि का उपयोग किए बिना राशि नगर निगम निधि में वापस कर दी गई थी। अत: राशि बिना किसी आवश्यकता के निकाली गई थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अग्रिमों के वितरण के लिए आयुक्त से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था, जो नगर निगम निधियों के अस्थाई गबन के बराबर है।

सिफारिश: संबंधित नगर निगम अग्रिमों के समायोजन के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

4.1.3.3 वस्तु एवं सेवा कर से छूट का प्राप्त न किया जाना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अधिसूचना दिनांक 28 जून 2017 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू. के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंपे गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी गतिविधि के तौर पर स्थानीय प्राधिकारी को प्रदान की गई शुद्ध सेवाओं (एक ठेका सेवा या किसी वस्तु की आपूर्ति से जुड़ी अन्य समग्र आपूर्ति को छोड़कर) के लिए वस्तु एवं सेवा कर से छूट दे दी थी। इस अधिसूचना के अनुसार, नगरपालिकाओं द्वारा जुलाई 2017 से विभिन्न सेवाओं[2] के लिए प्रदान किए गए बिलों पर एजेंसियों को वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि नगर निगम, पंचकुला ने छूट का लाभ नहीं उठाया और जुलाई 2017 से मई 2018 के दौरान विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसियों को ₹ 38.16 लाख राशि के वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप नगर निगम पर परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा। नगर निगम, पंचकुला ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जून 2018) कि छूट की अधिसूचना संबंधित स्टाफ की जानकारी में नहीं थी और यह भी बताया कि ठेकेदार से रिफंड लिया जाएगा।

---

2 स्वच्छता, अग्नि सेवाएं, स्ट्रीट लाईट एवं सड़कों इत्यादि का रख-रखाव।

सिफारिश: शुद्ध सेवाओं को किराए पर लेने/प्राप्त करने और ऐसी सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान करने से पहले सरकार की प्रासंगिक छूट अधिसूचना को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4.1.3.4 कटौती किए गए श्रम उपकर का जमा न किया जाना

हरियाणा सरकार ने एक प्रतिशत की दर पर श्रम उपकर लगाने के लिए नियम बनाए (फरवरी 2007)। नियमों में प्रावधान है कि संग्रहित उपकर संग्रहण प्रभारों की कटौती के बाद 30 दिनों के भीतर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को जमा करवाया जाएगा। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने सभी नगरपालिकाओं को अनुदेश जारी किए कि नगरपालिकाएं निर्माण की अनुमानित लागत के एक प्रतिशत की दर पर श्रम उपकर संग्रहित करेंगी (जुलाई 2007)। ये प्रावधान उन व्यक्तिगत निवासीय गृहों पर लागू नहीं हैं जिनकी कुल निर्माण लागत ₹ 10 लाख से अधिक न हो।

नगर निगम, गुरूग्राम के अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि 2013-17 के दौरान भवन निर्माण योजनाएं स्वीकृत करते समय ₹ 3.83 करोड़[3] के श्रम उपकर की कटौती की गई। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नगर निगम, गुरूग्राम ने बोर्ड के पास ₹ 3.83 करोड़ की राशि का श्रम उपकर जमा नहीं करवाया। नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि देय राशि संबंधित प्राधिकारी के खाते में जल्द जमा करवाई जाएगी परंतु आगे किसी प्रगति के बारे में सूचित नहीं किया गया (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगर निगम को संग्रहण प्रभारों की कटौती के बाद निर्धारित समय के भीतर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पास श्रम उपकर जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

4.1.3.5 ई-निविदा की बजाए कोटेशन आधार पर स्टोर मदों की खरीद

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा ने सभी नगरपालिकाओं को सूचित किया (नवंबर 2014) कि राज्य सरकार ने सभी नगरपालिकाओं में दिसंबर 2014 से प्रभावी सभी प्रकार के सिविल कार्यों, स्टोर की खरीदारी या आऊटसोर्सिंग नीति के तहत श्रमिकों की नियुक्ति के लिए ई-निविदा लागू करने का निर्णय लिया था। आगे सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया (जून 2016) कि राज्य में स्टोर्ज/माल/निर्माण कार्य/सेवाओं की खरीद के बारे में ई-निविदा का न्यूनतम प्रारंभिक मूल्य प्रत्येक मामले में (आदेश को विभाजित किए बिना) ₹ एक लाख होगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सितंबर 2015 से अक्तूबर 2016 के दौरान विभिन्न स्टोर मदों जैसे लाईटिंग, स्टेशनरी, फर्नीचर की खरीद और निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 92.85 लाख[4] का व्यय किया गया और सभी खरीदें ई-निविदा की बजाए कोटेशन आधार पर की गई।

---

3 2013-14: ₹ 0.15 करोड़, 2014-15: ₹ 0.68 करोड़, 2015-16: ₹ 1.68 करोड़ तथा 2016-17: ₹ 1.32 करोड़।

4 नगर निगम, गुरूग्राम: ₹ 43.98 लाख एवं नगर निगम, पंचकुला: ₹ 48.87 लाख।

नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि निविदा इसलिए नहीं निकाली गई क्योंकि सामग्री तत्काल आधार पर खरीदी गई थी जबकि नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2018) कि ई-निविदा के बिना सामग्री आकस्मिक मामले में खरीदी गई थी और आगे बताया कि भविष्य में सामग्री की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि लाईटिंग, स्टेशनरी, फर्नीचर, पार्कों के लिए बेंच, मोबाइल शौचालय इत्यादि जैसी मदें आकस्मिक प्रकृति की नहीं है और यदि अनिवार्य समझा जाए तो ई-निविदा की प्रणाली का अनुसरण किए बिना इन मदों की खरीदारी के लिए अनुमोदन सरकार से प्राप्त करना चाहिए था।

सिफारिश: संबंधित नगर निगम आकस्मिक मामले में ई-निविदा के बिना सामग्री खरीदने पर विचार कर सकते हैं।

4.1.3.6 गुम वाउचर

नगर निगम, गुरूग्राम के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹ 11.33 करोड़ के भुगतान वाउचरों की प्रविष्टि कैशबुक में तो की गई थी परंतु नवंबर 2015 से दिसंबर 2016 के महीनों के लिए भुगतान वाउचर फाईल के साथ संलग्न नहीं किए गए थे जो नगरपालिका लेखा संहिता 1930 के नियम 1.7 और 1.8 का उल्लंघन है। वाउचरों के अभाव में व्यय की वास्तविकता के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं होता है। नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि गुम वाउचरों को ढूंढा जाएगा और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, इस संबंध में आगे की प्रगति को प्रस्तुत नहीं किया गया था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगर निगम, गुरूग्राम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान वाउचर, वाउचर फ़ाइल के साथ संलग्न होने चाहिए।

4.1.4 कार्यक्रम एवं स्कीम कार्यान्वयन में अनियमितताएं/कमियां

4.1.4.1 केंद्रीय वित्तीय आयोग अनुदानों को अनधिकृत रूप से रोकना

13वें एवं 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों का उपयोग खजाने से राशि आहरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाना था। इस अवधि की समाप्ति के पश्चात्, अव्ययित अनुदानों को सरकारी खजाने में जमा किया जाना था।

नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला ने वित्त आयोग की शर्त के उल्लंघन में गत एक से चार वर्षों से कुल ₹ 64.64 करोड़[5] में से ₹ 46.64 करोड़ के अनुदानों को रखा। नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अप्रैल-मई 2018) कि अव्ययित अनुदानों को शीघ्र प्रयोग में लाया जाएगा। तथापि, आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।

---

[5] नगर निगम, गुरूग्राम: ₹ 34.25 करोड़ (2013-14: ₹ 1.49 करोड़, 2014-15: ₹ 5.29 करोड़, 2015-16: ₹ 2.78 करोड़ और 2016-17: ₹ 24.69 करोड़) तथा नगर निगम, पंचकुला: ₹ 12.39 करोड़ (2015-16: ₹ 1.21 करोड़, 2016-17: ₹ 7.29 करोड़ और 2017-18: ₹ 3.89 करोड़)।

सिफारिश: संबंधित नगर निगम यह सुनिश्चित करें कि विकास कार्यों को पूरा किया जाना चाहिए।

4.1.4.2 राज्य वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए निधियों का प्रयोग न किया जाना

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर अनुदान निर्मुक्त करने के लिए स्वीकृतियों में निदिष्ट था कि निधियों का प्रयोग परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया जाएगा। नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 15.76 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई (मई 2016-जनवरी 2017)। इसमें से ₹ 3.64 करोड़ का व्यय सड़कों की मरम्मत, परिचालन एवं रख-रखाव के लिए किया गया जो परिसंपत्तियों के सृजन में नहीं आता। इस प्रकार, व्यय दिशानिर्देशों की उल्लंघना में किया गया।

नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि व्यय विकास कार्यों पर किया गया जैसा कि संस्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट था जबकि नगर निगम, पंचकुला ने बताया (मई 2018) कि भविष्य में व्यय स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। नगर निगम, गुरूग्राम का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत निधियां सड़कों की मरम्मत, परिचालन एवं रख-रखाव के लिए नहीं अपितु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए थीं।

4.1.4.3 निधियों का अवरोधन

नगरपालिका लेखा संहिता 1930 {अनुभाग III.8(2) और (3)} के प्रावधानों के अनुसार यदि नगर निगमों को अनुदान की आवश्यकता नहीं है या इसे अभीष्ट प्रयोजन में नहीं लगाया गया तो इसे सरकार को वापस कर देना चाहिए।

नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला के अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि विभिन्न स्कीमों जैसे हरिजन बस्ती का विकास, राज्य वित्त आयोग अनुदान, वैट पर सरचार्ज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि के अंतर्गत विकास कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार से मई 2012 से मार्च 2017 के दौरान ₹ 147.74 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इसमें से, ₹ 49.45 करोड़ की राशि अभीष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग कर ली गई और ₹ 98.29 करोड़ की शेष राशि मार्च 2018 तक अव्ययित पड़ी थी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	अनुपयोगी अनुदान (₹ करोड़ में)		
	नगर निगम, पंचकुला	नगर निगम, गुरूग्राम	कुल
2012-13	4.91	0	4.91
2013-14	0.57	0	0.57
2014-15	21.83	0.46	22.29
2015-16	38.68	1.95	40.63
2016-17	26.91	2.98	29.89
कुल	**92.90**	**5.39**	**98.29**

निगमों ने अव्ययित अनुदान न तो सरकार को वापस किए न ही अभीष्ट प्रयोजन के लिए

निधियों के प्रयोग के लिए कोई योजना बनाई। आगे, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अव्ययित निधियों की वापसी के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई थी। अनुदानों का प्रयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप उन नगर निगमों के क्षेत्रों में विकास कार्यों का निष्पादन नहीं हुआ जिससे निधियों की उपलब्धता के बावजूद नागरिक इन सुविधाओं से वंचित रह गए।

नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला ने बताया (अप्रैल-मई 2018) कि अव्ययित अनुदानों का प्रयोग वर्तमान वर्ष में किया जाएगा परंतु इस संबंध में आगामी प्रगति की सूचना नहीं दी गई (फरवरी 2021)।

सिफारिश: सरकार को अभीष्ट प्रयोजन हेतु निधियों के उपयोग के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए और साथ ही सरकार को अव्ययित निधियों की वापसी के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

4.1.4.4 बेकार पड़ी अपशिष्ट प्रबंधन मशीन

नगर निगम, पंचकुला ने पंचकुला शहर में अपशिष्ट प्रबंधन मशीनें प्रस्थापित करने के लिए ई-निविदा आमंत्रित की (नवंबर 2017)। 500 किलोग्राम जैविक अपशिष्ट की प्रतिदिन प्रक्रिया करने के लिए दो मशीनें ₹ 24.36 लाख की लागत पर खरीदी (दिसंबर 2017)। ये मशीनें पंचकुला के सैक्टर-7 और सैक्टर-21 में लगाई गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों मशीनें प्रयोग में नहीं थी और बेकार पड़ी थी यद्यपि पर्याप्त पृथक्कृत अपशिष्ट पदार्थ साइटों पर उपलब्ध थे।

नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2018) कि स्रोत पर अपशिष्ट को अलग-अलग करने के लिए समाज को प्रोत्साहित एवं शिक्षित करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार के अंतर्गत जागरूकता मिशन चलाया गया था। तथ्य यह है कि मशीनों को बिना किसी योजना के खरीदा गया क्योंकि इसका उपयोग कचरे के पृथक्करण के बिना संभव नहीं है। अत: उनकी खरीद का प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ।

सिफारिश: अपशिष्ट प्रबंधन मशीनों को उचित योजना और उपयोगीकरण के साथ खरीदा जाना चाहिए ताकि मशीनों का उद्देश्य पूरा हो सके।

4.1.4.5 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

(i) निधियों का विपथन: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए लक्षित लाभार्थियों को ₹ 14,000/- प्रति परिवार का प्रोत्साहन दिया जाना था। अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 7,000 लक्षित लाभार्थियों को प्रोत्साहन धन की प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्रदान करने के लिए नगर निगम, पंचकुला को ₹ 4.90 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई (मई 2017)। बाद में, सर्वेक्षण के आधार पर योग्य लाभार्थियों की संख्या घटकर 1,994 रह गई क्योंकि आवेदकों ने फर्जी खातों का विवरण प्रदान किया था, उनके परिवारों ने अन्य शहरों, अनधिकृत कॉलोनियों में दिखाए गए आवासीय पते, आदि से आवेदन किया था।

आगे यह ज्ञात हुआ कि नगर निगम, पंचकुला ने व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निधियों में से व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों पर ₹ 0.86 करोड़ और ₹ 3.71 करोड़ प्रेरक व्यक्तियों के वेतन, कार्यशालाओं, मोबाइल शौचालयों, कूड़ादानों, ई-कार्ट्स रिक्शा की खरीद, वाहनों को भाड़े पर लेना, विज्ञापनों, बैठकों के जलपान, मोबाइल फोन की खरीद आदि विभिन्न मदों पर व्यय कर दिए। शौचालयों के निर्माण के लिए परिवारों को प्रोत्साहन के अलावा अन्य मदों पर ₹ 3.71 करोड़ की निधियां खर्च करना अनियमित था और निधियों के विपथन के बराबर था।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशानिर्देशों (2014) के पैराग्राफ 6.4 के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए कोई प्रोत्साहन सहायता नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने सूचना, शिक्षा एवं संचार, सामुदायिक शौचालयों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केंद्रीय हिस्से में से ₹ 3.98 करोड़ का अनुदान निर्मुक्त किया (नवंबर 2016), परंतु नगर निगम, गुरूग्राम ने सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण पर ₹ 3.98 करोड़ में से ₹ 2.15 करोड़ व्यय किए और शेष ₹ 1.83 करोड़ की निधियां नगर निगम, गुरूग्राम के पास अव्ययित पड़ी थी। इस प्रकार सूचना, शिक्षा एवं संचार, सामुदायिक शौचालयों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अभीष्ट निधियां, सार्वजनिक शौचालयों की ओर विपथित कर दी गई।

नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2018) कि राशि की पूर्ति नगर निगम की निधियों से कर ली जाएगी जबकि नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि अनुदानों का प्रयोग सार्वजनिक प्रयोग के विकास कार्य के लिए किया गया। नगर निगम, गुरूग्राम का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निधियां सामुदायिक शौचालयों, सूचना, शिक्षा एवं संचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए थे, सार्वजनिक शौचालयों के लिए नहीं, जिन पर व्यय योजना के तहत निषिद्ध था।

(ii) प्रथम किस्त की दोहरी/तिहरी निर्मुक्ति: नगर निगम, गुरूग्राम के अभिलेखों की समीक्षा और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय लाभार्थियों के कम्प्यूटरीकृत डाटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वित्तीय सहायता की प्रथम किस्त 22 लाभार्थियों को दो बार और एक लाभार्थी को तीन बार दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.68 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा दोहरे/तिहरे भुगतान आवेदन पत्रों की अनुपयुक्त संवीक्षा के कारण हुए क्योंकि आवेदकों ने नाम, पिता/पति का नाम, पता, बैंक खाता संख्या इत्यादि में मामूली परिवर्तन के साथ दो/तीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार, आवेदन पत्रों की संवीक्षा के समय समुचित जांच नहीं की गई थी। तथापि, नगर निगम, गुरूग्राम ने 22 लाभार्थियों को दोहरा भुगतान स्वीकार किया (अप्रैल 2018) और बताया कि अगली किस्त में अधिक भुगतान का समायोजन कर दिया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।

सिफारिश: संबंधित नगर निगम आवेदनों की संवीक्षा करते समय उचित जांच कर सकती है ताकि दोहरे भुगतान से बचा जा सके।

4.1.5 निर्माण कार्यों का निष्पादन

4.1.5.1 वर्जित क्षेत्र में विकास कार्य का निष्पादन

रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अनुसार, वायु सेना स्टेशन और आयुध डिपो, गुरूग्राम की बाहरी दीवार से 900 मीटर की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध था। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने दिसंबर 2011 में क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण कार्य/कॉलोनाइजेशन के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसके बावजूद, नगर निगम, गुरूग्राम ने (मार्च 2017 तक) ₹ 73.87 लाख की लागत पर शनि मंदिर से सैक्टर 23 पुराना करतारपुरी रोड 0.700 से 1.600 कि.मी. तक सड़क का निर्माण किया। चूंकि इस क्षेत्र को निर्माण गतिविधियों को करने के लिए निषिद्ध किया गया था, इसलिए किया गया व्यय अनधिकृत था। नगर निगम, गुरूग्राम ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया (अप्रैल 2018) कि निर्माण कार्य निवासियों की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सड़क का निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र में किया गया था जो कि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के विरूद्ध था।

4.1.5.2 विनिर्देशन में परिवर्तन के कारण हानि

अक्तूबर 2017 में आबंटित तीन[6] सड़क निर्माण कार्यों के तकनीकी नोट्स के निर्देशों एवं शर्तों के अनुसार, कार्य प्रारंभ करने से पहले सक्षम प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना विनिर्देशन तथा कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और आगे निर्दिष्ट है कि संस्वीकृत विस्तृत अनुमान से किसी विचलन को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाना पड़ेगा। नगर निगम, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इन सड़क निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी संस्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से ली गई थी जिसमें मैस्टिक एसफाल्ट का घनत्व 40 मिलीमीटर था परंतु किसी भी औचित्य को दर्ज किए बिना और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इसकी मोटाई 25 मिलीमीटर में बदल दी गई। 40 मिलीमीटर मोटाई की मैस्टिक एसफाल्ट की स्वीकृत दर ₹ 874 प्रति वर्गमीटर थी परंतु तुलनात्मक विवरण तैयार करते समय, दर की तुलना 25 मिलीमीटर मोटाई के साथ की गई और अंततः ये तीन निर्माण कार्य ₹ 825 प्रतिवर्ग मीटर की दर पर 25 मिलीमीटर मोटी मैस्टिक एसफाल्ट के लिए आबंटित कर दिए गए (अक्तूबर 2017)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मार्च 2018 में एक अन्य निर्माण कार्य (गांधी चौक से वाया एस.डी.एम. कार्यालय वार्ड सं-1 कालका से रेलवे स्टेशन, कालका (रेलवे रोड़) पर बिटुमन मैस्टिक एसफाल्ट सड़क के निर्माण कार्य) 25 मिलीमीटर मोटाई की दर ₹ 690 प्रति

---

6 (i) लेबर चौक (गांव बुढ़ानपुर के पास) से आरंभ डिवाइडिंग रोड़ बी./डब्ल्यू. सैक्टर-12 ए और इंडस्ट्रियल एरिया फेस-I अमरटैक्स चौक होते हुए एन.एच.-22 पंचकुला तक सड़क की विशेष मरम्मत, (ii) बेला विस्टा चौक से बस स्टैंड, पंचकुला होते हुए सैक्टर-11/15 के राउंडअबाउट तक सड़क की विशेष मरम्म्त और (iii) सैक्टर-7/6 और 8/5 (शालीमार मॉल/शक्ति भवन चौक) के राउंडअबाउट से बस स्टैंड होते हुए बी./डब्ल्यू. सैक्टर-12 ए और सैक्टर-4 की डिवाइडिंग रोड़ से एन.एच.-22 पंचकुला तक सड़क की विशेष मरम्मत।

वर्गमीटर थी। अत: 25 मिलीमीटर मैस्टिक एसफाल्ट की उचित दर ₹ 690 प्रति वर्गमीटर थी परंतु ये तीनों निर्माण कार्य ₹ 825 प्रतिवर्ग मीटर की दर पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिए बिना निष्पादित किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.06 लाख की हानि हुई।

नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2018) कि मामले की जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

सिफारिश: नगर निगम कार्य शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विनिर्देशों के अनुसार कार्य निष्पादित कर सकता है और यदि विचलन होता है तो इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

4.1.6 कर/फीस का निर्धारण, मांग और संग्रहण

4.1.6.1 मोबाइल/संचार टावरों का अनधिकृत प्रतिस्थापन

शहरी स्थानीय निकाय विभाग अधिसूचना (अक्तूबर 2013) में संचार मूलभूत संरचना के प्रतिस्थापन के लिए लाईसेंस और प्रोसेसिंग फीस (प्रति साईट मोबाइल/संचार टॉवर लगाने के लिए ₹ 2.50 लाख और ₹ 1,000 प्रति टॉवर प्रोसेसिंग फीस) का प्रावधान है। सक्षम प्राधिकारी अनधिकृत संचार के ढांचे को, ऐसे सेवा प्रदानकर्ता के खर्च पर हटवाने के लिए कार्रवाई करेंगे।

नगर निगम, गुरूग्राम के अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि नगर निगम, गुरूग्राम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 259 मोबाइल टॉवर प्रतिस्थापित थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ये टॉवर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लगाए गए और ₹ 6.50 करोड़[7] के प्रतिस्थापन प्रभार और प्रोसेसिंग फीस संबधित टॉवर मालिकों से वसूले नहीं गए। नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (मई 2018) कि उन मोबाइल टॉवरों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए जो बिना अनुमति के चल रहे थे। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।

4.1.6.2 अग्निशमन कर सहित संपत्ति कर की वसूली न करना

हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 87 में प्रावधान है कि नगरपालिकाएं समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर भवन और भूमि के मालिक या कब्जाधारी द्वारा देय संपत्ति कर वसूल करेगी। हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 95 में आगे प्रावधान है कि प्रारंभिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति से कर के तौर पर देय किसी भी राशि को वसूल करने में विफलता पर, आयुक्त, नगर निगम उक्त राशि को कब्जाधारी द्वारा देय किराए की कुर्की के रूप में वसूल करेगा।

नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला के मांग और संग्रहण रजिस्टरों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अग्निशमन कर सहित ₹ 166.40 करोड[8] का संपत्ति कर मार्च 2018 तक बकाया था। यह भी अवलोकित किया गया कि संबंधित नगर निगमों ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 95 के अंतर्गत किराए की कुर्की द्वारा मालिक से बकाया संपत्ति कर की राशि वसूल नहीं की थी। यहां तक कि किराए की वसूली हेतु कुर्की की कार्यवाही एवं नोटिस

7 259 x ₹ 2.51 लाख = ₹ 6.50 करोड़।

8 नगर निगम, गुरूग्राम: ₹ 163 करोड़ और नगर निगम, पंचकुला: ₹ 3.40 करोड़।

भी जारी नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप भारी बकाया जमा हो गया।

नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि नोटिस जारी किए जाएंगे और वसूली की जाएगी जबकि नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2018) कि बकाया कर को वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बकायों की वसूली न होना संबंधित नगर निगमों द्वारा कार्रवाई प्रारंभ करने की प्रशासनिक विफलता दर्शाता है।

4.1.6.3 दुकानों के किराए की वसूली न होना

नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला में वर्ष 2017-18 में बनाए गए मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के अनुसार, नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार ₹ 1.35 करोड़ राशि का दुकानों का पट्टा किराया मार्च 2018 तक बकाया था:

वर्षों की संख्या जिनके लिए बकाया	दुकानों की संख्या	बकाया राशि (₹ लाख में)
10 वर्षों से अधिक	106	81.53
पांच से 10 वर्ष के मध्य	46	39.88
एक से पांच वर्ष के मध्य	38	13.68
कुल	**190**	**135.09**

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, किराया 10 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बकाया था। नगर निगमों ने बताया (अप्रैल-जून 2018) कि बकाया किराया जमा करवाने के लिए किराएदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे। अत: नगर निगमों द्वारा चूककर्ताओं को नोटिस जारी नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप किराए की वसूली नहीं हुई।

4.1.6.4 व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण राजस्व की हानि

हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330, 331, 335, 336 के साथ पठित धारा 352(2) नगरपालिका क्षेत्रों में विभिन्न व्यापार/वाणिज्यिक गतिविधियों आदि करवाने के लिए अनुमति/लाईसेंस प्राप्त करना निर्धारित करती हैं। अनुमति/लाईसेंस प्रदान करने के लिए वार्षिक फीस नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला द्वारा क्रमश: नवंबर 2008 और जून 2016 को निर्धारित की गई है।

नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2018 तक नगर निगमों की अनुमति/लाईसेंसों के बिना 6,187 इकाइयां[9] इन नगर निगमों के क्षेत्रों में विभिन्न व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां कर रही थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.22 करोड़[10] का राजस्व सृजित नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि फीस वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे जबकि नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2018) कि यद्यपि गठित समिति ने जून 2016 में व्यापार लाईसेंसों की दरों को अंतिम रूप दिया था, फिर भी सरकार से स्वीकृति लंबित थी। नगर निगम, पंचकुला का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम आयुक्त दरों का निर्णय करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। तथ्य यह है कि

[9] नगर निगम, गुरूग्राम: 71 इकाइयां, नगर निगम, पंचकुला: 6,116 इकाइयां।

[10] नगर निगम, गुरूग्राम: ₹ 0.71 करोड़, नगर निगम, पंचकुला: ₹ 2.51 करोड़।

नगर निगम राशि की वसूली के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप इस मद में विशाल संभावित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई।

4.1.6.5 नगरपालिका बिजली कर की वसूली न होना

हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 87 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की सीमा के भीतर उपयोग की जाने वाली बिजली की प्रति इकाई की खपत पर पांच पैसे की दर पर कर उद्ग्राहय है।

नगर निगम, गुरूग्राम के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2018 को बिजली की खपत पर ₹ 59.50 करोड़ राशि का कर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से वसूलनीय था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से राशि की वसूली के लिए नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। नगर निगम, पंचकुला ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से वसूलनीय नगरपालिका बिजली कर के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखे थे। तथापि नगर निगम, पंचकुला ने 2015-18 के दौरान ₹ 12 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध नगरपालिका बिजली कर के रूप में ₹ 6.61 करोड़ वसूल किए थे। नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2018) कि वसूली मांग के अनुसार की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नगर निगम, पंचकुला ने कर की वास्तविक राशि निर्धारित करने और वसूल करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि डिस्कॉम्ज से नगरपालिका विद्युत कर के मिलान और समय पर वसूली के लिए कोई उचित तंत्र नहीं था जिसके परिणामस्वरूप इस मद में विशाल संभावित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई।

सिफारिश: संबंधित नगर निगमों को नगरपालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर, किराया, फीस इत्यादि की वसूली के लिए प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

4.1.6.6 बाहरी विज्ञापन पर निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण राजस्व की हानि

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 77 स्थानों पर विज्ञापनों के लिए यूनिपोल्ज लगाने की अनुमति नगर निगम, गुरूग्राम को दी थी (नवंबर 2014)। तत्पश्चात, नगर निगम, गुरूग्राम ने 17,679.50 वर्गफुट क्षेत्र के 69 स्थलों पर यूनिपोल्ज लगाने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नगर निगम, गुरूग्राम ने माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से नौ महीने व्यतीत होने के बाद बाहरी विज्ञापन के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं (सितंबर 2015)। एक बाहरी मीडिया कंपनी को ₹ 463 प्रति वर्गफुट प्रति मास की दर पर अनुबंध दिया गया (दिसंबर 2015) और कंपनी ने मार्च 2016 में काम शुरू किया। यदि नगर निगम, गुरूग्राम ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति के तुरंत बाद निविदाएं आमंत्रित की होती, तो नगर निगम 11 महीनों[11] के लिए अतिरिक्त राजस्व कमा सकता था, जो ₹ नौ करोड़ (17,679.50 x 463 x 11 = ₹ 9,00,41,694) बनता है।

नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि विज्ञापन अधिकारों की नीलामी के लिए रिजर्व मूल्य का अंतिम रूप क्षेत्रीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा दिया जाना

[11] दिसंबर 2014 से अगस्त 2015: नौ माह और जनवरी 2016 से फरवरी 2016: दो माह।

था। समिति की बैठक अप्रैल 2015 में आयोजित की गई और बाद में निविदा जुलाई 2015 में निकाली गई। लेखापरीक्षा का विचार है कि नगर निगम, गुरूग्राम को भारी राशि के राजस्व की हानि के परिहार के लिए नियत मूल्य शीघ्र निर्धारण करने के लिए समिति पर दबाव डालना चाहिए था। यदि क्षेत्रीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के तुरंत बाद आरक्षित मूल्य निर्धारण के लिए बैठक की होती तो ₹ नौ करोड़ का राजस्व अर्जित कर लिया जाता। आरक्षित मूल्य के निर्धारण में विलम्ब के कारण हुई हानि के लिए जिम्मेदारी तय करने पर विचार किया जाना चाहिए।

4.1.6.7 अस्वीकृत चैकों के कारण राजस्व की वसूली न होना

नगर निगम गृह कर, अग्निशमन कर, फीस/प्रभार, निविदाओं के जमा करने की अग्रिम राशि के एवज में चैक द्वारा भुगतान प्राप्त कर रहे थे। ये चैक बैंक में जमा करवाने अपेक्षित थे और बैंकों द्वारा राशि नगर निगम के खातों में क्रेडिट करनी अपेक्षित थी। चैकों के अस्वीकृत होने के मामले में, चूककर्ताओं से मांग उठाई जानी अपेक्षित थी।

नगर निगम, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि जनवरी 2017 से मई 2017 के दौरान गृह कर, अग्निकर, फीस/प्रभारों और निविदाओं की अग्रिम राशि जमा इत्यादि के तौर पर प्राप्त हुए ₹ 20.27 लाख के 83 चैक बैंकों द्वारा अस्वीकृत किए गए। हालांकि, अस्वीकृत किए गए चैकों के कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि नगर निगमों द्वारा भुगतानकर्ताओं से इन अस्वीकृत किए गए चैकों के राजस्व की वसूली की निगरानी नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.27 लाख का राजस्व बिना वसूल किए रह गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, नगर निगम, पंचकुला ने बताया (मई 2018) कि चूककर्ताओं के विरूद्ध मांग उठाई गई थी। नगर निगम द्वारा अस्वीकृत किए गए चैकों की राशि वसूल करने के प्रयास पर्याप्त नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.27 लाख वसूल किए बिना ही रहे।

4.1.6.8 अग्निशमन प्रभारों की वसूली न होना

हरियाणा नगरपालिका (अग्निशमन की रचना एवं कार्यविधि) नियम 1985 के नियम 11(2) में प्रावधान है कि नगरपालिका क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर आग बुझाने के मामले में, व्यक्तियों, संस्थाओं, गांवों जिन्हें अग्निशमन सेवा प्रदान की गई, से प्रभार वसूल किए जाने थे। यदि कोई व्यक्ति, जिसे सेवाएं प्रदान की गई हैं, राशि का भुगतान नहीं करता है तो उससे हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 98 के अंतर्गत भूमि राजस्व के बकाया के तौर पर राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

नगर निगम, गुरूग्राम के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि मार्च 2018 तक अग्निशमन प्रभारों के तौर पर ₹ 25.48 लाख[12] की राशि व्यक्ति, ग्राम पंचायतों और संस्थाओं से वसूल करने हेतु बकाया पड़ी थी। नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि बकाया

---

[12] 2011-12: ₹ 3.49 लाख, 2012-13: ₹ 3.72 लाख, 2013-14: ₹ 2.32 लाख, 2014-15: ₹ 3.79 लाख, 2015-16: ₹ 2.40 लाख, 2016-17: ₹ 4.57 लाख और 2017-18: ₹ 5.19 लाख।

अग्निशमन प्रभारों को वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे थे। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगरपालिका अधिनियम, 1973 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में अग्निशमन प्रभारों की वसूली हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए।

4.1.6.9 अनुबंध राशि की वसूली न होना

बोली दस्तावेजों की शर्तों एवं अनुबंधों के अनुसार, मृत जानवरों को उठाने के लिए ठेकेदारों द्वारा बोली खोलने के समय अनुबंध राशि का 50 प्रतिशत का भुगतान करना अपेक्षित था और शेष राशि अनुबंध के निष्पादन पर जमा की जानी थी। यदि ठेकेदार अनुबंध के निष्पादन के समय राशि जमा करवाने में विफल रहता है तो अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और बोली खोलने के समय जमा की गई 50 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी।

नगर निगम, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2016-18 की अवधि के दौरान चार ठेकेदारों को ₹ 42.62 लाख की अनुबंध राशि पर मृत जानवर उठाने का कार्य आबंटित किया गया था। ठेकेदारों ने केवल ₹ 29.31 लाख जमा करवाए और ₹ 13.31 लाख की शेष राशि जमा नहीं करवाई। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नगर निगम, पंचकुला ने न तो बकाया राशि वसूल की और न ही ठेका अनुबंध रद्द किया। नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2018) कि बकाया राशि की वसूली के लिए सभी ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए परंतु वसूली के बारे में आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगर निगम यह सुनिश्चित करे कि अनुबंध की राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुबंध के अनुसार जमा की जानी चाहिए।

4.1.7 अन्य अनियमितताएं

4.1.7.1 भूमि का अतिक्रमण

हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 408 निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति उचित प्राधिकार के बिना निगम में निहित भूमि से न तो मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री निकालेगा या उसमें कोई सामग्री डालेगा या किसी भी भूमि पर या कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा या न ही उसमें किसी तरह की बाधा पहुंचाएगा। आगे, धारा 408-ए में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति/निकायों द्वारा भूमि के किसी अतिक्रमण या अनधिकृत रूप से अपने अधिकार में लेने के मामले में, निगम इसे अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए समय पर कार्रवाई करेगा।

नगर निगम, गुरूग्राम के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि मार्च 2018 तक ₹ 232.64 करोड़ (कोर्ट केस के अलावा) मूल्य की 31.37 एकड़ भूमि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण के तहत थी। नगर निगम, गुरूग्राम अधिनियम की धारा 408-ए के अंतर्गत परिसरों/भूमि या भवनों/भूमि पर निर्माण की गई संरचना अपने अधिकार में लेने या अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने या इसे अपनी मूल अवस्था में वापस लेने के लिए शक्ति दी गई थी परंतु अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं की गई। नगर

निगम, गुरूग्राम ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया (अप्रैल 2018) कि अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगर निगम की भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए।

4.1.7.2 विवाह भवनों/हालों का अनियमित रूप में चलाया जाना

हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 250, 254 और 330 में प्रावधान है कि भवन का निर्माण करने के लिए या किसी कार्य के निष्पादन, परिवर्तन, किसी फैक्टरी में विस्तार करने, कार्यशाला या व्यापार परिसर को बढ़ाने के लिए नगर निगमों के आयुक्त से अनुमति अपेक्षित है। धारा 254 में उल्लिखित स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी निर्माण कार्य का ढांचा खड़ा करना पूर्ण कर लिया जाए तो निगम आयुक्त किसी अन्य कार्रवाई के साथ-साथ निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है।

नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 75 बैंक्वेट हॉल्स[13] निगमों से अनुमति प्राप्त किए बिना अनियमित तौर पर चलाए जा रहे थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निगमों द्वारा न तो विवाह भवन को नियमित करने की कोई प्रक्रिया शुरू की गई और न ही संरचना को ध्वस्त करने के लिए कोई कार्रवाई की गई। नगर निगम, पंचकुला ने बताया (जून 2018) कि अवैध विवाह भवनों को नियमित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है जबकि नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (अप्रैल 2018) कि उन विवाह भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए जो बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं।

सिफ़ारिश: नगर निगम, अधिनियम के अनुसार, बिना अनुमति के चल रहे अवैध विवाह भवनों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।

4.1.7.3 नगर निगम, गुरूग्राम और पुलिस विभाग के मध्य समन्वय के अभाव के कारण हानि

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 201 में प्रावधान है कि ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकृत करे, वाहन मालिक या ऐसे वाहन के प्रभारी व्यक्ति से जुर्माना या टोइंग प्रभार वसूल करेगा। टोइंग प्रभार में मोटर वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सभी लागत शामिल होंगे।

ट्रैफिक पुलिस, गुरूग्राम के अनुरोध पर नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा एक ठेकेदार से टोइंग वाहन किराए पर लिए गए (जनवरी 2016) और ट्रैफिक पुलिस, गुरूग्राम के पास पार्किंग-निषेध क्षेत्रों में पार्क किए गए वाहनों को उठाने के लिए और जुर्माना लगाने के लिए रखे गए। जुर्माने की राशि (पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने के अलावा) को ठेकेदार और नगर निगम, गुरूग्राम के मध्य 66:34 के अनुपात में बांटा जाना था। नगर निगम, गुरूग्राम के साथ अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा टोइंग प्रभार एकत्र किए जाने

[13] नगर निगम गुरूग्राम: 63 तथा नगर निगम पंचकुला: 12

अपेक्षित थे। हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 201 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही जुर्माना या टोइंग प्रभार वसूल करना अपेक्षित था और न तो नगर निगम, गुरूग्राम और न ही नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा लगाया गया ठेकेदार इस श्रेणी के अंतर्गत आता है।

नगर निगम, गुरूग्राम के अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि ठेकेदार ने सात क्रेनें प्रदान कीं (18 जनवरी 2016) जो 29 फरवरी 2016 तक पुलिस विभाग के पास रहीं एवं ठेकेदार द्वारा चूककर्ताओं से टोइंग प्रभार एकत्र नहीं किया गया था क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 201 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न तो पुलिस विभाग द्वारा ठेकेदार को इसकी वसूली की अनुमति दी गई थी और न ही ठेकेदार को वसूली के लिए अधिकृत करना संभव था। परिणामस्वरूप वाहनों के टोइंग प्रभार की राशि वसूल नहीं की गई। नगर निगम, गुरूग्राम ने इस अवधि के लिए ठेकेदार को ₹ 4,750 प्रति क्रेन प्रतिदिन की दर पर ₹ 15.93 लाख राशि के किराया प्रभारों का भुगतान किया। ये क्रेनें 29 जुलाई 2016 से 30 नवंबर 2016 के दौरान इन्हीं शर्तों एवं निबंधनों पर फिर से पुलिस विभाग को प्रदान की गई परंतु कोई जुर्माना एकत्र नहीं किया गया। तथापि, ठेकेदार को ₹ 60.80 लाख के भुगतान किए गए (दिसंबर 2016 और मार्च 2017)। इस प्रकार, नगर निगम, गुरूग्राम को इसके दायरे से बाहर गतिविधियों को करने के कारण ₹ 76.73 लाख की हानि उठानी पड़ी।

नगर निगम, गुरूग्राम ने बताया (जून 2017) कि अनधिकृत पार्किंग के लिए जुर्माना पुलिस विभाग द्वारा लगाया गया था और उनके द्वारा अपने स्तर पर राजस्व भी कमाया गया। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा पुलिस विभाग के साथ बिना किसी समझौता ज्ञापन के या उसके माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए प्रभार वसूल करने के लिए अपने कार्यक्षेत्र के बाहर गतिविधियां की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 76.73 लाख का अनियमित व्यय हुआ जो कि नगर निगम, गुरूग्राम के कार्य का हिस्सा नहीं था।

4.1.7.4 स्टाफ की कमी

मार्च 2018 की समाप्ति पर नगर निगमों की संस्वीकृत एवं तैनात स्टाफ की समस्त स्थिति निम्नानुसार थी:

संस्वीकृत एवं तैनात स्टाफ की स्थिति

स्टाफ की श्रेणी	नगर निगम का नाम	संस्वीकृत स्टाफ	तैनात	कमी (प्रतिशतता)
तकनीकी (ग्रुप ए, बी और सी)	नगर निगम, गुरूग्राम	85	62	23 (27)
	नगर निगम, पंचकुला	69	47	22 (32)
गैर-तकनीकी (ग्रुप ए और बी)	नगर निगम, गुरूग्राम	31	19	12 (39)
	नगर निगम, पंचकुला	06	03	03 (50)
गैर-तकनीकी (ग्रुप सी)	नगर निगम, गुरूग्राम	425	81	344 (81)
	नगर निगम, पंचकुला	84	14	70 (83)
ग्रुप डी	नगर निगम, गुरूग्राम	94	19	75 (80)
	नगर निगम, पंचकुला	17	10	07 (41)
कुल		**811**	**255**	**556 (69)**

विभिन्न संवर्गों में ये देखा जा सकता है कि मार्च 2018 को मानवशक्ति संसाधनों में 27 से 83 प्रतिशत तक कमी थी।

सिफारिश: संबंधित नगर निगमों को रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाना चाहिए ताकि नगर निगम के काम-काज को सुव्यवस्थित किया जा सके और दक्षता में वृद्धि की जा सके।

4.1.7.5 वार्षिक लेखा तैयार न किया जाना

नगरपालिका लेखा संहिता 1930 के अनुच्छेद III 7(1) के साथ पठित हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 168 में प्रावधान है कि नगरपालिका के संबंध में हर साल एक वार्षिक लेखा तैयार किया जाना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नगर निगम, पंचकुला द्वारा इसकी स्थापना (मार्च 2010) से वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जा रहे थे। हालांकि नगर निगम, पंचकुला में आय-व्यय का ब्यौरा तैयार किया जा रहा था। वार्षिक लेखे तैयार न किए जाने के कारण नगर निगम, पंचकुला के मामलों का सही एवं न्यायोचित अवलोकन निश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, नगर निगम, पंचकुला की लेखापरीक्षा (फरवरी 2021 से जून 2021) के दौरान भी यह देखा गया कि नगर निगम, पंचकुला द्वारा वार्षिक लेखे अभी भी तैयार नहीं किए जा रहे थे।

4.1.8 निष्कर्ष

नगर निगम, गुरूग्राम और नगर निगम, पंचकुला का प्रतिस्थापन आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजना बनाने और जलापूर्ति, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, शहरी आयोजना, भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं आदि की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। इनका वित्तीय प्रबंधन मजबूत नहीं था क्योंकि ₹ 342.91 करोड़ के बकाया अग्रिमों का समायोजन न करना, वस्तु एवं सेवा कर से छूट का लाभ न उठाया जाना, ई-निविदा की बजाय कोटेशन आधार पर स्टोर मदों की खरीद, समन्वय का अभाव और भूमि के अतिक्रमण के कारण राजस्व की हानि के मामले थे। विकास गतिविधियों को निष्पादित करने एवं नगर निगम को सक्षम बनाने के लिए राजस्व वसूली एक महत्वपूर्ण पहलू है परंतु कर की वसूली न करने, दुकानों के किराए की वसूली न करने, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए शुल्क प्रभारित न करने के कारण राजस्व की हानि, मोबाइल/संचार टॉवरों के अनधिकृत प्रस्थापन के कारण हानि, अग्निशमन कर सहित संपत्ति कर की अवसूली, नगरपालिका बिजली कर की वसूली न होना, चैकों के अस्वीकृत होने के कारण राजस्व की वसूली न होने के कई मामले थे। निस्संदेह बहुत सी निधियां नगर निगमों के पास अव्ययित पड़ी थी और भारी मात्रा में राजस्व का लाभ नहीं उठाया जा रहा था। अत: यह सिफारिश की जाती है कि सरकार दोनों नगर निगमों की कार्यविधि में सुधार लाने और अपने संविधान के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उनकी गतिविधियों की निगरानी करे।

ये बिंदु फरवरी 2019 में सरकार को भेजे गए परंतु उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

4.2 अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

4.2.1 प्रस्तावना

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शहरों में बुनियादी सेवाएं प्रदान करने हेतु, अर्थात् घरों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और सुविधाओं का निर्माण करने के लिए शुरू किया गया था ताकि सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। मिशन के केंद्र बिंदु के आकर्षण क्षेत्र इस प्रकार थे (i) जलापूर्ति (ii) सीवरेज सुविधा और जल निकासी प्रबंधन (iii) बाढ़ को कम करने के लिए स्टार्म वाटर ड्रेनज (iv) पैदल यात्री, बिना मोटर वाले और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल और (v) हरित स्थलों, विशेषकर बच्चों के लिए पार्कों और मनोरंजन केंद्रों का सृजन एवं उन्नत करके शहरों के सुविधा मूल्य को बढ़ाना।

शहरी विकास मंत्रालय में शीर्ष समिति राज्यों को वार्षिक बजट प्रदान करती है। राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति शहर सेवा स्तर सुधार योजना को शहरी स्थानीय निकायों स्तर पर तैयार करवाती है और राज्य वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए सभी सेवा स्तर सुधार योजनाएं इकट्ठा करती है। शीर्ष समिति राज्य की सेवा स्तर सुधार योजनाओं को सूचित एवं अनुमोदित करती है। राज्य वार्षिक कार्य योजना के ₹ 2,565 करोड़ की कुल राशि के विरूद्ध 2015-18 के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ₹ 313.36 करोड़ की राशि जारी की गई। इसके अलावा फरवरी 2016 में भारत सरकार द्वारा सेवा स्तर सुधार योजना तैयार करने और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बनाने के लिए ₹ पांच करोड़ का अग्रिम निर्मुक्त किया गया।

मिशन की गतिविधियों की योजना एवं कार्यान्वयन में कुशलता का मूल्यांकन करने के विचार से, राज्य में 2015-18 की अवधि के लिए महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकायों के साथ राज्य में 20 मिशन शहरों को लेते हुए कुल 18[14] शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना-जांच मार्च-जून 2018 में की गई।

4.2.2 वित्तीय प्रबंधन

4.2.2.1 निर्मुक्त और अनधिकृत रूप से रोकना और निधियों का अनुप्रयोग में विलंब

मिशन दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 9.5 निर्धारित करता है कि राज्य द्वारा केंद्रीय हिस्से की निर्मुक्ति के सात कार्य दिवसों के भीतर शहरी स्थानीय निकाय को राज्य हिस्से के साथ-साथ केंद्रीय सहायता निधियां भी निर्मुक्त करनी चाहिए।

[14] (i) अंबाला कैंट और अंबाला शहर को मिलाकर नगर निगम, अंबाला, (ii) करनाल, (iii) जगाधरी और यमुनानगर से समाविष्ट यमुनानगर, (iv) पानीपत, (v) सोनीपत, (vi) पंचकुला, (vii) रोहतक, (viii) फरीदाबाद, (ix) गुरूग्राम, (x) हिसार, (xi) नगर परिषद, भिवानी, (xii) बहादुरगढ़, (xiii) जींद, (xiv) पलवल, (xv) रेवाड़ी, (xvi) थानेसर, (xvii) कैथल तथा (xviii) सिरसा।

महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार ने नीचे दिए विवरण के अनुसार राज्य हिस्से के साथ-साथ केंद्रीय सहायता को तीन से सात महीनों के विलंब से निर्मुक्त किया:

अनुदानों की निर्मुक्ति में विलंब

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राप्त अनुदान (केंद्रीय हिस्सा और राज्य हिस्सा)	राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृति की तिथि	शहरी स्थानीय निकायों को निर्मुक्ति की तिथि	निर्मुक्त अनुदान	विलंब
1.	87.60	20 फरवरी 2016	03 अक्तूबर 2016	79.6	7 माह 13 दिन
2.	101.76	22 सितंबर 2016	16 जनवरी 2017	72.49	3 माह 24 दिन
3.	123.50	11 दिसंबर 2017	27 मार्च 2018	130.00	3 माह 16 दिन
	312.86			**282.09**	

स्रोत: महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, पंचकुला

आगे, यह देखा गया कि महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 312.86 करोड़ की संस्वीकृति के विरूद्ध ₹ 30.77 करोड़ रोक कर ₹ 282.09 करोड़ निर्मुक्त किए। इसमें से, ₹ 12.85 करोड़ का व्यय, प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों के तौर पर किया गया और ₹ 17.92 करोड़ निदेशालय के पास पड़े थे। परियोजना निधियों का प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों पर व्यय करना और निदेशालय द्वारा निधियों का रखा जाना अनियमित था क्योंकि निधियां परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट थी।

4.2.2.2 निधियों का उपयोग न करना

(क) लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 18 नगरपालिकाओं को निर्मुक्त ₹ 282.09 करोड़ में से, 2015-17 के दौरान केवल तीन[15] नगरपालिकाओं ने परियोजनाओं पर ₹ 60.05 करोड़ (21 प्रतिशत) व्यय किए और ₹ 222.04 करोड़ की शेष राशि बैंक खातों में पड़ी थी। इस प्रकार, परियोजनाओं का कार्यान्वयन और निधियों का उपयोग बहुत धीमा था। पहली किस्त की निधियों का उपयोग न होने के कारण विभाग, भारत सरकार से दूसरी और तीसरी किस्त का दावा नहीं कर सका।

नगर निगम, फरीदाबाद ने बताया (जुलाई 2018) कि राशि व्यय नहीं की जा सकी क्योंकि परियोजना को अंतिम रूप दिया जाना शेष था।

(ख) सेवा स्तर सुधार योजनाओं को तैयार करने और शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा जुलाई 2015 में ₹ पांच करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई। इसमें से, फरवरी 2016 में 18 नगरपालिकाओं को ₹ 25 लाख प्रत्येक की निधियां निर्मुक्त की गई। तथापि लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि राशि नगर परिषद, सिरसा (₹ 1.50 लाख) के अलावा किसी भी नगरपालिका द्वारा प्रयुक्त नहीं की गई।

आगे, यह अवलोकित किया गया कि ₹ 25 लाख की राशि नगर निगम, सोनीपत के बैंक खातों में क्रेडिट नहीं किए गए थे जबकि निधियों की निर्मुक्ति से दो वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी थी। नगर निगम, सोनीपत ने स्वीकार किया (फरवरी 2018) कि राशि

[15] (i) अंबाला: ₹ 13.39 करोड़ (ii) करनाल: ₹ 46.16 करोड़ (iii) हिसार: ₹ 0.50 करोड़।

प्राप्त नहीं की गई थी और बताया कि मामला निदेशालय के साथ उठाया गया है।

4.2.2.3 परियोजना निधियों का वेतन एवं भत्तों की ओर विपथन

मिशन दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 3.1.9 भूमि की खरीद, स्टाफ वेतन, बिजली, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार श्रम, इत्यादि पर व्यय किया जाना निषेध करता है। अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि हिसार और अंबाला नगर निगम ने वेतन और भत्तों पर क्रमश: ₹ 50 लाख और ₹ 88.20 लाख खर्च किए जो दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। नगर निगम, हिसार ने बताया कि राशि की पूर्ति नगरपालिका निधियों से कर ली जाएगी।

4.2.2.4 पृथक बैंक खाता न रखा जाना

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियां पृथक बैंक खाते में रखी जानी थी। अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन स्कीम का कोई पृथक बैंक खाता नहीं रखा गया था। स्कीम निधियां नगर निगम, फरीदाबाद के नाम पर खोले गए सामान्य बैंक खातों में रखी गई थी। पृथक बैंक खाते न होने के कारण कमाये गये ब्याज और स्कीम पर इसका उपयोग का पता नहीं लगाया जा सका।

सिफारिश: निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करे कि निधियां समय पर जारी की जाएं। इसके अतिरिक्त, संबंधित नगरपालिकाएं यह सुनिश्चित करें कि निधियों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य पर और समय पर संस्वीकृति के अनुसार किया जाना चाहिए।

4.2.3 परियोजना कार्यान्वयन

4.2.3.1 प्राथमिकता आधार पर परियोजनाएं नहीं लिया जाना

परियोजना दिशानिर्देशों के पैरा 6.6 के अनुसार, स्कीम व्यापक तौर पर जल आपूर्ति से शुरू की जानी थी उसके बाद सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनज, शहरी परिवहन आदि निधियों की उपलब्धता के आधार पर जल आपूर्ति और सीवरेज को एक साथ लिया जा सकता है।

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि परियोजनाएं जलापूर्ति, सीवरेज इत्यादि की आधारभूत स्थिति निश्चित करने के बाद दिशानिर्देशों में विचारित प्राथमिकता नीति के अनुसार नहीं ली गई थी। छ:[16] नगरपालिकाओं ने अपने क्षेत्रों में 23 और 38 प्रतिशत के मध्य की सीमा में जलापूर्ति में सेवा स्तरीय अंतराल के बावजूद जलापूर्ति परियोजनाओं को नहीं लिया था। जलापूर्ति परियोजनाएं लेने की बजाय इन नगरपालिकाओं द्वारा अन्य परियोजनाएं जैसे सीवरेज, ड्रेनेज इत्यादि ली गई जोकि मिशन दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

आयुक्त, नगर निगम, करनाल ने बताया (जुलाई 2018) कि जलापूर्ति परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में थी।

सिफारिश: मिशन के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित प्राथमिकता नीति के अनुसार परियोजनाओं को लिया जाना चाहिए।

---

[16] (i) करनाल (30 प्रतिशत अंतर), (ii) पानीपत (35 प्रतिशत अंतर) (iii) थानेसर (38 प्रतिशत अंतर) (iv) जींद (33 प्रतिशत अंतर) (v) हिसार (25 प्रतिशत अंतर) तथा (vi) सिरसा (23 प्रतिशत अंतर)।

4.2.3.2 निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों के उल्लंघन में मोबिलाइजेशन अग्रिम का अनियमित भुगतान

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त संख्या 4.23.2 के अनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम स्वीकृत अनुबंध राशि की 10 प्रतिशत की दर पर बैंक गारंटी के विरूद्ध दो किश्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त, जो स्वीकृत अनुबंध राशि के पांच प्रतिशत से अधिक न हो, को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद निर्मुक्त किया जाना था। ठेकेदार द्वारा मांग पर दूसरी किस्त की निर्मुक्ति केवल सेवा सुधार योजना की प्रस्तुति के बाद तथा प्रथम किस्त के प्रयोग के विवरण की प्रस्तुति पर ही की जानी थी। तथापि, यह अवलोकित किया गया कि नगर निगम, अंबाला ने मोबिलाइजेशन अग्रिम की प्रथम किस्त के उपयोग का ब्यौरा प्राप्त किए बिना अंबाला सीवरेज अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन कार्यक्रम के लिए दिसंबर 2017 में ₹ 6.69 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम की दूसरी किस्त दे दी थी। जनवरी 2018 तक ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू भी नहीं किया गया था। अत: ₹ 6.69 करोड़ की दूसरी किस्त की निर्मुक्ति विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना शर्त की उल्लंघना थी और ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के समान थी।

4.2.3.3 एकल निविदा पर कार्य का अनियमित आबंटन

लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 13.18.1 (जी.) के अनुसार, एकल निविदा पर सामान्यत: विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां न हों। यदि विशेष परिस्थितियां नहीं हैं तो निविदा पुन: आमंत्रित की जानी चाहिए। यदि पुन: निविदा का परिणाम फिर से एकल निविदा में होता है तो इसकी स्वीकृति उपयुक्त औचित्य एवं कारणों के साथ स्वीकार की जाएगी।

नगर निगम, करनाल ने ₹ 158.98 करोड़ के लिए अनुक्रमिक बैच रिएक्टर टेक्नोलोजी पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए निविदाएं आमंत्रित की (मार्च 2017)। आमंत्रित प्रत्युत्तर में दो बोलीकर्ता आगे आए। इसी दौरान भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा प्रारंभ की गई और वस्तु एवं सेवा कर की दरों में उतार-चढ़ाव के बारे में स्पष्टता नहीं थी। इस कारण, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने अपनी 9वीं बैठक में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के बाद प्रतियोगी दरें खोजने के लिए निविदा पुन: आमंत्रित करने का निर्णय लिया (जून 2017)।

तदनुसार, जुलाई 2017 में निविदाएं पुन: आमंत्रित की गई और निविदा प्रक्रिया में दो बोलीकर्ताओं ने भाग लिया। तथापि, केवल एक एजेंसी तकनीकी रूप से योग्य थी और बातचीत के बाद इसे ₹ 178.10 करोड़ के लिए कार्य आबंटित कर दिया गया। इस प्रकार, कार्य केवल एकल निविदा के आधार पर आबंटित किया गया। चूंकि एकल निविदा पर कार्य आबंटित करने की कोई विशेष परिस्थितियां नहीं थी, कार्य आबंटन नियमानुसार नहीं था इसकी बजाय निविदाएं लोक निर्माण विभाग संहिता में मांग अनुसार पुन: आमंत्रित की जानी चाहिए थी।

कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, करनाल ने बताया (जुलाई 2018) कि पहली बार दो

निविदाएं प्राप्त की गई और उन्हें राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात पुन: निविदा की गई जिसकी बोली प्रक्रिया में दो बोलीकर्ताओं ने भाग लिया परंतु एक निविदा तकनीकी आधार पर अस्वीकृत कर दी गई और बची हुई एक निविदा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मार्च 2017 में आमंत्रित निविदाओं को प्रथम निविदा प्रक्रिया नहीं माना जा सकता क्योंकि इन निविदाओं को अलग रख दिया गया और वस्तु एवं सेवा कर में अनिश्चितताओं के कारण निविदाएं पुन:आमंत्रित की गई। इस प्रकार, किन्हीं विशेष परिस्थितियों के बिना कार्य एकल निविदा पर सौंपा गया जो एजेंसी को अनुचित लाभ प्रदान करने के समान थी।

सिफारिश: विकास कार्यों को करते समय लोक निर्माण संहिता का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, परियोजना के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे कार्यों की विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना और अनुबंध समझौते के नियम और शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।

4.2.3.4 विभागों से स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य का आबंटन

मिशन दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 6.10 निर्धारित करता है कि कार्य आदेश तब तक जारी नहीं किए जाने चाहिए जब तक संबंधित विभागों से सभी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाएं।

नगर निगम, करनाल के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 'इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण' का कार्य जुलाई 2017 में आबंटित किया गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि वन विभाग, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति/अनुमति प्राप्त किए बिना कार्य आबंटित किया गया जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2018 तक एजेंसी द्वारा कार्य का केवल 10 प्रतिशत कार्य निष्पादित किया गया। इस प्रकार, विभिन्न विभागों से क्लीयरेंस प्राप्त किए बिना कार्य के आबंटन के परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों का धीमा निष्पादन हुआ जिससे स्टॉर्म वाटर ड्रेन एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा से नागरिक वंचित रह गए।

नगर निगम, करनाल ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2018) और बताया कि वन विभाग से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र', उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से पोल्स का स्थानांतरण एवं लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से रोड क्रॉसिंग की अनुमति प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्यों को तीव्र गति से किया जाएगा।

सिफारिश: संबंधित विभाग से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही कार्य आबंटित किया जाना चाहिए।

4.2.3.5 क्षमता निर्माण एवं निगरानी

मिशन दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-7 में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकाय कार्यात्मक ज्ञान

में वृद्धि करने, कार्य से संबंधित कौशल सुधारने और नगर निगम कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए शहरी स्थानीय निकायों के सभी चयनित प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अभिलेखों की संवीक्षा से, तथापि ज्ञात हुआ कि शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था परंतु नौ[17] नगरपालिकाओं में चयनित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। नगर परिषद, सिरसा में 31 चयनित प्रतिनिधियों में से 16 चयनित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। शेष आठ[18] नगरपालिकाओं में, चयनित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के बारे में रिकार्ड नहीं रखा गया। चूंकि चुने हुए प्रतिनिधियों को आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, उनके द्वारा योजना के तौर-तरीकों के लिए सराहना की कमी थी और उनके कार्यात्मक ज्ञान और कौशल को बढ़ाया जाना था। इसके परिणामस्वरूप, उनके इनपुट का लाभ नहीं लिया जा सका और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निगरानी का अभाव था।

मिशन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 15.1 के अनुसार, मिशन के अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निगरानी और समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समितियां गठित की जानी थी। अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि छः[19] नगरपालिकाओं में जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति गठित नहीं की गई परिणामतः परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निगरानी का अभाव था, यहां तक कि नगर निगम, करनाल को छोड़कर ठेकेदारों को निर्माण कार्य भी आबंटित नहीं किए गए।

4.2.4 निष्कर्ष

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जून 2015 में भारत सरकार द्वारा परिवारों को जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करने और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरों में सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रारंभ की गई थी। परंतु मिशन की परियोजनाओं का कार्यान्वयन बहुत धीमा था। ₹ 2,565 करोड़ के राज्य वार्षिक कार्य योजना के विरूद्ध, ₹ 313.36 करोड़ केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्मुक्त किए गए थे। इसमें से ₹ 282.09 करोड़ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निर्मुक्त किए गए थे परंतु केवल तीन शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 60.05 करोड़ व्यय किए और ₹ 222.04 करोड़ की शेष राशि शहरी स्थानीय निकायों के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। मिशन का कार्यान्वयन बहुत धीमा है क्योंकि मिशन अवधि (2015-17) के तीन वर्षों से अधिक बीतने के बावजूद ₹ 2,565 करोड़ के कुल राज्य वार्षिक कार्य योजना के विरूद्ध केवल 2.34 प्रतिशत व्यय किया गया। निधियों का प्रयोग न होने के कारण, विभाग भारत सरकार से मिशन निधियों की दूसरी एवं तीसरी किश्तों का दावा नहीं कर सका। विभाग द्वारा ₹ 12.85 करोड़ की राशि परियोजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में परियोजना निधियों में से

[17] (i) पानीपत, (ii) करनाल, (iii) रेवाड़ी, (iv) बहादुरगढ़, (v) पलवल, (vi) रोहतक, (vii) थानेसर, (viii) भिवानी तथा (ix) जींद।

[18] (i) अंबाला, (ii) यमुनानगर, (iii) सोनीपत, (iv) पंचकुला, (v) फरीदाबाद, (vi) गुरुग्राम, (vii) हिसार, तथा (viii) कैथल।

[19] (i) पानीपत, (ii) सिरसा, (iii) करनाल, (iv) रेवाड़ी, (v) पलवल तथा (vi) जींद।

प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय पर खर्च कर दी गई। आगे, छः नगरपालिकाओं द्वारा जलापूर्ति परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई जैसा कि दिशानिर्देशों में प्रावधान था। ₹ 6.69 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम का अनियमित भुगतान अनुबंधकीय एजेंसी को किया गया। कार्य आबंटन करने के लिए मौजूदा नियमों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले थे।

4.3 शहरी स्थानीय निकायों में कार्यों का निष्पादन

4.3.1 परिचय

शहरी स्थानीय निकाय या नगरपालिकाएं शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक प्रशासनिक इकाइयां हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न अनुदानों/योजनाओं के अंतर्गत जैसे कि वैट पर सरचार्ज (राजीव गांधी शहरी विकास योजना), दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती योजना, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग तथा नगरपालिका निधियों के रूप में प्राप्त धनराशि से विभिन्न विकास कार्यों को निष्पादित करते हैं। अनुदान/योजनाओं के अंतर्गत, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण, मरम्मत, नालियों वाली सड़कों का सुदृढ़ीकरण और निर्माण, पार्कों का विकास, स्ट्रीट लाइट प्रदान करना, सीवरेज सिस्टम, पानी की आपूर्ति आदि जैसे विकास कार्य निष्पादित किए जाते हैं। राज्य में, 2016-19 के दौरान विकास कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 4,391.11 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। 2016-19 के दौरान नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं में ₹ 1,809.40 करोड़ की प्राप्ति के विरूद्ध ₹ 1,403.65 करोड़ का व्यय हुआ।

यह देखने के लिए कि क्या कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था, निदेशालय, 10 नगर निगमों में से तीन[20], 18 नगर परिषदों में से पांच[21] और 52 नगरपालिकाओं में से 15[22] को आइडिया के माध्यम से अव्यवस्थित नमूना पद्धति का उपयोग करके नमूना-जांच के लिए चुना गया था। 2016-19 की अवधि के लिए इन नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा अप्रैल-अक्तूबर 2019 के दौरान की गई थी। 23 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में 702 कार्य जैसे सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नालियों सहित सड़कों का निर्माण आदि, जो सभी कार्यों की कुल आबंटित राशि का 51 प्रतिशत है, संवीक्षा के लिए चयनित किए गए थे।

4.3.2 आयोजना

सेवाओं की कुशल तथा समयबद्ध सुपुर्दगी के लिए उचित आयोजना की आवश्यकता होती है ताकि संसाधनों को व्यवस्थित किया जा सके और बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रणालीगत ढंग से अपेक्षित ढांचा विकसित किया जा सके। नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आयोजना कुशल नहीं थी जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

---

[20] (i) करनाल (ii) फरीदाबाद और (iii) यमुनानगर।

[21] (i) हांसी, (ii) थानेसर, (iii) गोहाना, (iv) रेवाड़ी और (v) टोहाना।

[22] (i) नारायणगढ़, (ii) समालखा, (iii) रादौर, (iv) बेरी, (v) सांपला, (vi) महम, (vii) महेंद्रगढ़, (viii) रनिया, (ix) सफीदों, (x) पेहोवा, (xi) लाडवा, (xii) कलायत, (xiii) पटौदी, (xiv) शाहबाद और (xv) बवानी खेड़ा।

4.3.2.1 योजनाओं की तैयारी न होना

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 42 के अनुसार, नगर निगमों को सौंपे गए सभी कार्यों के संबंध में नगर निगमों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक नगर निगम को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों के लिए योजना तैयार करने और उसे जिले के विकास योजना में समेकन के लिए जिला आयोजना समिति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि न तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना और न ही नमूना-जांच किए गए किसी नगर निगम द्वारा जिलों की विकास योजना को तैयार किया गया था। उचित आयोजना के बिना विकास कार्यों का निष्पादन तदर्थ आधार पर निगमों द्वारा किया गया।

सिफारिश: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि नगरपालिकाएं आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करें।

4.3.2.2 क्षेत्र सभा और वार्ड समितियों की स्थापना न करना

हरियाणा नगरपालिका नागरिक सहभागिता अधिनियम, 2008 प्रस्तावों को उत्पन्न करने और क्षेत्र में लागू होने वाली योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक क्षेत्र सभा के गठन का प्रावधान करता है। इसी प्रकार, विकास योजनाओं की तैयारी और निगरानी में सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए वार्ड समितियां, जिसमें वार्ड पार्षद अध्यक्ष और निगमों द्वारा नामित प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं (तीन से कम और दस से अधिक व्यक्ति न हों), गठित करनी थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगरपालिकाओं के किसी भी वार्ड में क्षेत्र सभा और वार्ड समिति का गठन नहीं किया गया था। संबंधित नगरपालिकाओं ने बताया (अप्रैल-अक्तूबर 2019) कि क्षेत्र सभा और वार्ड समिति का गठन जल्द से जल्द किया जाएगा। इस प्रकार, क्षेत्र सभा और वार्ड समिति के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रस्तावों को प्राप्त नहीं किया गया था और ये समितियां विकास योजनाओं की तैयारी और निगरानी में शामिल नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित क्षेत्रों की जरूरतों के संदर्भ में क्षेत्र सभा के परामर्श से योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित नहीं की जा रही थी तथा विकास योजनाओं की तैयारी और निगरानी के लिए सहायता लेने में वार्ड समिति का लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा था।

4.3.3 वित्तीय प्रबंधन

4.3.3.1 निधियों का विपथन

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर सहायता अनुदान की स्वीकृति ने निर्दिष्ट किया कि निधियों का उपयोग परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाएगा। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि आठ नगरपालिकाओं[23] ने 2016-19 के दौरान सड़कों की मरम्मत, संचालन

[23] (i) करनाल (ii) यमुनानगर-जगाधरी (iii) सांपला (iv) गोहाना (v) रादौर (vi) पेहोवा (vii) हांसी और (viii) पटौदी।

और रख-रखाव पर ₹ 53.46 करोड़ में से ₹ 2.39 करोड़ खर्च किए। इस व्यय में परिसंपत्तियों का सृजन शामिल नहीं हैं। इसी तरह, वैट (राजीव गांधी शहरी विकास योजना) पर सरचार्ज के संबंध में ₹ 2.28 करोड़ में से ₹ 0.07 करोड़ का सहायता अनुदान, अग्रिम राशि के रिफंड और निर्माण कार्यों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर विपथित किया गया था। इस प्रकार, परिसंपत्तियों के सृजन के बजाए ₹ 2.46 करोड़ अन्य कार्यों पर विपथित किए गए थे। उत्तर में, नगरपालिकाओं ने बताया (मई-अक्तूबर 2019) कि परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य मदों पर किए गए व्यय को पूरा किया जाएगा और इन अनुदानों में से इस प्रकार की वस्तुओं पर होने वाले व्यय को भविष्य में टाला जाएगा।

सिफारिश: नगरपालिकाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इन्हें संस्वीकृत किया गया था।

4.3.3.2 अप्रयुक्त अनुदानों का निवेश न करने के कारण ब्याज की हानि

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 60 के अनुसार, अधिशेष निधियां, जो वर्तमान प्रभारों के लिए आवश्यक नहीं थी, को नगर परिषद/नगर पालिका द्वारा निवेश करने की आवश्यकता थी।

कार्यों के निष्पादन के लिए अप्रैल 2009 और जनवरी 2018 के बीच शहरी स्थानीय निकाय विभाग से तीन नगरपालिकाओं[24] को ₹ 15.08 करोड़ प्राप्त हुए। हालांकि, वन विभाग द्वारा साइट की स्वीकृति नहीं मिलने, पुराने भवन के अस्तित्व आदि के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। धन को अधिक ब्याज दर अर्जित करने के लिए सावधि जमा में निवेश करने के बजाय बचत बैंक खाते में रखा गया। इससे इन नगरपालिकाओं को ₹ 1.07 करोड़[25] के ब्याज का नुकसान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, नगर परिषद, गोहाना ने बताया (सितंबर 2019) कि राशि भविष्य में सावधि जमा में रखी जाएगी। नगर परिषद, टोहाना ने बताया (अक्तूबर 2019) कि कार्य शुरू कर दिया गया था और जल्द ही पूरा हो जाएगा। तथ्य यह है कि अप्रयुक्त अनुदानों का निवेश न करने के कारण, नगरपालिकाओं को ₹ 1.07 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ।

4.3.3.3 रेलवे के साथ निर्माण लागत को साझा न करना

भारतीय रेलवे स्थायी मार्ग नियमावली (जून 2006) का पैरा 925 (4) प्रावधान करता है कि नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित व्यस्त स्तर के लेवल क्रॉसिंग[26] को बदलने में निर्मित रेलवे ओवर ब्रिज/रेलवे अंडर ब्रिज, जहां हल्के वाहनों का आवागमन अधिक है और जहां रेलवे लेवल क्रॉसिंग के बंद होने के कारण होने वाली कठिनाई पर संतुष्ट है, हल्के वाहन यातायात के उपयोग के लिए रैंपों के साथ भूमिगत मार्ग या एक लाइट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया जा सकता है। इन रैंपों/भूमिगत मार्ग की लागत 50:50 के आधार

---

[24] (i) गोहाना, (ii) टोहाना और (iii) शाहबाद।

[25] (i) गोहाना: ₹ 76.92 लाख (ii) टोहाना: ₹ 12.67 लाख और (iii) शाहबाद: ₹ 17.82 लाख (उधार दरों के आधार पर गणना की गई)।

[26] एक इंटरसेक्शन जहां रेलवे लाइन समान स्तर पर सड़क को पार करती है।

पर प्रायोजक प्राधिकरण के साथ समान रूप से सांझा की जाएगी।

महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने दिसंबर 2017 में रेलवे के साथ परामर्श से एक कम ऊंचाई भूमिगत मार्ग और एक फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 13.62 करोड़ थी और इस विस्तार के लिए निधियां जनवरी 2018 में रेलवे को नगर निगम, करनाल द्वारा जमा की गई थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय रेलवे स्थायी मार्ग नियमावली के पैरा 925(4) के संदर्भ में, कम ऊंचाई भूमिगत मार्ग और फुट ओवर ब्रिज पर खर्च को 50:50 के आधार पर रेलवे के साथ साझा करने की आवश्यकता थी, लेकिन नगर निगम, करनाल ने 50 प्रतिशत अर्थात ₹ 6.81 करोड़ के बजाय पूरी लागत (₹ 13.62 करोड़) जमा की थी। इसके परिणामस्वरूप नगर निगम निधि में से ₹ 6.81 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, नगर निगम, करनाल ने बताया (मई 2019) कि व्यय के बंटवारे के लिए इस मामले को रेलवे के साथ उठाया जाएगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2021)।

4.3.4 कार्यों के निष्पादन में अनियमितता

4.3.4.1 कार्यों का अनियमित आबंटन

(i) निविदाएं निरपवाद रूप से अत्यधिक पारदर्शी स्वरूप में आमंत्रित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश (फरवरी 2014) निर्दिष्ट करते हैं कि गैर-अनुसूचित मदों के संबंध में समर्थन उद्धरणों आदि के साथ उनकी दरों के औचित्य के लिए उचित सहायक दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए।

2017-18 के दौरान दो नगर परिषदों[27] ने आठ कार्यों के प्राक्कलन ₹ 10.10 करोड़ से संशोधित करके ₹ 28.29 करोड़ किए और उन्हीं एजेंसियों/ठेकेदारों को संवर्धित कार्य आबंटित किए, जिन्हें संवर्धन से पहले कार्य का आबंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि ₹ 18.19 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों में से ₹ 7.23 करोड़ (40 प्रतिशत) की गैर-अनुसूचित मदें उन प्राक्कलनों में थीं जिनके लिए कोई दर विश्लेषण नहीं किया गया था। चूंकि कार्य के बढ़े हुए दायरे में पर्याप्त मात्रा में गैर-अनुसूचित मदें शामिल थीं और कार्यों की प्रकृति मूल कार्य की तुलना में भिन्न थी, इन कार्यों को अलग-अलग कार्यों के रूप में माना जाना चाहिए और गैर-अनुसूचित मदों की दरों की टेंडरिंग और विश्लेषण के बाद इन्हें आबंटित किया जाना चाहिए था।

इसी तरह नगरपालिका, रानिया में ₹ 59.73 लाख (39 प्रतिशत) की गैर-अनुसूचित मदों को ₹ 151.81 लाख (₹ 49.50 लाख से बढ़ाकर) के प्राक्कलन में शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निदेशालय के निर्देशानुसार गैर-अनुसूचित मदों का दर विश्लेषण नहीं किया गया था।

नगरपालिका, सांपला और रानिया ने बताया (सितंबर 2019) कि मामले की जांच की जाएगी, जबकि नगर परिषद, गोहाना ने बताया कि जन-प्रतिनिधियों की मांग पर कार्यों में वृद्धि की

[27] (i) गोहाना और (ii) सांपला।

गई थी। नगर परिषद, गोहाना का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संवर्धित कार्य संहिता के प्रावधानों/दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद आबंटित किया जाना चाहिए था। नगरपालिका, सांपला और रानिया से आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।

(ii) हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 14.2.1 के अनुसार, प्रत्येक लोक निर्माण विभाग के पास विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के लिए ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए नियम होंगे। निर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर, ठेकेदारों के विभिन्न वर्ग हो सकते हैं, लेकिन इन मापदंडों में निविदा सीमाएं, अधिकार क्षेत्र और प्राप्त की जाने वाली योग्यता शामिल हो सकती है।

नगर परिषद, हांसी ने एक एजेंसी को ₹ 19.97 लाख की कुल आबंटन लागत के साथ एक वर्ष के लिए स्ट्रीट लाइट के रखरखाव का कार्य आबंटित किया। एजेंसी के सूचीबद्ध प्रमाण पत्र के अनुसार, सड़कों और भवन निर्माण कार्यों के लिए एजेंसी की निविदा सीमा ₹ 10 लाख थी। इसके बावजूद, एजेंसी को ₹ 19.97 लाख का बिजली कार्य आबंटित किया गया था। इस प्रकार, अपात्र ठेकेदार को कार्य आबंटित किया गया था। उत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, हांसी ने बताया (जुलाई 2019) कि निविदा जारी की गई थी और कार्य को एल-1 बोलीदाता को आबंटित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य अपात्र ठेकेदार को आबंटित किया गया था।

(iii) जोन 2, 3 और 4 में पार्कों के एक वर्ष के रख-रखाव के कार्य के लिए निविदाएं क्रमशः ₹ 21.58 लाख, ₹ 20.89 लाख और ₹ 48.82 लाख की अनुमानित राशियों पर नगर निगम, करनाल द्वारा अक्तूबर 2018 में आमंत्रित की गई थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार, एजेंसियों ने ₹ 20.30, ₹ 26.06 और ₹ 24.09 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के आधार पर दरों को उद्धृत किया; जो ₹ 1.69, ₹ 1.75 और ₹ 1.74 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह बनता है। बातचीत के बाद, सबसे कम बोली लगाने वाली एजेंसी अपनी उद्धृत दर ₹ 20.30 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह से घटाकर ₹ 2.65 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह करने पर सहमत हुई, जबकि एजेंसी ने मूल रूप से ₹ 20.30 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर उद्धृत की थी। तथापि, ₹ 1.69 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह की गणना मूल रूप से ₹ 20.30 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दरों के आधार पर की गई थी। निगम ने ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों को प्रति वर्ष के बजाय प्रति माह माना। इसके परिणामस्वरूप इन कार्यों का आबंटन उच्च दरों पर हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34.04 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, नगर निगम, करनाल ने बताया कि कार्यों का अनुमान मासिक आधार पर तैयार किया गया था और तदनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निविदाओं में दर वार्षिक आधार पर निविदा द्वारा आमंत्रित और उद्धृत की गई थी।

सिफारिश: लोक निर्माण विभाग संहिता तथा मैनुअल में निर्धारित विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना और अनुबंध समझौते के नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्यों को निष्पादित किया जाना चाहिए। न्यूनतम बोली लगाने वाले को अंतिम रूप देने से पहले सभी बोलीदाताओं की पात्रता सत्यापित की जानी चाहिए।

4.3.4.2 ठेकेदार/एजेंसी को अधिक भुगतान

ठेकेदारों को किसी भी अधिक भुगतान से परिहार के लिए कार्यों के निष्पादन के भुगतान करने से पहले अभिलेखों की उचित जांच, कार्यों का मापन, करारों की धाराओं, कोडल प्रावधानों आदि के संदर्भ में राशियों की गणना की आवश्यकता होती है। अभिलेखों की जांच से पता चला कि भुगतान करने से पहले नगरपालिकाएं इन जांचों का ठीक से उपयोग नहीं कर रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया था, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद ठेकेदारों/एजेंसियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली में नगरपालिकाएं तत्पर नहीं थीं। परिणामस्वरूप, ₹ 1.24 करोड़ वसूल करने बकाया रहे।

अधिक भुगतान का विवरण	राशि (₹ लाख में)	विभाग/नगरपालिका के उत्तर
(i) नगर निगम, करनाल में, 4,747.01 घन मीटर की मात्रा के साथ एक गैर-अनुसूचित मद को "कछवा रोड से कैथल अंडर ब्रिज तक इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक की रिलेइंग" कार्य में शामिल किया गया था। एजेंसी को (सितंबर 2018) ₹ 22 प्रति घन/मी. की उद्धृत दर से कार्य-आदेश जारी किया गया था. आपूर्ति की गई वास्तविक मात्रा 4,643 घन फीट (अर्थात् 4,643 x 0.0283 = 131 घन मीटर) थी और ₹ 2,882 देय थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि नगर निगम, करनाल ने ₹ 1.02 लाख (जनवरी 2019) का भुगतान गलत मापक इकाई लेकर किया था।	0.99	नगर निगम, करनाल ने भुगतान करने में गणना की गलती को स्वीकार किया है (मई 2019)। हालांकि, अधिक भुगतान की वसूली नहीं की गई थी (फरवरी 2021)।
(ii) यदि कार्य के निष्पादन के दौरान, रिफाइनरी में बिटुमेन/इमल्शन की दर बढ़ या घट जाती है, तो रेट में अंतर का भुगतान/कमी अनुबंधित एजेंसी से किया जाना चाहिए। नगर निगम, करनाल में, 2017-18 के दौरान ₹ 6.24 करोड़ की अनुबंध राशि के साथ दो कार्य निष्पादित किए गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिटुमेन/इमल्शन की दरें ज्यादातर कम हुई हैं. हालांकि, बिटुमेन/इमल्शन की दरों में कमी के कारण कोई वसूली नहीं की गई थी। अंतिम/पिछले भुगतान किए गए बिल (फरवरी 2019) के आधार पर वसूली योग्य राशि ₹ 28.59 लाख (दरों के न्यूनतम अंतर के आधार पर) परिकलित होती हैं।	28.59	नगर निगम, करनाल ने बताया (मई 2019) कि डी-एस्केलेशन की राशि को एजेंसियों के अंतिम भुगतान/जमानत से वसूल किया जाएगा। तथापि वसूली की आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।
(iii) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने (जुलाई 2014) अनुदेश दिया कि किसी भी स्थिति में नगरपालिका गैर-अनुसूचित मदों की दरों से अधिक निविदा प्रीमियम की अनुमति नहीं देंगी क्योंकि ये सभी बाजार दरों पर आधारित हैं तथा विश्लेषण कर लागू करों, बाजार मूल्य और ठेकेदार लाभ को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। नगरपालिका, रादौर और यमुनानगर/जगाधरी में दो कार्यों के निष्पादन पर 2017-19 के दौरान उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन में गैर-अनुसूचित मदों पर ठेकेदारों को क्रमशः 18.95 और 20 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.67 लाख (फरवरी 2019) और ₹ 10.67 लाख (सितंबर 2018) का अतिरिक्त भुगतान हुआ।	11.34	नगरपालिका, रादौर ने बताया (अगस्त 2019) कि दरें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई थीं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निदेशालय के निर्देशों के अनुसार प्रीमियम देय नहीं है, नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी ने बताया (अगस्त 2019) कि मामले की जांच की जाएगी और परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

अधिक भुगतान का विवरण	राशि (₹ लाख में)	विभाग/नगरपालिका के उत्तर
(iv) स्टील का उपयोग कार्य-आदेश/हरियाणा की दरों की अनुसूची में दी गई बनावटों के अनुसार किया जाना था। यदि एजेंसी द्वारा कार्य आदेश/हरियाणा की दरों की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार स्टील की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो ₹ 6,000 की दर से मीट्रिक टन कटौती की जाएगी। नगरपालिका पेहोवा, रानिया और सांपला में, एजेंसियों ने छह कार्यों के मामले में कार्य आदेश/हरियाणा की दरों की अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए स्टील से भिन्न अन्य किस्म के स्टील का उपयोग किया है, जिसके लिए ₹ 25.26 लाख की वसूली **(परिशिष्ट-XVII-क के अनुसार)** की जानी थी। जैसे-जैसे कार्य प्रगति पर हैं, कार्यों की प्रगति के साथ वसूलनीय राशि में वृद्धि होगी।	25.26	नगरपालिका पेहोवा और सांपला ने बताया (अगस्त-सितंबर 2019) कि एजेंसियों से वसूली की जाएगी। नगरपालिका, रानिया ने बताया (सितंबर 2019) कि मामले की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।
(v) नगरपालिका, पेहोवा में "पेहोवा में भरमजून के पास सामुदायिक केंद्र और जिम के निर्माण" कार्य में भूमि भरान की मद के लिए दर ₹ 80.31 घन मीटर की दर से दी गई थी, जबकि भुगतान ₹ 230 प्रति घन मीटर की दर से किया गया था (जून 2019)। निष्पादित मिट्टी भराई की कुल मात्रा 8207.71 घन मीटर थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.29 लाख का अधिक भुगतान हुआ।	12.29	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, नगरपालिका पेहोवा ने बताया (अगस्त 2019) कि एजेंसी से वसूली की जाएगी। हालांकि अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।
(vi) नगरपालिका, करनाल, यमुनानगर-जगाधरी और सांपला में चार कार्यों के संबंध में ₹ 69.27 लाख की गैर-अनुसूचित मदों पर भुगतान (नवंबर 2016 से जनवरी 2019) किया गया था। हालांकि, ये मदें हरियाणा की दरों की अनुसूची में उपलब्ध थे। गैर-अनुसूचित मदों की दरें हरियाणा की दरों की अनुसूची दरों से अधिक थीं। हरियाणा की दरों की अनुसूची के अनुसार इन मदों की दरें ₹ 35.75 लाख थीं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.52 लाख **(परिशिष्ट-XVII-ख)** का अधिक भुगतान हुआ।	33.52	नगरपालिका यमुनानगर-जगाधरी और सांपला ने बताया (अगस्त और सितंबर 2019) कि इस मामले की जांच की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। हालांकि, कोई उत्तर नहीं दिया गया (फरवरी 2021)। नगर निगम, करनाल ने बताया (मई 2019) कि हरियाणा की दरों की अनुसूची में उपलब्ध टाइलों और कार्यों में उपयोग की जाने वाली टाइलों की विशिष्टताएं अलग-अलग थी। उत्तर तर्क-संगत नहीं है क्योंकि हरियाणा की दरों की अनुसूची में उपलब्ध मदें प्राक्कलन में गैर-अनुसूचित मदों के रूप में नहीं मानी जानी चाहिए।
(vii) हरियाणा की दरों की अनुसूची के अनुसार, यदि पानी की आपूर्ति विभाग द्वारा निःशुल्क की जाती है, तो ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य की कुल लागत का 0.50 प्रतिशत की वसूली की जानी चाहिए, जिसमें सभी सामग्री, श्रम आदि की लागत भी शामिल है। नगरपालिका फरीदाबाद और रानिया के मामले में, यह देखा गया कि इन नगरपालिकाओं द्वारा पानी की निःशुल्क आपूर्ति की गई थी, लेकिन राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, फरीदाबाद का आधुनिकीकरण; (₹ 4.94 लाख) (मई 2019) (तीसरे रनिंग बिल तक) और (ii) बालासर रोड रानिया में सामुदायिक हॉल और स्टोर्स का निर्माण; ₹ 0.67 लाख) (अगस्त 2019) में जल आपूर्ति के कारण ₹ 5.61 लाख की वसूली नहीं की गई थी।	5.61	नगर निगम, फरीदाबाद ने बताया (जुलाई 2019) कि संबंधित शाखा से उत्तर प्राप्त करने के बाद इसका उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। नगरपालिका, रानिया ने बताया (फरवरी 2021) कि उचित जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।

अधिक भुगतान का विवरण	राशि (₹ लाख में)	विभाग/नगरपालिका के उत्तर
(viii) नगरपालिका, रानिया में, "टाइम स्विच/स्ट्रीट लाइट नियंत्रक" मद के ₹ 2.18 लाख का भुगतान किया गया था (नवंबर 2018)। नगरपालिका, रानिया के कर्मचारियों के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि मदों को स्थापित नहीं किया गया था।	2.18	नगरपालिका, रानिया ने बताया (सितंबर 2019) कि उचित जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।
(ix) नगर निगम, यमुनानगर/जगाधरी में, नाली टाइप-I और-II के साथ वार्ड नंबर 10 में गलियों के निर्माण के कार्यों में 577 ईंट चिनाई वाले चैंबरों का निर्माण किया गया था (जुलाई 2018) जिनके लिए प्रत्येक ईंट चिनाई वाले चैंबर के स्थान पर प्रत्येक चैंबर में पी.वी.सी. पाइप की लंबाई में 1.75 फीट की कटौती की जानी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 344 कक्षों (1.75 फीट कक्ष) के संबंध में ₹ 197 फीट की दर से ₹ 1.19 लाख की वसूली नहीं की गई थी।	1.19	नगर निगम, यमुनानगर/जगाधरी ने बताया (अगस्त 2019) कि उचित जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।
(x) नगर निगम, फरीदाबाद में 45 एम.एल.डी. (अनुक्रमिक बैच रिएक्टर टेक्नोलॉजी) एस.टी.पी. के संचालन और रखरखाव का कार्य अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए एक एजेंसी को आबंटित किया गया था (सितंबर 2011)। समझौते के खंड 5 (XIII) के अनुसार, मैनुअल तथा यांत्रिक स्क्रीन तथा एस.टी.पी. के वेंटिलेटर्स तथा डिवीजन बॉक्स पर एम.पी.एस. चेकर्ड प्लेट्स, स्लज संप, ड्रेन संप तथा स्क्रीनिंग सह ग्रिट चैंबर में सभी एम.एस. पुर्जों तथा कंबाइंड एफ्लुएंट चैनलों के गेट पर एपॉक्सी कोटिंग त्रैमासिक रूप से की जानी चाहिए। चूक के मामले में तिमाही एस.टी.पी. की रेटेड क्षमता की एम.एल.डी. 3500 की कटौती की जानी चाहिए थी। यह देखा गया कि एजेंसी को 12 महीने (अर्थात् चार तिमाहियों) का भुगतान 43वें (05 महीने 01.07.2017 से 30.11.2017 तक) और 44वें (07 महीने 10.12.2017 से 03.06.2018) रनिंग बिलों के जरिए भुगतान किया गया था (जनवरी और अगस्त 2018)। एजेंसी ने एपॉक्सी कोटिंग नहीं की थी। हालांकि, इसके लिए केवल दो तिमाहियों के लिए ₹ 1,57,500 तिमाही की दर से कटौती की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.15 लाख (2 * 1,57,500) का अधिक भुगतान हुआ। सामग्री प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों (खरीद वाउचर, लॉग बुक) जैसा कि समझौते में प्रदान किया गया है वाउचरों के साथ संलग्न नहीं पाए गए। इस प्रकार, एजेंसी को ₹ 3.15 लाख का अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।	3.15	नगर निगम, फरीदाबाद ने बताया (जुलाई 2019) कि संबंधित शाखा से उत्तर प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।
कुल	**124.12**	

4.3.4.3 भवनों और अन्य आधारभूत संरचनाओं में अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रावधान न होना

नगरपालिकाओं में सिविल कार्यों के प्राक्कलनों को बनाने के लिए निदेशक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों (फरवरी 2014) के अनुसार, सभी प्रकार के भवनों में अग्नि सुरक्षा उपायों और नवीकरण ऊर्जा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप प्रावधान किए जाने थे और इन प्रावधानों की कार्यकारी अभियंताओं/नगरपालिका अभियंताओं/सहायक

अभियंताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच की जानी थी। अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि नमूना-जांच किए गए 23 नगरपालिकाओं में से सात नगरपालिकाओं[28] में ₹ 27.57 करोड़ की अनुमानित लागत वाले 12 नमूना-जांच किए गए भवन निर्माण कार्यों के प्राक्कलनों में ये प्रावधान नहीं किए गए थे। इस प्रकार, उचित अग्नि सुरक्षा उपायों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के बिना इमारतों का निर्माण किया गया था। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर नगरपालिकाओं ने बताया (मई-सितंबर 2019) कि भविष्य में उचित ध्यान रखा जाएगा और प्राक्कलनों में इन मदों के प्रावधान किए जाएंगे। हालांकि, इन 12 निर्माण कार्यों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

सिफारिश: राष्ट्रीय भवन संहिता में परिकल्पित अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।

4.3.4.4 पाइप की खरीद पर अत्यधिक व्यय

नगर निगम, फरीदाबाद ने ₹ 1.76 करोड़ के लिए विभिन्न व्यास के डक्टाइल आयरन पाइप की खरीद के लिए प्राक्कलन/विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना तैयार किए थे (अक्तूबर 2017 और फरवरी 2018) और नवंबर 2017 तथा मई 2018 में निविदाएं आमंत्रित करने के बाद दो कार्यों[29] के निष्पादन के लिए दो एजेंसियों से पाइप खरीदे। लेखापरीक्षा ने देखा कि डक्टाइल आयरन पाइपों की आपूर्ति के लिए (आपूर्ति और निपटान निदेशालय द्वारा) दर अनुबंध 15 मई 2017 से 14 मई 2018 की अवधि अर्थात् इन कार्यों के प्रसंस्करण/निष्पादन के दौरान लागू थे। निविदाओं के माध्यम से खरीदी गई पाइपों की दरें अनुबंध दरों से अधिक थीं। इससे इन दोनों कार्यों के लिए पाइप की खरीद पर ₹ 36.50 लाख का अधिक व्यय हुआ। नगर निगम, फरीदाबाद ने बताया (जुलाई 2019) कि संबंधित शाखा से उत्तर प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।

4.3.4.5 राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम के आधुनिकीकरण में अनियमितताएं

(i) लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 13.14 के अनुसार**,** अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज धारित मोबिलाइजेशन अग्रिम ठेकेदार को दिया जा सकता है। अनुबंध में मोबिलाइजेशन और सुरक्षित अग्रिम के प्रावधान थे। हालांकि, अनुबंध में ब्याज दर के बारे में कोई उल्लेख नहीं था लेकिन लोक निर्माण विभाग संहिता के उपर्युक्त पैरा के अनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम पर एजेंसी से ब्याज वसूल किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने देखा कि एजेंसी ने ₹ 11.53 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम के लिए अनुरोध किया। हालांकि, नगर निगम ने मोबिलाइजेशन अग्रिम के स्थान पर साइट पर कोई भी सामग्री लाये बिना ही सुरक्षित अग्रिम की स्वीकृति दे दी, जिसके कारण नगर निगम एजेंसी से कोई ब्याज नहीं वसूल सका। यह ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करने के समान है।

---

[28] (i) करनाल (ii) फरीदाबाद (iii) रादौर (iv) पेहोवा (v) सांपला (vi) गोहाना (vii) रानिया।

[29] (i) 27 'रोड, डबुआ कॉलोनी, वार्ड नंबर-9 हेतु विभिन्न आकार के डक्टाइल आयरन पाइपों की आपूर्ति (ii) वार्ड नंबर-34 में ग्राम सिही सेक्टर-8 हेतु विभिन्न आकार के डक्टाइल आयरन पाइपों की आपूर्ति।

(ii) कार्य के निविदा दस्तावेज के अनुबंध की विशेष शर्तों के पैराग्राफ 4.0 (यू) के अनुसार, कार्य निष्पादन के दौरान बिजली का व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि बिजली कंपनी से अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए न तो नगर निगम, फरीदाबाद और न ही एजेंसी ने आवेदन किया था। पानी की आपूर्ति के लिए बिजली का कनेक्शन अवैध रूप से पास के नगर निगम, फरीदाबाद ट्यूबवेल से लिया गया था। इस प्रकार, बिजली का खर्च नगर निगम द्वारा वहन किया गया। हालाँकि, बिजली शुल्क की वसूली को परिकलित नहीं किया जा सका क्योंकि बिजली कंपनी से अलग कनेक्शन नहीं लिया गया था, जिसके कारण एजेंसी से बिजली पर व्यय की वसूली नहीं की जा सकी थी।

(iii) अनुबंध डाटा के परिशिष्ट-। के अनुसार एजेंसी को तकनीकी स्टाफ का विवरण प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था। यदि एजेंसी अपेक्षित डाटा प्रस्तुत करने में विफल रहे तो मामले में ₹ 12 लाख (फरवरी 2019 से जून 2019 तक) के जुर्माने का प्रावधान था। एजेंसी के अपेक्षित डाटा प्रस्तुत नहीं करने पर भी नगर निगम, फरीदाबाद ने कोई जुर्माना नहीं लगाया। अपेक्षित डाटा के अभाव में, कार्य पर स्टाफ की तैनाती भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

4.3.4.6 वैधानिक देयों की कटौती न करना

(i) बिक्री कर की कटौती न करना: हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 24 के उप खंड(1) के प्रावधानों के अनुसार, कार्य अनुबंधों के निष्पादन के लिए तय राशि पर ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान से प्रत्येक व्यक्ति को 5.25 प्रतिशत की दर से बिक्री कर में कटौती करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी ने 52 ठेकेदारों को ₹ 6.32 करोड़ (अगस्त और नवंबर 2017 के मध्य) का भुगतान किया है, लेकिन ₹ 33.19 लाख का बिक्री कर की कटौती नहीं की गई। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अगस्त 2019) में, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी ने बताया कि इस मामले की छानबीन की जाएगी।

एक मामले[30] के संबंध में, नगर निगम, फरीदाबाद ने ठेकेदार को किए गए भुगतान से ₹ 0.99 लाख की वस्तु एवं सेवा कर राशि (₹ 49.63 लाख के दो प्रतिशत की दर से) की कटौती नहीं की।

(ii) सिक्योरिटी जमा की कम कटौती: एजेंसियों के साथ निष्पादित किए गए कार्य अनुबंधों के अनुसार, ठेकेदारों के रनिंग बिलों से 10 प्रतिशत की दर से सिक्योरिटी राशि की कटौती की जानी थी। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों को किए गए भुगतान में से एक प्रतिशत की दर से श्रमिक उपकर की कटौती की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि नगर निगम, यमुनानगर/जगाधरी ने 75 ठेकेदारों को ₹ 12.50 करोड़ (अक्तूबर 2017 से नवंबर 2017 के मध्य) की राशि का भुगतान किया था। ₹ 1.25 करोड़ की सिक्योरिटी जमा की अपेक्षित कटौती के स्थान पर ₹ 1.11 करोड़ की कटौती की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.14 करोड़

---

[30] वार्ड नंबर 19 फरीदाबाद में दयाल बाग कॉलोनी में 100 मि.मी. व्यास और 150 मि.मी. व्यास की के-9 आकार की डक्टाइल आयरन पाइप लाइनों को उपलब्ध कराना और बिछाना।

की अल्प कटौती की गई। इसी प्रकार, श्रम उपकर के एवज में ₹ 12.50 लाख की अपेक्षित कटौती के स्थान पर केवल ₹ 11 लाख काटे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.50 लाख की कम वसूली हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी ने बताया (अगस्त 2019) कि मामले की जांच की जाएगी। तथापि, आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।

4.3.4.7 भूमि निर्माण कार्यों का अनियमित निष्पादन

नगरपालिका, सांपला द्वारा निष्पादित ₹ 24.24 करोड़ के चार कार्यों की तकनीकी टिप्पणियों के अनुसार, कार्य को हाथ में लेने से पहले भूमि के स्रोत, खसरा संख्या और भूमि के मालिक का नाम विस्तृत प्राक्कलन के साथ संलग्न करना अपेक्षित था। कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात[31] के संबंध में मिट्टी से संबंधित दस्तावेज़ तथा अन्य मृदा विशिष्टताओं की जांच भारतीय रोड कांग्रेस के अनुसार अधीक्षण अभियंता द्वारा की जानी चाहिए और अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि 1,29,666.60 घन/मीटर के भूमि कार्य को निष्पादित किया गया था लेकिन स्रोत का न तो विस्तृत अनुमान में और न ही माप पुस्तिका में उल्लेख किया गया था। इस प्रकार भूमि कार्य के लिए स्रोत और नमूना की अधीक्षण अभियंता द्वारा जांच नहीं की गई थी और अनुमोदन नहीं दिया गया था। मिट्टी के स्रोत का उल्लेख किए और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बिना भूमि निर्माण कार्य का निष्पादन विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना/कोडल प्रावधानों की शर्तों के उल्लंघन में था।

4.3.4.8 ई-निविदा के बिना कार्यों का निष्पादन

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा ने (नवंबर 2014) सभी नगरपालिकाओं को दिसंबर 2014 से किसी भी लागत पर आउटसोर्सिंग नीति के अंतर्गत सभी प्रकार के कार्य चाहे सिविल निर्माण कार्यों की खरीद, स्टोर्स की खरीद अथवा श्रमिकों की नियुक्ति हेतु ई-निविदा प्रणाली लागू करने के लिए सूचित किया था। आदेशों को दोहराया गया और यह निर्देशित किया गया (दिसंबर 2014) कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया (जून 2016) कि राज्य में स्टोर्स/वस्तुओं की खरीद/निर्माण कार्यों/सेवाओं के संबंध में ई-निविदा का न्यूनतम सीमा मूल्य प्रत्येक मामले में (आदेश को विभाजित किए बिना) ₹ एक लाख होगा।

नगर निगम, फरीदाबाद के अभिलेख की संवीक्षा से पता चला कि विभिन्न स्थानों पर नालियों की मरम्मत, स्टोन मेटल की आपूर्ति, विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स प्रदान करने एवं बिछाने और पुलिया आदि से संबंधित ₹ 14.77 करोड़ के 320 विकास कार्य 2016-19 के दौरान एजेंसियों को आबंटित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण कार्य ई-निविदा की बजाय कोटेशन के आधार पर आबंटित किए गए थे जो सरकार के उपर्युक्त निर्णय के

---

[31] यह एक पैठ परीक्षण है जिसका उपयोग मिट्टी, सड़कों और फुटपाथों की सब-ग्रेड मजबूती का आकलन करने के लिए किया जाता है।

उल्लंघन में थे। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर निगम, फरीदाबाद ने बताया (जुलाई 2019) कि तथ्यों के सत्यापन के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार ई-निविदा की प्रणाली का पालन किए बिना ₹ 14.77 करोड़ के कार्य आबंटित किए गए और निर्माण कार्यों के निष्पादन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने का सरकार का उद्देश्य अप्राप्त ही रह गया।

सिफारिश: नगर निगम को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कार्यों को प्रदान करते समय निविदाओं की दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित निविदा प्रक्रिया अपनाना है।

4.3.5 निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण

4.3.5.1 नागरिक पर्यवेक्षी समिति द्वारा कार्यों के निष्पादन की निगरानी न करना

विशेष प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक (जुलाई 2015) में लिए गए निर्णय के अनुसार, जमीनी स्तर पर निर्माण कार्यों के निष्पादन के पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक नगर निगम द्वारा नागरिक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया जाना था जिसमें नगरपालिका पार्षद और कम से कम तीन निवासी, जो कार्य में हिस्सा लें, होने चाहिए। तीन नगर निगमों के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि दो नगर निगमों[32] द्वारा नागरिक पर्यवेक्षण समितियां गठित नहीं की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप, सरकार के उक्त निर्णय के अनुसार नमूना-जांच किए गए 49 कार्यों में से किसी का भी निरीक्षण नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर नगर निगमों ने बताया (मई और अगस्त 2019) कि नागरिक पर्यवेक्षी समिति का गठन जल्द से जल्द किया जाएगा।

सिफारिश: राज्य सरकार नागरिक पर्यवेक्षी समिति की देखरेख में कार्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

4.3.5.2 अवमानक कार्य का निष्पादन

(i) मोती नगर मकान नंबर 47 से राम कुमार गली नंबर 5 वार्ड नंबर 8 में 80 मिलीमीटर मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करने और लगाने का कार्य नगर निगम, करनाल द्वारा ₹ 10.06 लाख में एक ठेकेदार को आबंटित किया गया था (फरवरी 2014) और अक्तूबर 2014 में पूरा हुआ। ठेकेदार को ₹ 9.71 लाख का भुगतान किया गया था (नवंबर 2014)। एक शिकायत के आधार पर, कार्य का नमूना लेने की प्रक्रिया, कार्य पूरा होने के बाद की गई थी, लेकिन इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक के नमूने वांछित मानकों के अनुसार नहीं पाए गए थे (जून 2016)। इसके परिणामस्वरूप, नगर निगम ने जुलाई 2016 में ₹ 5.67 लाख की वसूली के लिए फर्म को नोटिस जारी किया था। तथापि, दावा राशि की वसूली नहीं की गई (फरवरी 2021)।

(ii) वार्ड नंबर 5 और 3 में कुरुक्षेत्र रोड से श्री राजपाल पुत्र श्री धरमपाल के घर से कृष्ण कृपा गौशाला तक गली निर्माण का कार्य नगरपालिका, पेहोवा द्वारा ₹ 59.60 लाख में

[32] (i) करनाल (ii) यमुनानगर।

एक एजेंसी को आबंटित किया गया था (सितंबर 2017)। नगरपालिका द्वारा एजेंसी को ₹ 56.38 लाख का भुगतान किया गया था (मई 2018)। थर्ड पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट (फरवरी 2018) ने इंगित किया कि बेस अच्छे श्रेणी के पत्थर का नहीं था, बेस में बॉन्डिंग साधारण थी और उचित संघनन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में नगरपालिका, पेहोवा के कर्मचारियों के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी देखा गया कि इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक अच्छी स्थिति में नहीं थे। कार्य को सुधारने के लिए नगरपालिका, पेहोवा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगरपालिका, पेहोवा ने बताया (अगस्त 2019) कि मामले की जांच की जाएगी। तथापि, प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2021)।

4.3.5.3 गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना पानी का उपयोग

तकनीकी नोट के अनुसार, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कार्य के मामले में नहर के पानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां नहर का पानी संभव नहीं है, वहां रिवर्स ऑस्मोसिस को स्थापित किया जाना चाहिए और उचित पानी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पानी की गुणवत्ता की दैनिक जांच की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यों की तकनीकी मंज़ूरियों में विशिष्ट प्रावधानों के तथ्य के बावजूद 2016-19 के दौरान निष्पादित ₹ 20.16 करोड़ के तीन निर्माण कार्यों में उपयोग किए गए पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका, सांपला ने कोई परीक्षण नहीं किया था। निर्माण कार्य में उपयोग किए गए पानी की गुणवत्ता का मोर्टार और सीमेंट कंक्रीट की मजबूती पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नगरपालिका, सांपला ने बताया (सितंबर 2019) कि मामले की जांच की जाएगी। तथापि, आगामी प्रगति (फरवरी 2021) प्रतीक्षित थी।

सिफारिश: नगरपालिकाएं निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता की जांच करना सुनिश्चित करें।

4.3.5.4 भूजल का अनधिकृत उपयोग

पेहोवा ब्लॉक को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। अधिसूचित क्षेत्रों में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पीने और घरेलू उपयोग के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन के लिए भूजल का दोहन अनुमत नहीं है। नगरपालिका, पेहोवा (अगस्त 2019) के कर्मचारियों के साथ, 'पेहोवा में भरमजून के पास ₹ 2.59 करोड़ मूल्य के सामुदायिक केंद्र और जिम के निर्माण', कार्य के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि कार्य निष्पादन एजेंसी निर्माण कार्य के लिए भूजल का दोहन कर रही थी जोकि अधिनियम का उल्लंघन था।

सिफारिश: प्राधिकरण को अनधिकृत गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए।

4.3.5.5 अभिलेख के रखरखाव में अनियमितताएं

- दो नगरपालिकाओं[33] ने दैनिक कार्य की डायरी, साइट ऑर्डर बुक, सामग्री पर्यवेक्षण रजिस्टर, बाधा रजिस्टर इत्यादि जैसे अपेक्षित अभिलेख को नहीं रखा था, जिसमें अभिलेखों में हेरफेर का जोखिम है।

- लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 18.3.3 में प्रावधान है कि माप पुस्तिका का गुम होना एक गंभीर मामला है और इसे उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। यदि किसी मामले में, माप पुस्तिका न मिले तो एफ.आई.आर. दर्ज करवानी अपेक्षित है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी के कार्यालय में 78 माप पुस्तिकाएं नहीं मिलीं लेकिन कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि तीन कनिष्ठ अभियंताओं को एक ही सीरियल नंबर (अर्थात् माप पुस्तिका नंबर 445 से 450) वाली माप पुस्तिकाएं जारी की गईं थीं। ऐसी स्थिति में अभिलेख प्रविष्टियों में हेरफेर की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

4.3.6 निष्कर्ष

नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं में पाया गया कि वित्तीय प्रबंधन उपयुक्त नहीं था क्योंकि निधियों के विपथन, अनुपयोगी अनुदानों के निवेश नहीं होने के कारण ब्याज की हानि, बिक्री कर की गैर-कटौती, सिक्योरिटी जमा की कम कटौती तथा रेलवे के साथ समन्वय की कमी के कारण व्यय का अतिरिक्त बोझ पड़ने के मामले थे। निर्माण कार्यों के अनियमित आबंटन, अयोग्य ठेकेदारों को भूमि कार्य का आबंटन, ठेकेदारों को अनुचित लाभ, भूमि कार्य का अनियमित निष्पादन और ई-निविदा के बजाय कोटेशन के आधार पर कार्यों के निष्पादन के मामले थे। नगरपालिकाओं की नमूना-जांच में स्टील, मिट्टी भराई, गैर-अनुसूचित मदों पर प्रीमियम, बिटुमिनस कार्यों पर ₹ 1.24 करोड़ के अधिक भुगतान के मामले भी लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में लाए गए। राष्ट्रीय भवन कोड में परिकल्पित अग्नि सुरक्षा उपायों का भी पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र पर्याप्त नहीं था क्योंकि नागरिक पर्यवेक्षी समितियों का गठन नहीं किया गया था, अवमानक कार्यों को निष्पादित किया गया था और कार्यों के निष्पादन में उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता का आश्वासन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

इन बिंदुओं को अगस्त 2020 में सरकार को संदर्भित किया गया था, किंतु उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

4.4 विकास प्रभारों की वसूली न करना

हरियाणा नागरिक सुविधा आधारभूत संरचना की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र (विशेष प्रावधान) प्रबंधन अधिनियम, 2013 को नगरपालिका क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान

---

[33] (i) सफीदों, (ii) टोहाना।

बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। राज्य सरकार ने (दिसंबर 2013) नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के घोषित क्षेत्रों के अंदर स्थित भवनों/भू-खंडों के संबंध में क्रमशः ₹ 30 प्रति वर्ग गज और ₹ 50 प्रति वर्ग गज के हिसाब से विकास प्रभार का फैसला किया। इन विकास प्रभारों को अलग से निवेश करने की आवश्यकता थी और इनका उपयोग इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को निष्पादित करने के लिए होना था।

सात नगरपालिकाओं[34] के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2013 से नवंबर 2018) के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में इन नगरपालिकाओं में 73 कॉलोनियों को (जनवरी 2014, फरवरी 2014, सितंबर 2014, अक्तूबर 2013, जनवरी 2014, फरवरी 2014, और दिसंबर 2016) अधिसूचित किया था। इन कॉलोनियों में 33,43,181.6 वर्ग गज क्षेत्र में विकास प्रभार लगाया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन नगरपालिकाओं ने विकास शुल्क की वसूली के लिए भूस्वामियों को नोटिस जारी नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप एक भी मामले में वसूली नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि गोहाना और पलवल की नगर परिषद तथा हेली मंडी, कलायत और कलानौर की नगरपालिकाओं ने विकास शुल्क का आकलन भी नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप भूस्वामियों से ₹ 15.63 करोड़ के विकास शुल्क की वसूली नहीं हुई और विकास कार्यों का निष्पादन नहीं हुआ ***(परिशिष्ट-XVIII)***।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, नगरपालिका, हेली मंडी के सचिव ने बताया (दिसंबर 2018) कि संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जाएंगे, जबकि नगर परिषद, पलवल एवं बहादुरगढ़ तथा कलायत एवं कलानौर की नगरपालिकाओं ने बताया (मार्च 2018 - अगस्त 2018) कि विकास शुल्क वसूलने का प्रयास किया जाएगा। नगर परिषद, चरखी दादरी और गोहाना ने बताया (नवंबर 2017 और मार्च 2018) कि स्टाफ की कमी के कारण विकास शुल्क वसूल नहीं किया गया। तथ्य यह है कि सरकार द्वारा विकास शुल्क लगाने के पांच साल से अधिक समय बीतने पर भी उसे वसूला नहीं जा सका था। विकास शुल्क की वसूली न होने से घोषित क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित होते हैं और इससे अधिनियम के अधिनियमित होने का उद्देश्य समाप्त हो गया।

इस मामले को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को संदर्भित किया गया था (नवंबर 2017 से जनवरी 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: शहरी स्थानीय निकायों को विकास प्रभारों के निर्धारण एवं संग्रहण के लिए समय पर उचित एवं प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

4.5 बाहरी विकास प्रभारों/रूपांतरण प्रभारों की वसूली न होना

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 130 में प्रावधान है कि कर अथवा शुल्क की किसी भी राशि को भूमि राजस्व के बकाए के रूप में देय कुर्की अथवा चूककर्ता की चल

[34] हेली मंडी, कलायत तथा कलानौर की नगरपालिकाएं और चरखी दादरी, बहादुरगढ़, गोहाना तथा पलवल की नगर परिषदें।

संपत्ति की बिक्री द्वारा, चूककर्ता की अचल संपत्ति की जब्ती तथा बिक्री द्वारा अथवा मुकदमे द्वारा किसी भी निर्धारित तरीके से वसूल किया जा सकता है।

नगर निगम, फरीदाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) से ज्ञात हुआ कि निगम द्वारा विभिन्न सोसायटियों और संपत्ति धारकों को भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई थी। प्रॉपर्टी धारकों ने बाह्य विकास प्रभारों की प्रारंभिक राशि जमा करने के बाद, बाह्य विकास प्रभारों/रूपांतरण प्रभारों की शेष राशि जमा नहीं की थी, जो कि तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार ब्याज और दंडात्मक ब्याज के साथ ₹ 11.18 करोड़ बनती है:

क्र. सं.	संपत्ति धारकों के नाम	भूमि उपयोग में परिवर्तन के जारी होने का माह	शेष बाह्य विकास प्रभारों/रूपान्तरण प्रभारों को जमा करने के लिए देय माह	लंबित राशि (अगस्त 2019 को) (₹ करोड़ में)
1.	श्री राजेश कुमार भाटिया, प्लॉट सं. ए-6, नेहरू ग्राउंड, एन.आई.टी. फरीदाबाद.	जनवरी 1996	अक्तूबर 1996	1.46
2.	मैसर्ज अचीवर्स बिल्डर्स, टी.पी. योजना सं. 3 में नगर निगम, फरीदाबाद भूमि पर सामूहिक आवास योजना, सेक्टर-49, फरीदाबाद.	दिसंबर 2009	दिसंबर 2012	6.23
3.	मैसर्ज मधुबन एलेक्ट्रोनिक प्रा. लि., ए-26, जवाहर पार्क, देवली रोड, खानपुर, गाँव मेवला महाराजपुर 15/5, डी.एम. रोड फरीदाबाद.	अक्तूबर 1991	अक्तूबर 1994	3.33
4.	श्री सतीश चंद, प्लॉट सं. 57-सी-बी.पी., नीलम बाटा रोड, एन.आई.टी., फरीदाबाद	मार्च 1999	मार्च 2000	0.16
	कुल			**11.18**

जैसा कि ऊपर तालिका से स्पष्ट है, पिछले 7 से 25 वर्षों से बकाया के भुगतान में सोसायटियां/संपत्ति धारक चूककर्ता थे। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर लेखा अधिकारी, नगर निगम, फरीदाबाद ने बताया (जुलाई 2018) कि बकाया शुल्क वसूलने के लिए संबंधितों को नोटिस जारी किए जा रहे थे। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न तो वसूली की गई और न ही हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में प्रावधान के अनुसार उचित कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप अपार संभावित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई।

यह मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था (अगस्त 2019); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: बाह्य विकास प्रभारों/रूपांतरण प्रभारों की बकाया राशि का आकलन किया जाना चाहिए और बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया को ब्याज की देय राशि के साथ शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए नोटिस समयबद्ध तरीके से जारी किया जाना चाहिए और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 130 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

4.6 व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए फीस प्रभारित न किए जाने के कारण राजस्व की हानि

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 330, 331, 335 और 336 के साथ पठित धारा 352(2) नगरपालिका क्षेत्रों में विभिन्न व्यापार/वाणिज्यिक गतिविधियां इत्यादि निष्पादित करने के लिए अनुमति/लाईसेंस प्राप्त करना निर्धारित करती है।

नगर निगम, अंबाला और नगर निगम, हिसार के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2015 से दिसंबर 2017) से ज्ञात हुआ कि जनवरी 2018 को 35,194 इकाइयां[35] इन नगर निगमों के क्षेत्रों में विभिन्न व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियां निष्पादित कर रही थी। लेखारीक्षा ने अवलोकित किया कि विभिन्न व्यापारिक/वाणिज्यिक गतिविधियां नगर निगमों की अनुमति/लाईसेंसों के बिना निष्पादित की जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप मार्च तथा अप्रैल 2012 में नगर निगमों द्वारा नियत दरों के आधार पर परिकलित ₹ 2.12 करोड़[36] प्रतिवर्ष के राजस्व का सृजन नहीं हुआ।

इंगित किए जाने पर, नगर निगम, अंबाला ने बताया (नवंबर 2018) कि फीस वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे जबकि नगर निगम, हिसार ने बताया (अक्तूबर 2018) कि ₹ 16 लाख की राशि वसूल कर ली गई ओर बाकी फीस वसूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथ्य यह है कि नगर निगम राशि को वसूल करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप इस मद में विशाल संभावित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई।

मामला प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार को भेजा गया (फरवरी-दिसंबर 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगरपालिकाओं को बिना अनुमति के व्यापार/वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम देने वाली चूककर्ता इकाइयों/व्यक्तियों से व्यापार लाइसेंस फीस की वसूली के लिए लगातार कड़े कदम उठाने चाहिए।

4.7 चैकों के अस्वीकृत होने के कारण राजस्व की वसूली न होना

नगर निगम गृह कर, अग्निशमन कर, फीस/प्रभार, निविदाएं जमा करने के लिए अर्जन धन इत्यादि के तौर पर भुगतान चैकों के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे।

नगर निगम, अंबाला और फरीदाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2012 से जून 2017 तक गृह कर, अग्निशमन कर, फीस/प्रभार निविदाएं जमा करने के लिए अर्जन धन इत्यादि के तौर पर ₹ 1.57 करोड़ ***(परिशिष्ट-XIX)*** की राशि के 508 चैक बैंकों द्वारा अस्वीकृत किए गए थे। हालाँकि, अस्वीकृत चैकों के कारणों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं

---

35 अंबाला: 13,953 यूनिट, हिसार: 21,241 यूनिट।

36 अंबाला: ₹ 0.90 करोड़, हिसार: ₹ 1.22 करोड़।

कराया गया था। आगे यह अवलोकित किया गया कि नगर निगम ने भुगतानकर्ताओं से इन अस्वीकृत किए गए चैकों के राजस्व की वसूली की निगरानी नहीं की, परिणामत: ₹ 1.57 करोड़ का राजस्व बिना वसूल किए रह गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, नगर निगम, अंबाला ने बताया (नवंबर 2018) कि 46 मामलों में ₹ 115.19 लाख में से ₹ 16.02 लाख की वसूली कर ली गई और शेष राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। इसी प्रकार, नगर निगम, फरीदाबाद ने बताया (अक्तूबर 2018) कि 32 मामलों में ₹ 41.61 लाख में से ₹ 17.25 लाख की वसूली हो गई तथा शेष राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। इस प्रकार, नगर निगमों द्वारा अस्वीकृत चैकों की राशि वसूल करने के लिए किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं थे परिणामत: ₹ 1.24 करोड़ वसूल किए बिना रह गए।

मामला निरीक्षण प्रतिवेदन (अगस्त 2017 से दिसंबर 2018) के द्वारा प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगरपालिकाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्राप्त किए गए चेक समय पर बैंकों में जमा किए जाने चाहिए।

4.8 वस्तु एवं सेवा कर से छूट का लाभ न लेना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अपनी अधिसूचना (28 जून 2017) द्वारा अधिसूचित किया कि नगरपालिका को सौंपे गए किसी कार्य के संबंध में किसी गतिविधि के माध्यम से स्थानीय प्राधिकारी को प्रदान की गई विशुद्ध सेवाएं[37] (कार्य संविदा सेवा अथवा किसी वस्तु में शामिल आपूर्ति सहित अन्य सम्मिश्र आपूर्तियों को छोड़कर) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू. के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्राप्त हैं। हरियाणा सरकार ने संविधान की बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 डब्ल्यू. के अंतर्गत) में सूचीबद्ध 18 कार्यों अर्थात् शहरी आयोजना, घरेलू सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु जलापूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाओं आदि के लिए नगरपालिकाओं को जिम्मेदारी सौंपी है। तदनुसार, नगरपालिकाओं को जुलाई 2017 से इन कार्यों के अंतर्गत शामिल की गई विभिन्न गतिविधियों हेतु आपूरित की गई श्रमशक्ति के बिलों पर श्रमशक्ति आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी।

फरीदाबाद और गुरुग्राम के नगर निगमों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2017 से मार्च 2018) से पता चला है कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान स्वच्छता, अग्निशमन सेवाओं आदि से संबंधित गतिविधियां करने के लिए श्रमशक्ति आपूर्ति एजेंसियों को ₹ 15.48 करोड़ का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन निगमों ने भारत

[37] वस्तु की आपूर्ति को शामिल किए बिना सेवाओं की आपूर्ति को विशुद्ध सेवाओं के रूप में माना जाएगा।

सरकार की छूट अधिसूचना में परिकल्पित वस्तु एवं सेवा कर की छूट का लाभ नहीं उठाया था और श्रमशक्ति आपूर्ति एजेंसियों को वस्तु एवं सेवा कर पर ₹ 2.23 करोड़[38] ***(परिशिष्ट-XX)*** का भुगतान किया था। इससे ₹ 2.23 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

नगर निगम, फरीदाबाद के वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने बताया (जुलाई 2018) कि छूट की अधिसूचना संबंधित कर्मचारियों के संज्ञान में नहीं थी और संबंधित श्रमशक्ति आपूर्ति एजेंसियों से राशि की वसूली के लिए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, अब तक (जून 2019) कोई वसूली नहीं की गई थी। नगर निगम, गुरुग्राम ने बताया (फरवरी 2019) कि अनुपालना की गई थी। लेकिन वसूली के समर्थन में कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। जिसके अभाव में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या वसूली की गई है अथवा नहीं।

यह मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया था (अगस्त 2018 और मार्च 2019); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगर निगम, फरीदाबाद और नगर निगम, गुरुग्राम को भविष्य में पात्र सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की अधिसूचना को ध्यान में रखना चाहिए।

4.9 ई-निविदा की प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई खरीद

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा ने सभी नगर पालिकाओं को दिसंबर 2014 से प्रभावी आउटसोर्सिंग नीति के अंतर्गत सभी सिविल कार्यों, स्टोर्स की खरीद या श्रम की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के निर्णय के बारे में सूचित किया (नवंबर 2014)। आदेश दोहराए गए थे और यह निर्देशित किया गया था (दिसंबर 2014) कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया (जून 2016) कि राज्य में भण्डार/माल/निर्माण कार्यों/सेवाओं की खरीद के संबंध में ई-निविदा का न्यूनतम सीमा मूल्य प्रत्येक मामले में (आदेश को विभाजित किए बिना) ₹ एक लाख होगा।

सोलह[39] नगरपालिकाओं तथा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि अप्रैल 2013 से नवंबर 2018 के दौरान फर्नीचर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, अन्य स्टोर आइटम और कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 2.44 करोड़ ***(परिशिष्ट-XXI)*** का व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी खरीद ई-निविदा के बजाय ऑनलाइन या कोटेशन आधार पर की गई थी जो राज्य सरकार के उपर्युक्त निर्णय के उल्लंघन में थी। इस प्रकार, ई-निविदा की प्रणाली का पालन किए बिना ₹ 2.44 करोड़ की

---

38 नगर निगम, फरीदाबाद ₹ 69.05 लाख (ii) नगर निगम, गुरुग्राम ₹ 154.04 लाख।

39 नगर निगम, रोहतक, पानीपत, करनाल, अंबाला, सोनीपत, हिसार और फरीदाबाद; नगर परिषद, नरवाना, पलवल, नारनौल, बहादुरगढ़ और टोहाना तथा नगरपालिका, झज्जर, हेली मंडी, पेहोवा और चीका।

खरीद की गई और खरीद प्रणालियों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने का सरकार का उद्देश्य निष्फल रहा।

नगर निगम, करनाल और नगर परिषद, नारनौल के कार्यकारी अधिकारियों ने जुलाई 2017 में आयोजित एग्जिट मीटिंग के दौरान और निदेशक शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय ने बताया (अप्रैल 2018) कि सरकार के अनुदेशों को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया था। एग्जिट मीटिंग के दौरान नगर निगम, रोहतक, नगर परिषद, बहादुरगढ़ और हेली मंडी, पेहोवा और चीका की नगरपालिकाओं ने बताया (मार्च से दिसंबर 2018) कि इस मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। झज्जर नगरपालिका ने बताया (फरवरी 2021) कि समय की कमी और टेंडरिंग की लंबी प्रक्रिया के कारण कोटेशन के आधार पर लोहे की जाली की खरीद की गई थी और जनता की शिकायत के कारण विद्युत कार्य किए गए थे। आगे बताया गया कि फर्नीचर की खरीद उपायुक्त की अनुमति से की गई थी। नगर निगम, सोनीपत तथा फरीदाबाद और नगर परिषद, नरवाना ने बताया (फरवरी 2018 - मई 2019) कि अत्यावश्यक प्रकृति की वस्तुओं की खरीद पर व्यय किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि जैसी मदें अत्यावश्यक प्रकृति की नहीं थीं और ई-निविदा प्रक्रिया के विचलन में फर्नीचर की खरीद के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

इस मामले को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया (अगस्त 2017 से जनवरी 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगरपालिकाओं को राज्य सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए, जिसमें ई-निविदा के माध्यम से की जाने वाली सभी प्रकार की खरीद के लिए खरीद आदेशों को विभाजित किए बिना ₹ एक लाख की सीमा निर्धारित की गई है।

4.10 कर्मचारी भविष्य निधि का विलंबित जमा/जमा न करना

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 की धारा 38 के अनुसार, संस्थान के नियोक्ता द्वारा प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक प्रभारों के साथ-साथ अंशदान जमा करना अपेक्षित है। जहां एक नियोक्ता अंशदान या अन्य प्रभार को जमा करने में चूक करता है, कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त पेनल्टी के रूप में क्षतिपूर्ति उद्ग्रहण करने तथा ऐसे विलंबित जमाओं के लिए सांविधिक निधि द्वारा वहन किए गए ब्याज की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए भी सशक्त है।

(i) नगर परिषद, बहादुरगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2015 से फरवरी 2018) से ज्ञात हुआ कि अप्रैल 1996 से अगस्त 2017 की अवधि के लिए वेतन रोल पर नियुक्त स्टाफ के वेतन बिलों से कटौती किए गए ₹ 31.87 लाख राशि के प्रशासनिक प्रभारों के साथ कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं किए गए। कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान से नोटिस प्राप्त

होने (अगस्त 2017) के बाद, नगर परिषद, बहादुरगढ़ ने स्टाफ के अंशदान के रूप में ₹ 31.87 लाख और पेनल्टी के रूप में ₹ 15.30 लाख दिसंबर 2017 में कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान के पास जमा करवाए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा करने में विलंब के कारण, नगर परिषद, बहादुरगढ़ को ₹ 15.30 लाख की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ा जिसके परिणाम में नगर परिषद, बहादुरगढ़ पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

(ii) नगर परिषद, गोहाना के अभिलेखों (अप्रैल 2015 से जनवरी 2018) की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि जुलाई 2014 से जून 2016 की अवधि के लिए वेतन रोल पर 24 सफाई कर्मचारी थे। नगर परिषद, गोहाना ने सफाई कर्मचारियों को ₹ 40.78 लाख उनके श्रम के रूप में दिए थे। इन कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के तौर पर ₹ 4.89 लाख (वेतन का 12 प्रतिशत) की राशि न तो कर्मचारियों के वेतन से काटी गई न कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान के पास जमा करवाई गई। आगे, ₹ 5.55 लाख (वेतन का 13.61 प्रतिशत) की राशि के लिए नियोक्ता का अंशदान भी कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान के पास जमा नहीं किया गया था। अधिनियम के सांविधिक प्रावधान की अनुपालना न करने और कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा करने में विलंब पर जुर्माना लगेगा जो नगर परिषद, गोहाना की हानि का कारण बनेगा।

मामला प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार को भेजा गया (सितंबर 2017 से अप्रैल 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगरपालिकाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियोक्ता का अंशदान उनके द्वारा समय पर जमा किया जाना चाहिए।

4.11 स्वचालित गणक मशीनों के डिश-एंटीना पर इंस्टालेशन/लाईसेंस और प्रक्रिया फीस का उद्ग्रहण न करना

हरियाणा नगरपालिका (संचार एवं संयोजकता मूलभूत संरचना) उप-नियम 2013 में प्रावधान है कि नगरपालिका के क्षेत्रों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से इन उपनियमों के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त किए बिना कोई संचार मूलभूत संरचना लगाया/प्रस्थापित नहीं किया जाएगा। लाईसेंस की प्रदानगी के लिए ₹ 5,000/- की एक बार की प्रतिस्थापन/लाईसेंस फीस और ₹ 1,000 प्रति डिश एंटीना की प्रक्रिया फीस (डी.टी.एच. के अधीन प्रतिस्थापित डिश एंटीना के अलावा) प्रभारित की जाएगी।

नगर परिषद, टोहाना, गोहाना और चरखी दादरी और नगर निगम, अंबाला के अभिलेखों (2015-18) की संवीक्षा (नवंबर 2017 से मार्च 2018) से ज्ञात हुआ कि स्वचालित गणक मशीनों के डिश-एंटीना प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिस्थापन और प्रक्रिया फीस संबंधित बैंकों से प्रभारित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप नगरपालिकाओं को ₹ 8.10 लाख

(परिशिष्ट-XXII) के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

नगरपालिकाओं ने बताया (जनवरी 2018-मार्च 2018) कि सभी बैंकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

मामला प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार को भेजा गया (नवंबर 2017 से अप्रैल 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: विभाग को प्रतिस्थापन/लाइसेंस एवं प्रक्रिया फीस के अपने बकाया की वसूली के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

4.12 मस्टर रोल पर भुगतान में अनियमितताएं

(i) संदिग्ध फर्जी भुगतान

नगर परिषद, कैथल के अभिलेखों (2015-17) की संवीक्षा (दिसंबर 2017) से ज्ञात हुआ कि ₹ 1.27 लाख की राशि का भुगतान फरवरी 2017 में मस्टर रोलों पर दो विकास कार्य निष्पादित करने के लिए किया गया। इन मस्टर रोलों पर ₹ 16,770 की मजदूरी वाले 11 व्यक्तियों को एक ही अवधि ***(परिशिष्ट-XXIII-क)*** के दौरान दोनों कार्यों में एक साथ नियोजित दिखाया गया है जो संभव नहीं है। इसलिए, मस्टर रोल पर किए गए ₹ 16,770 के भुगतान फर्जी भुगतान की श्रेणी में आने का संदेह था।

(ii) मस्टर रोलों पर संदेहपूर्ण भुगतान

नगर परिषद, गोहाना ने मार्च 2017 में दो मस्टर रोलों पर कार्यों के निष्पादन के लिए 12 श्रमिकों को ₹ 0.66 लाख का भुगतान किया ***(परिशिष्ट-XXIII-ख)***। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एक ही व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पिता का नाम इत्यादि वाले 12 श्रमिकों ने एक मस्टर रोल पर हस्ताक्षर किए थे और दूसरे मस्टर रोल पर अंगूठे के निशान लगाए थे। यह मस्टर रोलों की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है और इस प्रकार भुगतान को संदेहपूर्ण बनाता है। मामले की जांच की आवश्यकता है।

(iii) हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त किए बिना मस्टर रोलों पर भुगतान

पांच नगरपालिकाओं (नगरपालिका, झज्जर; नगर परिषद, टोहाना, कैथल, नरवाना, नगर निगम, अंबाला) में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि ₹ 6.96 लाख ***(परिशिष्ट-XXIII-ग)*** के भुगतान से जुड़े 174 श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान मस्टर रोल पर अंकित नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त नगर परिषद, नरवाना ने बिटुमेन कार्य के लिए अगस्त 2014 के दौरान 11 मजदूरों को ₹ 0.66 लाख की राशि का भुगतान किया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बजाय उनके पिता या भुगतान से असंबद्ध व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे। इस प्रकार श्रमिकों को किया गया ₹ 7.62 लाख का समग्र भुगतान संदिग्ध था। श्रमिकों के

हस्ताक्षरों/अंगूठे के निशानों के बिना भुगतान निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम से भरा है और मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

नगरपालिका, झज्जर ने बताया (फरवरी 2021) कि श्रमिकों के अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर अब मस्टर रोल पर ले लिए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर भुगतान जारी करने के बाद अंगूठे के निशान प्राप्त किए गए थे।

मामला प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार को भेजा गया (अगस्त 2018 और जनवरी 2019); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: संबंधित नगरपालिकाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भुगतान केवल हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद और कार्यों के संबंध में अभिलेखों को सत्यापित करने के बाद किया जाना है।

4.13 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए किस्त की दोहरी निर्मुक्ति

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के निर्देशों (नवंबर 2015) के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रोत्साहन धन (केंद्र एवं राज्य हिस्सा) की लाभार्थियों को दो किश्तें निर्मुक्त की जानी थी। ₹ 7,000 (₹ 2,000 केंद्रीय हिस्सा + ₹ 5,000 राज्य हिस्सा) की प्रथम किस्त स्वीकृति पत्र जारी करने के समय और दूसरी किस्त व्यक्तिगत घरेलू शौचालय पूर्ण होने के बाद निर्मुक्त की जानी थी।

नगर निगम, अंबाला और करनाल के अभिलेखों (अप्रैल 2015 से दिसंबर 2017) की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इन नगर निगमों ने 13 लाभार्थियों को प्रोत्साहन की पहली किस्त दो बार जारी की। इसके परिणामस्वरूप नीचे दिए विवरण के अनुसार ₹ 0.71 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

क्र. सं.	नगर निगम	किस्त की राशि (₹ में)	दो बार हस्तांतरण के मामलों की संख्या	अधिक भुगतान (₹ में)
1.	नगर निगम, अंबाला	7,000	3	21,000
2.	नगर निगम, करनाल	5,000	10	50,000
		कुल	**13**	**71,000**

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करते समय उपयुक्त जांच न किए जाने के कारण दोहरा भुगतान हुआ क्योंकि आवेदकों ने नाम, पिता/पति के नाम, पते, विभिन्न मोबाइल नंबरों आदि में मामूली बदलाव करके दो अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए थे। आवेदन-पत्र जांच करते समय यदि उपयुक्त जांच की जाती तो दोहरे भुगतान से बचा जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, नगर निगम, अंबाला और करनाल ने बताया (अक्तूबर-नवंबर 2018) कि अधिक राशि जमा करवाने के लिए संबंधित लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए।

मामला प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार को भेजा गया (अगस्त 2017 तथा दिसंबर 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगरपालिकाओं को डुप्लीकेट आवेदनों को हटाने के लिए लाभार्थियों के आवेदनों को सही ढंग से सत्यापित/जांच करने के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि भविष्य में दोहरे भुगतान से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को किए गए अधिक भुगतान को बिना किसी देरी के वसूल किया जाना चाहिए।

4.14 ब्याज का परिहार्य भुगतान

(i) नगर निगम, फरीदाबाद ने एक खुली नीलामी में एक फर्म को ₹ 3.38 करोड़ (₹ 10,200 वर्ग गज की दर से) की प्राथमिक विद्यालय नंबर 1, अरावली विहार, सेक्टर 49, फरीदाबाद की एक साइट आबंटित की (नवंबर 2009)। नीलामी की शर्त के अनुसार, फर्म ने ₹ 84.41 लाख (बोली राशि का 25 प्रतिशत) जमा किये। नगर निगम, फरीदाबाद आबंटन पत्र जारी नहीं कर सका क्योंकि स्कूल की साइट विवादित थी और माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अक्तूबर 2005 में नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा संपत्ति के निपटान के लिए पहले ही स्टे दे दिया था। फर्म के अनुरोध पर, आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने वित्तीय नियंत्रक को फर्म को पूरी राशि लौटाने का निर्देश दिया था (जुलाई 2012), लेकिन यह राशि फर्म को वापस नहीं की गई। फर्म द्वारा मूल राशि एवं ब्याज वापस करने के कई अनुरोधों के बाद, नगर निगम, फरीदाबाद ने केवल मूल राशि वापस की (दिसंबर 2015)। फर्म ने नगर निगम, फरीदाबाद से जमा राशि पर ब्याज पाने के लिए सी.एम. विंडो पर शिकायत दर्ज कराई। बदले में नगर निगम, फरीदाबाद ने (मार्च 2018) फर्म को ₹ 61.52 लाख (12 प्रतिशत की दर से) की ब्याज राशि का भुगतान किया। इस प्रकार साइट की बोली, जोकि पहले से ही विवादास्पद थी, के कारण ₹ 61.52 लाख ब्याज का परिहार्य बोझ पड़ा।

नगर निगम, फरीदाबाद के डिप्टी टाउन प्लानर ने बताया (दिसंबर 2018) कि तहसीलदार कार्यालय ने नगर निगम, फरीदाबाद के साथ नीलामी के लिए प्रस्तावित सभी जमीनों के स्वामित्व की पुष्टि की थी। अदालत के मामले/स्टे आदेश की कोई रिपोर्ट जिला अटॉर्नी, नगर निगम, फरीदाबाद शाखा या तहसीलदार कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर निगम, फरीदाबाद को संपत्ति का स्पष्ट टाइटल सुनिश्चित करने के बाद ही संपत्ति को नीलामी में रखना चाहिए था। इस प्रकार नगर निगम, फरीदाबाद की विभिन्न शाखाओं के साथ समन्वय की कमी के कारण ब्याज का भार पड़ा।

(ii) नगर निगम, फरीदाबाद ने ₹ 1.76 करोड़ की अनुमानित लागत पर "वार्ड सं. 15 में एन.एच.-2 एवं 3 के फोर-लेन दोहरे कैरिज मार्ग तथा एन.एच.-2 एवं 3 से डिवाइडिंग सड़क, एन.एच.-2 एवं 3 के बाहरी घेरे में राउंड अबाउट का निर्माण" का कार्य एक ठेकेदार को आबंटित किया था (अगस्त 2008)। ठेकेदार ने कार्य निष्पादित किया और ₹ 31.83 लाख का दूसरा रनिंग बिल 07 सितंबर 2012 को प्रस्तुत किया। नगर निगम, फरीदाबाद की विभिन्न

शाखाओं के बीच समन्वय की कमी और नगर निगम, फरीदाबाद के अंदर प्रक्रियात्मक विलंब के कारण दूसरे चालू बिल का भुगतान ठेकेदार को नहीं किया गया था। दूसरे रनिंग बिल का भुगतान करने के लिए नगर निगम, फरीदाबाद को विभिन्न अनुरोध करने के बाद, ठेकेदार ने अपर सिविल जज के न्यायालय में सिविल मुकद्दमा दायर किया (सितंबर 2015)। माननीय अदालत ने नगर निगम, फरीदाबाद को मुकद्दमा दायर होने की तारीख से वसूली होने तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, भविष्य के ब्याज के साथ, ₹ 31.83 लाख भुगतान करने के लिए निर्देश दिया (सितंबर 2017)। नगर निगम, फरीदाबाद ने (जनवरी 2018) ठेकेदार को ₹ 13.37 लाख के ब्याज के साथ ₹ 31.83 लाख की देय राशि का भुगतान किया। जिससे ₹ 13.37 लाख का परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा।

नगर निगम, फरीदाबाद के वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने बताया (जुलाई 2018) कि ब्याज राशि का भुगतान माननीय न्यायालय के आदेशानुसार किया गया है। इस प्रकार, नगर निगम, फरीदाबाद के अंदर समन्वय की कमी के कारण ब्याज का भुगतान करना पड़ा। देय राशि का भुगतान बेहतर समन्वय और शीघ्रता से करने से इसका परिहार किया जा सकता था।

इन बिंदुओं को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया (अगस्त 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफ़ारिश: विभाग को संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित करने और किसी भी अदालती मामले से मुक्त होने के बाद ही संपत्ति को नीलामी के अंतर्गत रखना चाहिए।

4.15 नगरपालिका निधि का संदिग्ध गबन

नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 के अनुसार, नगरपालिकाओं की प्राप्तियां अधिकृत व्यक्तियों द्वारा एकत्र की जाती हैं और रसीदें जमाकर्ता को फॉर्म जी-8 में जारी की जाती हैं। सभी जी-8 रसीदों का योग करने के बाद प्राधिकृत व्यक्ति को रसीदों की राशि कैशियर के पास जमा करनी होती हैं। प्राधिकृत व्यक्तियों से एकत्र की गई सभी प्राप्तियों को समेकित करने के बाद, कैशियर द्वारा फॉर्म जी-9 में चालान तैयार करने के बाद धनराशि बैंक खाते में जमा की जाती है और कैशबुक में प्रविष्टियां भी उसी अनुसार की जाती हैं।

नगर निगम, सोनीपत के अभिलेखों (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) की संवीक्षा से पता चला कि 15 फरवरी 2017 से 29 जनवरी 2018 के दौरान गृहकर की प्राप्तियां एकत्रित कर रहे अधिकारियों ने उनके द्वारा एकत्रित की गई संपूर्ण प्राप्तियां कैशियर के पास जमा नहीं की थीं। लेखापरीक्षा ने गृह कर से संबंधित जी-8 में प्राप्तियों का मिलान किया और राशि कैशियर के पास वास्तव में जमा की गई। यह देखा गया कि फरवरी 2017 और जनवरी 2018 के दौरान आठ अवसरों पर ₹ 109.32 लाख की कुल प्राप्तियों के विरूद्ध केवल ₹ 108.74 लाख जमा किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.58 लाख ***(परिशिष्ट-XXIV)*** की राशि कम जमा हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्राप्तियों के संग्रहण और कैशियर के पास जमाओं की नगरपालिका के किसी

भी अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जा रही थी। नगरपालिका की प्राप्तियों और जमा राशि पर यह जांच न करने के कारण ₹ 0.58 लाख का संदिग्ध गबन हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, नगर निगम, सोनीपत ने ₹ 0.14 लाख (जनवरी 2019 और अगस्त 2019) के दंडनीय ब्याज के साथ ₹ 0.58 लाख की गबन राशि वसूल की। यद्यपि वसूली कर ली गई, लेखापरीक्षा का मत है कि नगरपालिका के कोषों की प्राप्तियों और जमाओं की जांच के लिए उचित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति का परिहार किया जा सके।

यह मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया (जनवरी 2019); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए और किसी भी गबन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए नगरपालिकाओं द्वारा प्राप्तियों और जमाओं की उचित जांच की जानी चाहिए।

4.16 निधियों का विपथन

राजीव गांधी शहरी विकास मिशन हरियाणा के लिए वैट पर सरचार्ज के हिस्से के अंतर्गत अनुदान के उपयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुदान का उपयोग शहरी बुनियादी ढांचे जैसे स्वच्छता, साफ-सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य नागरिक बुनियादी संरचना के लिए किया जाना था। यदि कानूनी मामले के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भुगतान किया जाना है, तो उचित तर्कसंगतता के साथ सरकार की अनुमति मांगी जानी चाहिए।

नगर निगम, अंबाला (अप्रैल 2015 से मई 2017) तथा नगर परिषद, चरखी दादरी (अप्रैल 2015 से मई 2017) और नगरपालिका, पेहोवा (अप्रैल 2014 से अप्रैल 2018) के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन में राजीव गांधी शहरी विकास मिशन हरियाणा के लिए वैट पर सरचार्ज के हिस्से के अंतर्गत जारी किए गए अनुदानों में से अप्रैल 2015 और जून 2017 के मध्य ₹ 107.30 लाख[40] की निधियां स्टाफ के वेतन एवं भत्तों, ठेकेदार को भुगतान और लेखापरीक्षा फीस के लिए विपथित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, उस सीमा तक नगरपालिका क्षेत्रों में विकास कार्यों का निष्पादन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि दिशानिर्देशों की अपेक्षानुसार सरकार से अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी।

इंगित किए जाने पर सचिव, नगरपालिका, पेहोवा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, नगर निगम, अंबाला. और कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, चरखी दादरी ने बताया (जुलाई-नवंबर 2018) कि इन नगर पालिकाओं की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण, वेतन, अन्य भत्ते, आदि के

[40] नगर निगम, अंबाला: ₹ 21.89 लाख (जुलाई 2015), नगर परिषद, चरखी दादरी: ₹ 25.56 लाख (अप्रैल 2015 से मई 2017), नगरपालिका, पेहोवा: ₹ 59.85 लाख (मार्च 2017 से जून 2017)।

खर्च को पूरा करने के लिए निधियों को विपथित किया गया था। तथ्य यह है कि विकास कार्यों की निधियों को वेतन और मजदूरी पर खर्च किया गया था जो योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था।

यह मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया (नवंबर 2017 से दिसंबर 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2021)।

सिफारिश: नगरपालिकाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए ये प्राप्त/संस्वीकृत की गई थी। इसके अलावा, मंजूरी आदेश में निर्धारित के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसी राशि के उपयोग के लिए, यदि कोई हो, सरकार का अनुमोदन मांगा जाना चाहिए।

2017-18 और 2018-19 की अवधि का प्रारूप वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन संदर्भित किया गया (मार्च 2019 और नवंबर 2020) और प्रारूप वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के समेकन के बाद उसे हरियाणा सरकार के पास भेजा गया (अप्रैल 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2021)।

विशाल बंसल

चंडीगढ़ (**विशाल बंसल**)

दिनांक: **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**, **हरियाणा**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 5)

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति

क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत पद	तैनाती	रिक्त
1.	महानिदेशक, विकास एवं पंचायत	1	1	0
2.	संयुक्त निदेशक पंचायत (प्रशासन)	1	1	0
3.	संयुक्त निदेशक पंचायत (पंचायती राज)	2	2	0
4.	उप-निदेशक पंचायत	2	1	1
5.	उप-निदेशक पंचायत (विधि)	1	1	0
6.	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी[1]	44	23	21
7.	प्राचार्य	2	1	1
8.	मुख्य अभियंता	1	1	0
9.	अधीक्षक अभियंता	10	9	1
10.	कार्यकारी अभियंता	28	15	13
11.	उप-मंडल अभियंता	148	87	61
12.	सहायक निदेशक	2	2	0
13.	विधि अधिकारी	1	2	-1
14.	लेखा अधिकारी	1	0	1
15.	अनुभाग अधिकारी	1	0	1
16.	अधीक्षक	9	7	2
17.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी	140	72	68
18.	लेक्चरर	8	5	3
19.	उप-अधीक्षक	57	42	15
20.	सहायक	367	280	87
21.	निजी सहायक	3	0	3
22.	सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर	3	1	2
23.	जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर	5	0	5
24.	सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी	140	65	75
25.	स्टेनो टाईपिस्ट	192	121	71
26.	लिपिक	416	251	165
27.	ड्राईवर	199	102	97
28.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	0
29.	कनिष्ठ अभियंता	560	535	25
30.	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	8	7	1
31.	लेखाकार	191	168	23
32.	लेखा लिपिक	156	130	26
33.	ग्राम सचिव	2,237	1,500	737
34.	पटवारी	130	90	40
35.	सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन	1	0	1
36.	हेड ड्राफ्ट्समैन	2	2	0
37.	ड्राफ्ट्समैन	5	0	5
38.	फेरोप्रिंटर	1	1	0
39.	दफ्तरी	1	1	0
40.	जमादार	4	1	3
41.	सेवादार	521	460	61
42.	स्वीपर-सह-चौकीदार	5	2	3
43.	माली-सह-चौकीदार	141	105	36
44.	कुक	4	1	3
45.	चौकीदार	5	0	5
46.	माली	3	3	0
कुल		**5,760**	**4,099**	**1,661**

[1] उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के 22 पदों सहित।

परिशिष्ट-II

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 5)

राज्य में जिला परिषदों में कर्मचारियों (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति

क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत पद	तैनाती	रिक्त
1	अधीक्षक	21	4	17
2	लेखाकार	21	9	12
3	सहायक	40	17	23
4	सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर	21	2	19
5	स्टेनो टाईपिस्ट	21	5	16
6	लिपिक	21	13	8
7	लेखा लिपिक	21	14	7
8	ड्राईवर	21	10	11
9	चौकीदार-सह-माली	21	9	12
10	सेवादार	40	29	11
11	स्वीपर	21	18	3
कुल		**269**	**130**	**139**

परिशिष्ट-III

(संदर्भः अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 8)

क: 2017-18 के दौरान नमूना-जांच की गई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सूची

जिला परिषद् का नाम	क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम (खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी)	ग्राम पंचायत का नाम
सोनीपत	1	गन्नौर	(1) अटैल, (2) बेगा, (3) भोरा रसूलपुर, (4) दतौली, (5) गुमर, (6) खिजरूर अहीर, (7) मोई, (8) पुरखास धीरन, (9) सायन खेड़ा, (10) तिवारी
	2	मुरथल	(1) गढ़ी बख्तावरपुर, (2) बरौली, (3) पलरी कलां
	3	सोनीपत	(1) बादशाहपुर मछरी, (2) भटाना जाफराबाद, (3) छटिया औलिया, (4) गुहना, (5) जाजी, (6) करेवाड़ी, (7) महिपुर, (8) नैनातातरपुर, (9) सालारपुर माजरा, (10) शहजादपुर
	4	गोहाना	(1) रिवाड़ा, (2) सरगथल, (3) बिधल, (4) खेड़ी डंकन, (5) कसंडी, (6) बरोटा, (7) गिवाना
	5	मुंडलाना	(1) ईस्सापुर खेड़ी, (2) बड़ौदा तूथन, (3) चटेहारा, (4) गंगेसर, (5) भदोती खास, (6) सिवांका, (7) महमूदपुर मान
	6	कथुरा	(1) छपरा, (2) घरवाल, (3) घरवाल पाना तिहाई, (4) गुढ़ा
	7	राई	(1) नाहरी, (2) बाज़ीदपुर सबौली, (3) बढ़मलिक, (4) बड़खालसा, (5) सेवली, (6) नंगल कलां, (7) परितमपुरा, (8) औरंगाबाद
	8	खरखौदा	(1) जटोला, (2) निरथन, (3) सिसाना-1, (4) आनंदपुर, (5) कुंडल, (6) बरोना, (7) गोपालपुर, (8) थाना कलां, (9) बिधलान
अंबाला	9	साहा	(1) सम्मालखा, (2) नारायणगढ़ माजरा, (3) दीनारपुर, (4) दुबली, (5) बाजिदपुर, (6) गगनहेड़ी, (7) हरियोली, (8) छपरा, (9) बिहटा
	10	शाहजादपुर	(1) बारी बस्सी, (2) भड़ोग, (3) भरापुरा, (4) गोविंदपुर, (5) कोरवा कलां, (6) रचेरी, (7) धामोली बिचली, (8) बड़ागढ़, (9) खानपुर ब्रह्मनना, (10) भेरों, (11) धनाना, (12) करासन
	11	अंबाला-1	(1) कलावार, (2) दानीपुर, (3) तेजन, (4) नूरपुर, (5) छोटा बरौला, (6) धनौरा, (7) अधो माजरा, (8) भुरंगपुर, (9) भानपुर नकटपुर, (10)) मस्तपुर, (11) माथेरी शेखन, (12) नग्गल, (13) धुराला, (14) सौंटी, (15) माथेरी शेखन, (16) भानोखेड़ी
	12	अंबाला-2	(1) बरनाला, (2) रोलन, (3) जनेतपुर, (4) खतौली, (5) टूंडली
	13	नारायणगढ़	(1) अकबरपुर, (2) ब्राह्मण माजरा, (3) बरौली, (4) खेरकी जट्टन, (5) बल्टी, (6) काठे माजरा, (7) नबीपुर, (8) छोटी कोहरी, (9) कंजला, (10) बल्लोपुर, (11) फतेहपुर-80, (12) छोटी रसौड़, (13) छज्जल माजरा, (14) नंदुवाली, (15) कल्याणा
	14	बराड़ा	(1) अधोया (एम), (2) अधोया हिंदवान, (3) बिक्कमपुर, (4) जलुबी, (5) खानपुरा, (6) मलिकपुर, (7) मनका, (8) राजोखेड़ी, (9) सिम्बला, (10) सोहता, (11) टंडवाल
रेवाड़ी	15	रेवाड़ी	(1) बलियर खुर्द, (2) बिथवाना, (3) धलियावास, (4) गोकलपुर, (5) जंती, (6) कमालपुर, (7) किशनगढ़, (8) मांढिया कलां, (9) निगानियावास, (10) सुनारिया असदपुर, (11) बरियावास, (12) छुरियावास, (13) फडनी, (14) जैत्रावास, (15) कालूवास, (16) खिजुरी, (17) मलाहेरा, (18) निखरी, (19) तातारपुर इस्तमुरार
	16	बावल	(1) प्राणपुरा, (2) रसियावास, (3) शाहपुर, (4) पंवार, (5) मुकंदपुर बसई, (6) आराम नगर, (7) जलालपुर, (8) हरचंदपुर, (9) बलवास, (10) खुरमपुर, (11) आनंदपुर, (12) सुलखा, (13) धरन, (14) चिहरा, (15) जलियावास
	17	जाटूसाणा	(1) नंगल पठानी, (2) मांधिया खुर्द, (3) चौकी नंबर 1, (4) कटोपुरीबुजुर्ग, (5) सुमाखेड़ा, (6) कन्होरी, (7) गुरावरा, (8) हलुहेड़ा, (9) बोहटवास भोंडू, (10) नैनसुखपुरा, (11) परखोतमपुर, (12) बलधन खुर्द, (13) रसूली

जिला परिषद् का नाम	क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम (खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी)	ग्राम पंचायत का नाम
	18	खोल	(1) ढाणी थाथरबाद, (2) बुड़ोली, (3) ढाणीसंतो, (4) ढाणी सुंदरोज, (5) हरजीपुर, (6) गोलियाका, (7) बास, (8) मामड़िया अहीर, (9) कुंडल
	19	नाहर	(1) कारोली, (2) गुडियानी, (3) लुलाहिर, (4) बहरामपुर, (5) झाल, (6) सुरहेली, (7) भुरथला, (8) रतनथल, (9) मुमताजपुर
सिरसा	20	सिरसा	(1) भरोखान, (2) कंगनपुर, (3) कुसुम्बी, (4) दरबी, (5) बागुवाली, (6) फरवैन खुर्द, (7) मुसाहिबवाला, (8) पनिहारी, (9) बरुवाली-प्रथम
	21	डबवाली	(1) अहमदपुर/दरेवला, (2) चकजालु, (3) चौटाला, (4) बनवाला, (5) बीजूवाली, (6) रामगढ़, (7) रिसालिया खेड़ा, (8) सक्ता खेड़ा, (9) तेजा खेड़ा
	22	बड़ागुढ़ा	(1) सुखचैन, (2) फतेहपुर नियामतखान, (3) छत्रियन, (4) कमल, (5) रोड़ी, (6) बीरुवालागुड्डा, (7) बुर्ज भंगू, (8) किरारकोट
	23	नाथुश्री चोपटा	(1) जस्सानिया, (2) शाहपुरिया, (3) मखोसरानी, (4) गांजा रूपाना, (5) जोधाकन, (6) हंजीरा, (7) रूपवास, (8) कुकरथाना, (9) नथुसारी कलां
	24	ओढां	(1) मलिकपुरा, (2) खतरावां/डोगरनवाली, (3) खोखर, (4) तिलोकेवाला, (5) चोरमारखेड़ा, (6) पन्नीवाला मोट्टा, (7) चुकेरियां
	25	रनिया	(1) अभोली, (2) गिंद्रान, (3) धोत्तर, (4) जोधपुरिया, (5) खाजा खेड़ा, (6) कुस्सर, (7) केहरवाला, (8) गिद्रांवाली, (9) ढाणी प्रताप सिंह
	26	एलनाबाद	(1) प्रताप नगर, (2) कर्मसाना, (3) हिमायुखेड़ा, (4) पट्टी कृपाल, (5) बुढ़ीमेरी, (6) अमृतसर कलां, (7) मोजुखेड़ा, (8) दमदमा
भिवानी	27	सिवानी	(1) धूलकोट, (2) ढाणी दरियापुर, (3) चनाना, (4) बख्तावरपुरा, (5) किकराल, (6) सैनीवास, (7) घांघला, (8) मोहिला, (9) मीठी, (10) झुम्पा खुरद
	28	तोशाम	(1) अलखपुरा, (2) भरिवास, (3) दादम, (4) ढाणी महू, (5) दुल्लहेड़ी, (6) जैनावास, (7) खरकड़ी मखवां, (8) मीरान
	29	बाढ़ड़ा	(1) दंडमा, (2) जीतपुरा, (3) गोपालवास, (4) रामबास, (5) सूरजगढ़, (6) कुब्जा नगर, (7) हंसवास कलां, (8) मंडी केहर, (9) बेरला, (10) कारी मोड
	30	बवानी खेड़ा	(1) जीता खेड़ी, (2) बोहल, (3) किरावर, (4) सिवाना, (5) रामूपुरा, (6) ढाणी कुशल
	31	दादरी-1	(1) संझरवास, (2) फोगाट, (3) संतोखपुरा, (4) बोंद कलां, (5) मोरवाला, (6) मकड़ाना
	32	दादरी-2	(1) नोस्वा, (2) फतेहगढ़, (3) आसावरी, (4) बादल, (5) खेड़ी बूरा, (6) चांगरोड
	33	बेहल	(1) बुधेरी, (2) गोकलपुरा, (3) सोरदा कदीम, (4) बहल, (5) सिधनवा, (6) हरियावास
	34	कैरु	(1) जुई कलां, (2) लोहानी, (3) सिमिलिवास, (4) मानसरवास, (5) लाड़ियावाली, (6) पोहकरवास, (7) कैरू-I
	35	लोहारू	(1) झांझरा श्योरां, (2) सेहर, (3) बुढेरा, (4) बरवास, (5) पहाड़ी, (6) ढिगावा शामियां, (7) गिग्नो

कुल ग्राम पंचायतें: 316

ख: 2018-19 के दौरान नमूना-जांच की गई पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों की सूची

जिला परिषद् का नाम	क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सह-पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
हिसार	1	उकलाना	(1) बुड्ढा खेड़ा, (2) भेरी अकबरपुर, (3) बिठमारा, (4) चमार खेड़ा, (5) दौलतपुर, (6) सूरेवाला
	2	अग्रोहा	(1) अग्रोहा, (2) जगन, (3) मीरपुर, (4) कान्हो
	3	आदमपुर	(1) भोडिया बिश्नोइयां, (2) चौधरीवाली, (3) ढाणी मोहबतपुर, (4) घुरसाल, (5) ढाणी सिसवाल
	4	हांसी-1	(1) सीसई बोला, (2) ढाणा कलां, (3) ढाणा खुर्द, (4) दयाल सिंह कॉलोनी, (5) कुंभा, (6) खानपुर, (7) बड़ा जग्गामल, (8) ढाणी ठकारियां
	5	हांसी-2	(1) मोहला, (2) भटोल जट्टां, (3) बड़ छप्पर, (4) भकलाना
	6	हिसार-1	(1) तलवंडी रूक्का, (2) मैयड़, (3) डाबड़ा, (4) भोजराज, (5) पायल, (6) धांसू, (7) मिर्जापुर, (8) ढाणी जाटन, (9) भगाना
	7	हिसार-2	(1) रावलवास कलां, (2) मुकलां, (3) शाहपुर, (4) धीरनवास, (5) सी ब्लॉक चिकनवास, (6) जाखोद खेड़ा, (7) खारिया, (8) पाटन
	8	नारनौद	(1) राजपुरा, (2) कगसार, (3) कोठ कलां, (4) खेड़ी जालब, (5) मोठ करनैल, (6) कापड़ो
	9	बरवाला	(1) मतलोडा, (2) धिंगताना, (3) खेड़ी बर्की, (4) सरसौद, (5) इसरहेड़ी
फतेहाबाद	10	टोहाना	(1) अमानी, (2) भोडिया खेड़ा, (3) चन्दर कलां, (4) डांगरा, (5) कन्हड़ी, (6) मधुवाना, (7) नंगला, (8) रत्ता खेड़ा, (9) रेहांवाली
	11	भूना	(1) ढाणी भोजराज, (2) काणी खेड़ी, (3) ढोलू, (4) गोरखपुर, (5) चौबारा, (6) नेहला
	12	जाखल	(1) मुंडलिया, (2) करंडी, (3) म्योंद बोंगावाली, (4) सिढाणी
	13	रतिया	(1) बिराबड़ी, (2) अलावलवास, (3) ढाणी दादुपुर, (4) बुर्ज (5) बबनपुर, (6) बारा, (7) सुखमनपुर, (8) बाह्मणवाला, (9) बोरा, (10) बादलगढ़, (11) भारपुर, (12) भुंदरवास
	14	फतेहाबाद	(1) नखटिया, (2) भिरडाना, (3) ढाणी माजरा, (4) खजूती जाट्टी, (5) खारा खेड़ी, (6) मताना, (7) काजल हेड़ी, (8) बानावाली सोत्तर, (9) चिंदर, (10) कता खेड़ी, (11) नूरकी अहली, (12) बिघर, (13) मल्हार
	15	भट्टू कलां	(1) शेखूपुर दड़ोली, (2) किरढान, (3) ढांड, (4) ढाणी चानन राम, (5) दैयार
यमुना नगर	16	साढौरा	(1) अस्गरपुर, (2) फिरोजपुर रैयां, (3) साढौरा, (4) रसूलपुर, (5) साढौरा नदीपार
	17	जगाधरी	(1) भोजपुर, (2) बीबी पुर, (3) हरिया बांस, (4) कैल, (5) कठवाला, (6) नगवा जागीर, (7) नाहर पुर, (8) नया गांव, (9) टापू कमलपुर
	18	बिलासपुर	(1) पिलखनवाला, (2) बिलास पुर, (3) ज्ञानेवाला, (4) पौंटी, (5) नग्गल पट्टी, (6) मछरौली, (7) सफिलपुर, (8) छज्जू नागला, (9) मुस्सिमबल (एम), (10) कोटड़ा खास, (11) भगवान पुर, (12) नागली-264, (13) खेड़ा ब्राह्मणन, (14) दरियापुर, (15) नवां शहर, (16) संधाई, (17) बुढ़ेरी, (18) रसूलपुर, (19) भूतगढ़, (20) मलिकपुर, (21) मिल्क खास
	19	मुस्तफाबाद	(1) भोगपुर, (2) छप्पड़, (3) दौलतपुर मालियां, (4) दराजपुर, (5) फतेहपुर, (6) गढौली, (7) गढ़ी सिकंदरा, (8) गुंडयानी, (9) गुंडयाना, (10) जगढौली, (11) झार चंदाना, (12) कन्हेड़ी खुर्द, (13) लंढौरा, (14) नगला खालसा, (15) पिंजोरी, (16) सुखदासपुर, (17) सुल्तानपुर

जिला परिषद् का नाम	क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सह-पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
	20	छछरौली	(1) बालाचौर, (2) बसातियां वाला, (3) भुखरी, (4) छछरौली, (5) चूहड़पुर खुर्द, (6) दारपुर, (7) धर्मकोट, (8) फतेहगढ़, (9) गनोली, (10) जैतपुर, (11) खादरी, (12) किशन पुरा माजरा, (13) कोट सरकारी, (14) लल्हेड़ी कलां, (15) लेडी, (16) मादो हल्दारी, (17) मामली, (18) मंड खेड़ी, (19) नाहर ताहरपुर, (20) रायपुर, (21) सलेमपुर कोही, (22) तेलीपुरा, (23) उर्जनी, (24) चौवाला, (25) हरौली
	21	रादौर	(1) अमलोहा, (2) बैंदी, (3) भगवानगढ़, (4) चमरोड़ी, (5) धोल्ड़ा, (6) घेशपुर, (7) घिलौड़, (8) जुब्बल, (9) कंडरोली, (10) कंजनु, (11) खेड़ी लाखा सिंह, (12) मधु बांस, (13) मोहड़ी, (14) नागल, (15) सांगी पुर
पंचकुला	22	बरवाला	(1) सुंदरपुर, (2) कामी, (3) खेतपुराली, (4) रत्तेवाली, (5) बरवाला
	23	रायपुर रानी	(1) शाहजहांपुर, (2) रहणा, (3) ताबर, (4) थारवा, (5) रत्ता टिब्बी, (6) समनवा, (7) टिब्बी माजरा, (8) सड़कपुर
	24	मोरनी	(1) बलाडवाला, (2) भोज कोठी, (3) भोज कोटी, (4) भोज कुदाना, (5) भोज मतोड़, (6) भोज नैटा, (7) भोज राजपुरा, (8) दूधगढ़, (9) साबिलपुर, (10) थंडोग
	25	पिंजौर	(1) बार, (2) भुवाना, (3) फतेहपुर दिवानवाला, (4) गोरख नाथ, (5) जबरोत, (6) खड़कुवा, (7) नानकपुर, (8) राम नगर, (9) खोखरा, (10) कंडियाला, (11) मारांवाला
करनाल	26	असंध	(1) बसी, (2) दुपेडी, (3) जलमाना, (4) मुंड, (5) अरडाना, (6) पोपड़ा, (7) बाहरी, (8) राहड़ा, (9) दनोली
	27	करनाल	(1) अब्दुलापुर, (2) बजीदा जट्टान, (3) चुंडीपुर, (4) दरड़, (5) गंजो गढ़ी, (6) कुराली, (7) रंबा, (8) सुभरी, (9) टिकरी
	28	कुंजपुरा (खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी)	(1) बयाना, (2) नेवल, (3) कलसोरा, (4) मैनमती, (5) बदरपुर, (6) नबीपुर, (7) कुंजपुरा, (8) मोदीपुर
	29	घरौंडा	(1) उप्ली, (2) पीर बरोली, (3) कुटैल, (4) बीजणा, (5) गढ़ी भराल, (6) बल्हेड़ा, (7) अलीपुर खालसा, (8) गढ़ी खजूर
	30	इंद्री	(1) लबकरी, (2) गढ़पुर टापू, (3) उडाना, (4) गढ़ी सधान, (5) भादसों, (6) दामणहेड़ी, (7) चंदरांव, (8) हनोड़ी, (9) कादराबाद, (10) छप्पड़ मुस्तरका, (11) मूसे पुर, (12) बूटान खेड़ी, (13) धनोखेड़ी
	31	नीलोखेड़ी	(1) सडीर, (2) दया नगर, (3) रायपुर रोड़ान, (4) अबला जागीर, (5) बीड़ नरयाणा, (6) रमाणा रमाणी, (7) सांवंत, (8) पूजम, (9) नरैणा, (10) कल्सी, (11) कुरक जागीर, (12) बुडश्याम, (13) सोहलो, (14) बुटाना
	32	मुनक (खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी)	(1) गोली, (2) पाढा, (3) सटोंडी, (4) कुताना, (5) अलावला, (6) कुडलन
	33	निसिंग, चिडाव	(1) बीड़ माजरा, (2) ब्रास, (3) गोहिदा, (4) हेम्दा, (5) जुंडला, (6) मोतिया, (7) पिंगली, (8) प्रेम खेड़ा, (9) सिरसी

कुल ग्राम पंचायतें: 305

कुल योग (क+ख)=621 ग्राम पंचायतें

परिशिष्ट-IV
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.1; पृष्ठ 9)
'पंचायती राज संस्थाओं में परिसंपत्तियों के प्रबंधन' की लेखापरीक्षा के लिए चयनित ग्राम पंचायतों की सूची

क्र. सं.	जिला का नाम	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/पंचायत समिति का नाम	चयनित ग्राम पंचायत का नाम	कुल
1.	करनाल	करनाल	(1) अब्दुल्लापुर, (2) बाजिदाजट्टान, (3) चुंडीपुर, (4) दरड़, (5) गंजो गढ़ी, (6) कुराली, (7) रंबा, (8) सुभरी और (9) टिकरी	9
		असंध	(1) बस्सी, (2) दुपेड़ी, (3) जलमाना, (4) मुंड, (5) अरदाना, (6) पोपड़ा, (7) राहुड़ा और (8) दनौली	8
		कुंजपुरा	(1) ब्याना, (2) कमालपुर गडरियान, (3) कलसोरा, (4) मैनमती, (5) डबकौली खुर्द, (6) नबीपुर, (7) मुगल माजरा और (8) मोदीपुर	8
		इंद्री	(1) लबकरी, (2) गुढपुर टापू, (3) उड़ाना, (4) गढ़ीसाधान, (5) भादसों, (6) धामणहेड़ी, (7) कादराबाद, (8) छप्पर, (9) बुटानखेड़ी और (10) धन्नोखेड़ी	10
		निसिंग	(1) बीड़ माजरा, (2) ब्रास, (3) गोहिदा, (4) हेमदा, (5) जुंडला, (6) मोतिया, (7) पिंगली, (8) प्रेम खेड़ा और (9) सिरसी	9
		घरौंडा	(1) उपली, (2) पीर बड़ोली, (3) कुटेल, (4) बीजना, (5) गढ़ी भरल, (6) बल्हेड़ा, (7) अलीपुर खालसा और (8) गढ़ी खजूर	8
		नीलोखेड़ी	(1) संधीर, (2) एबलाजागीर, (3) रमाना रमानी, (4) सावंत, (5) कल्सी, (6) कुड़क जागीर, (7) बोडश्याम, (8) सोहलो, (9) बुटाना और (10) बीर नरियाणा	10
		मुनक	(1) गोली, (2) पाढा, (3) स्टोंडी, (4) कुताना, (5) अलावला और (6) कुड़लन	6
2.	कुरूक्षेत्र	पेहोवा	(1) थाना, (2) भोड़ा, (3) गढ़ी लांगरी, (4) नैचा, (5) कल्सा, (6) बटेहड़ी, (7) टीकरी, (8) सैयान खुर्द, (9) हलेवा और (10) बीबीपुर कलां	10
		लाडवा	(1) गोबिंद गढ़, (2) खरकली, (3) डुडी, (4) बीड़बड़ताली, (5) हलाल पुर, (6) बड़शामा, (7) बनी, (8) जोगी माजरा, (9) खेड़ी दाबदलान और (10) बरोट	10
		बाबैन	(1) बीड़ मंगोली, (2) जलखेड़ी, (3) खिड़की वीरान, (4) मंगोली रांगडान, (5) टटका, (6) फलसंडा रांगडान, (7) बीड़ कालवा, (8) बेरथली और (9) रामपुरा	9
		शाहबाद	(1) तंगोर, (2) सुखपुर, (3) नारायणगढ़, (4) शहजादपुर पट्टी, (5) रतनगढ़, (6) जन्थड़ी, (7) पिरीन्डवा, (8) रावा, (9) वाध्याना और (10) गोलपुरा	10
		थानेसर	(1) ईशाकपुर, (2) बिशनगढ़, (3) लोहार माजरा, (4) हथिरा, (5) पिपली माजरा, (6) बचगांववाला, (7) डोडाखेड़ी, (8) संतोखपुर, (9) खेड़ीरहीनगर और (10) खेमपुर रोडान	10
		पिपली	(1) बाजीदपुर, (2) अंथेरी, (3) शादीपुर शहीदां, (4) बीड़ मथाना, (5) किशनगढ़, (6) खैरी, (7) मसाना, (8) सांवला, (9) बीड़ पिपली और (10) उमरी	10
		इस्माइलाबाद	(1) बसंतपुर, (2) ब्रसलबेहड़ा, (3) बचकी, (4) डल्ला माजरा, (5) ठोल, (6) नायसी और (7) इस्माइलाबाद	7

क्र. सं.	जिला का नाम	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/पंचायत समिति का नाम	चयनित ग्राम पंचायत का नाम	कुल
3.	गुरूग्राम	गुरूग्राम	(1) पालड़ा, (2) सिकंदरपुर बाढा, (3) बाढा, (4) चंदू, (5) दौलताबाद, (6) धर्मपुर, (7) बाबूपुर और (8) बमरोली	8
		फरूखनगर	(1) ताजनगर, (2) अलीमुदीनपुर, (3) जोनियावास, (4) जुडोला, (5) तिरपड़ी, (6) शेखुपुर माजरी, (7) कालियावास, (8) बुढेरा, (9) घोसगर और (10) जटोला	10
		पटौदी	(1) खलीलपुर, (2) नूरपुर, (3) शाहपुरजाट, (4) मुझपुरा, (5) भोकरका, (6) नरहेड़ा, (7) फजलवास, (8) लांगड़ा (9) चंदेलाडुंगरावास और (10) हुसैनका	10
		सोहना	(1) घंगोला, (2) बेहलपा, (3) गढ़ी वाजिदपुर, (4) समरथला, (5) हरियाहेड़ा, (6) झोलका, (7) चौधपुर और (8) उल्लावास	8
4.	झज्जर	झज्जर	(1) मदानी, (2) खाजपुर, (3) चाबली, (4) सलोधा, (5) बिरधाना, (6) कुतानी, (7) बख्तावर रयां, (8) हसनपुर, (9) कमलगढ़ और (10) जोंढी	10
		बेरी	(1) डीघल, (2) भागलपुरी, (3) माजरा बी, (4) भागपुर, (5) ढ़राणा और (6) दुबलधन किरमाण	6
		बादली	(1) बुपनियां, (2) लकसर, (3) मुनीमपुर, (4) एम.पी. माजरा, (5) पेलपा और (6) देशालपुर	6
		मातनहैल	(1) खानपुर खुर्द, (2) मुबारिकपुर, (3) खोरड़ा, (4) झामरी, (5) झंसवा, (6) बांबुलिया, (7) कालियावास और (8) खापरवास	8
		साल्हावास	(1) कुंजिया, (2) ददनपुर, (3) जटवाड़ा, (4) साल्हावास, (5) कनवा, (6) निवादा और (7) मुबारिकपुर	7
		बहादुरगढ़	(1) नूना माजरा, (2) दहखोरा, (3) मातन, (4) सिधीपुर, (5) छुडानी, (6) लोहरहेड़ी, (7) बलौर और (8) निलोठी	8
5.	सिरसा	सिरसा	(1) बजेकां, (2) भरोकां, (3) चामल, (4) कंगनपुर, (5) मीरपुर, (6) खरेकां, (7) भंबूर और (8) बगुवाली	8
		रानिया	(1) पीर खेड़ा-मरावाली, (2) दरियावाला-बुखारा खेड़ा, (3) बानी, (4) मोहम्मदपुरिया, (5) निगराना, (6) कुसार, (7) बेचर, (8) केहरवाला, (9) ढाणी सतनाम सिंह और (10) हरिपुरा	10
		ओढां	(1) असिर, (2) चुकरियां, (3) माखा, (4) पानीवाला मोटा, (5) तखतमल, (6) आनंदगढ़, (7) दादू, (8) जगमलवाली, (9) नोरंग और (10) खेववाली	10
		नाथुश्री	(1) बरसारी, (2) जोगीवाला, (3) मक्खोसराणी, (4) रुपणा बिसनोइया, (5) रायपुर, (6) सेपुरा, (7) कगदाना, (8) खेड़ी, (9) राजपुरा किरवाली और (10) गंजा रूपाणा	10
		बड़ागुढ़ा	(1) नागोकी, (2) देसू खुर्द, (3) फागू, (4) रोरी, (5) सहरानी, (6) खुइयां नेपालपुर, (7) कुरंगवाली, (8) पक्का और (9) बप्प	9
		डबवाली	(1) राजपुरा माजरा, (2) मोढी, (3) रत्ताखेड़ा, (4) झुतीखेड़ा, (5) चकजालु, (6) मसितां, (7) लोहगढ़, (8) जोगीवाला, (9) मौजगढ़ और (10) अहमदपुर डेरेवाला	10
		ऐलनाबाद	(1) दामदमा, (2) पट्टी कृपाल, (3) हिमाउ खेड़ा, (4) ढाणी बचन सिंह, (5) मिर्जापुर, (6) अमृतसर कलां, (7) करम सना, (8) ममेरा खुर्द, (9) थोबरियां और (10) निमला	10
			कुल	**282**

परिशिष्ट-V

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.3.1; पृष्ठ 10)

कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर न देने के कारण राजस्व की हानि दर्शाने वाले विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	वर्ष	कुल कृषि योग्य भूमि	पट्टे पर दी गई भूमि	पट्टे पर नहीं दी गई भूमि	राजस्व की हानि
			(भूमि एकड़ में)			
1	ऐलनाबाद	2016-17	2755.00	986.00	1769.00	283.07
	ऐलनाबाद	2017-18	2755.00	999.00	1756.00	300.55
	ऐलनाबाद	2018-19	2755.00	957.00	1798.00	319.69
	ऐलनाबाद	2019-20	2755.00	957.00	1798.00	358.74
2	नाथुश्री चौपटा	2016-17	4071.00	2576.00	1495.00	366.19
	नाथुश्री चौपटा	2017-18	4071.00	2576.00	1495.00	515.33
	नाथुश्री चौपटा	2018-19	4071.00	2576.00	1495.00	424.90
	नाथुश्री चौपटा	2019-20	4071.00	2576.00	1495.00	817.77
3	ओढां	2016-17	2023.00	829.00	1194.00	145.66
	ओढां	2017-18	2023.00	798.00	1225.00	219.06
	ओढां	2018-19	2023.00	798.00	1225.00	200.19
	ओढां	2019-20	2023.00	798.00	1225.00	222.14
4	रानिया	2016-17	2270.00	1157.00	1113.00	230.41
	रानिया	2017-18	2270.00	1157.00	1113.00	271.97
	रानिया	2018-19	2270.00	1157.00	1113.00	316.76
	रानिया	2019-20	2270.00	1157.00	1113.00	391.81
5	सिरसा	2016-17	1695.00	1187.00	508.00	124.15
	सिरसा	2017-18	1695.00	1150.00	545.00	171.87
	सिरसा	2018-19	1695.00	1053.00	642.00	177.62
	सिरसा	2019-20	1695.00	1054.00	641.00	215.24
6	डबवाली	2016-17	3043.00	1581.00	1462.00	240.77
	डबवाली	2017-18	3043.00	1597.00	1446.00	265.98
	डबवाली	2018-19	3043.00	1597.00	1446.00	293.40
	डबवाली	2019-20	3043.00	1576.00	1467.00	328.69
7	बड़ागुढ़ा	2016-17	1579.00	611.00	968.00	232.02
	बड़ागुढ़ा	2017-18	1579.00	611.00	968.00	287.79
	बड़ागुढ़ा	2018-19	1579.00	611.00	968.00	293.10
	बड़ागुढ़ा	2019-20	1579.00	611.00	968.00	341.41
8	बाबैन	2016-17	1245.00	982.00	263.00	24.59
	बाबैन	2017-18	1245.00	973.00	272.00	39.75
	बाबैन	2018-19	1245.00	981.00	264.00	44.42
	बाबैन	2019-20	1245.00	982.00	263.00	46.48
9	इस्माइलाबाद	2016-17	623.00	415.00	208.00	40.91
	इस्माइलाबाद	2017-18	623.00	524.00	99.00	7.58
	इस्माइलाबाद	2018-19	623.00	524.00	99.00	6.24
	इस्माइलाबाद	2019-20	623.00	501.00	122.00	12.62

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	वर्ष	कुल कृषि योग्य भूमि	पट्टे पर दी गई भूमि	पट्टे पर नहीं दी गई भूमि	राजस्व की हानि
			(भूमि एकड़ में)			
10	लाडवा	2016-17	231.00	204.00	27.00	6.55
	लाडवा	2017-18	231.00	204.00	27.00	8.99
	लाडवा	2018-19	231.00	204.00	27.00	9.06
	लाडवा	2019-20	231.00	204.00	27.00	9.08
11	पेहोवा	2016-17	1821.00	1232.00	589.00	71.31
	पेहोवा	2017-18	1821.00	1324.00	497.00	78.48
	पेहोवा	2018-19	1821.00	1229.00	592.00	92.15
12	पिपली	2017-18	2613.00	1972.00	641.00	280.96
	पिपली	2018-19	2613.00	1951.00	662.00	282.45
	पिपली	2019-20	2613.00	1938.00	675.00	304.69
13	शाहबाद	2016-17	870.00	429.00	441.00	72.66
	शाहबाद	2017-18	870.00	449.00	421.00	75.97
	शाहबाद	2018-19	870.00	449.00	421.00	91.01
	शाहबाद	2019-20	870.00	449.00	421.00	92.55
14	थानेसर	2016-17	354.00	350.00	4.00	1.03
	थानेसर	2017-18	398.00	394.00	4.00	0.85
	थानेसर	2018-19	398.00	387.00	11.00	2.96
15	मातनहैल (खापरवास)	2013-14	3.00	0.00	3.00	0.33
		2014-15	3.00	0.00	3.00	0.33
		2015-16	3.00	0.00	3.00	0.33
		2016-17	3.00	0.00	3.00	0.33
		2017-18	3.00	0.00	3.00	0.33
16	बहादुरगढ़ (छुडानी)	2015-16	22.50	12.50	10.00	1.20
		2016-17	22.50	12.50	10.00	1.20
		2017-18	22.50	12.50	10.00	1.20
		04/2018-09/2018	22.50	12.50	10.00	0.60
17	फरूखनगर (कालियावास)	2014-15	42.25	0.00	42.25	3.70
		2015-16	42.25	0.00	42.25	3.70
18	सोहना (गंगोला)	2015-16	24.50	0.00	24.50	1.75
		2016-17	24.50	0.00	24.50	1.75
		2017-18	24.50	13.50	11.00	0.79
कुल			**96,335.00**	**54,607.50**	**41,727.50**	**10,077.16**

परिशिष्ट-VI
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.3.2; पृष्ठ 11)
प्रत्येक मामले में पट्टे पर दी गई 10 एकड़ से अधिक भूमि के विवरण

क्र. सं.	वर्ष	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का नाम	ग्राम पंचायत	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई भूमि का क्षेत्रफल		
					एकड़	कनाल	मरला
1	2017-18	झज्जर	बिरधाना	कृष्ण	17	4	0
2	2017-18		चाबिली	दिनेश कुमार	13	4	8
	2018-19				17	2	2
3	2017-18	मातनहेल	करोधा	अशोक	12	1	4
4	2018-19				12	1	4
5	2016-17	साल्हावास	कुंजिया	विरेंदर	20	5	0
6	2017-18				20	0	0
7	2018-19			रूपचंद	20	0	0
8	2017-18	गुरूग्राम	दौलताबाद	गगन	16	4	0
				सुनील	14	0	0
9	2018-19			गगन	13	4	0
				सतबीर	14	0	0
10	2018-19		बाबूपुर	महेश	15	0	0
11	2016-17	फरूखनगर	कालियावास	संजय	13	4	0

परिशिष्ट-VII
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.3.6; पृष्ठ 13)
ग्राम पंचायतों को वार्षिकी के असंवितरण दर्शाने वाले विवरण

(₹ लाख में)

जिला का नाम	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का नाम	वर्ष	प्राप्त की गई राशि	कुल राशि	संवितरित राशि	शेष राशि
झज्जर	झज्जर	2018-19	18.12	18.12	12.00	6.12
	बहादुरगढ़	2014-15	13.10	65.50	39.29	26.21
		2015-16	13.10			
		2016-17	13.10			
		2017-18	13.10			
		2018-19	13.10			
	साल्हावास	2014-15	9.96	50.10	29.85	20.25
		2015-16	10.26			
		2016-17	9.96			
		2017-18	9.96			
		2018-19	9.96			
	मातनहेल	2014-15	10.05	50.25	48.50	1.75
		2015-16	10.05			
		2016-17	10.05			
		2017-18	10.05			
		2018-19	10.05			
गुरूग्राम	गुरूग्राम	2014-15	3.20	17.52	9.35	8.17
		2015-16	3.58			
		2016-17	3.58			
		2017-18	3.58			
		2018-19	3.58			
	फरूखनगर	2014-15	4.80	28.25	11.89	16.36
		2015-16	7.40			
		2016-17	5.35			
		2017-18	5.35			
		2018-19	5.35			
	पटौदी	2015-16	11.00	45.29	21.35	23.94
		2016-17	11.43			
		2017-18	11.43			
		2018-19	11.43			
	सोहना	2014-15	8.80	43.37	18.96	24.41
		2015-16	9.82			
		2016-17	8.25			
		2017-18	8.25			
		2018-19	8.25			

जिला का नाम	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का नाम	वर्ष	प्राप्त की गई राशि	कुल राशि	संवितरित राशि	शेष राशि
कुरूक्षेत्र	बाबैन	2014-15	2.93	14.65	0.45	14.20
		2015-16	2.93			
		2016-17	2.93			
		2017-18	2.93			
		2018-19	2.93			
	इस्माइलाबाद	2014-15	3.54	17.70	0	17.70
		2015-16	3.54			
		2016-17	3.54			
		2017-18	3.54			
		2018-19	3.54			
	लाडवा	2014-15	12.18	60.90	0	60.90
		2015-16	12.18			
		2016-17	12.18			
		2017-18	12.18			
		2018-19	12.18			
	शाहबाद	2014-15	8.29	41.45	0	41.45
		2015-16	8.29			
		2016-17	8.29			
		2017-18	8.29			
		2018-19	8.29			
	थानेसर	2014-15	9.94	49.70	0	49.70
		2015-16	9.94			
		2016-17	9.94			
		2017-18	9.94			
		2018-19	9.94			
	पेहोवा	2014-15	9.89	49.45	0	49.45
		2015-16	9.89			
		2016-17	9.89			
		2017-18	9.89			
		2018-19	9.89			
कुल			**552.25**	**552.25**	**191.64**	**360.61**

परिशिष्ट-VIII
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.5.3.1; पृष्ठ 18)
भवन निर्माण सामग्री की खरीद पर भुगतान की गई अधिक राशि दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का नाम	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति का नाम	खरीदी गई सामग्री	अवधि	भुगतान की गई अतिरिक्त राशि (₹ लाख में)
1.	झज्जर	1. सुलोधा	सीमेंट	10/2016-09/2017	0.13
		2. कुटानी	सीमेंट	10/2016	0.16
		3. खाजपुर	सीमेंट	09/2016-08/2017	0.31
2.	बादली	4. एम.पी. माजरा	स्टोन डस्ट, मुरम, स्टोन मेटल	09/2017	0.29
3.	साल्हावास	5. जटवाड़ा	जी.एस.बी.	03/2018	0.22
4.	मातनहेल	6. झांसवा	जी.एस.बी.	09/2018	0.11
		7. मुबारिकपुर	आर.सी.सी. पाइप	03/2017	0.41
5.	बहादुरगढ़	8. सिद्दीपुर	स्टोन मेटल, मुरम	10/2018-03/2019	0.19
		9. बलोर	स्टोन मेटल, मुरम	03/2018	0.38
		10. बहादुरगढ़	स्टोन डस्ट, स्टोन मेटल, मुरम	09/2017-11/2018	0.77
6.	बेरी	11. डीघल	आर.सी.सी. बेंच	10/2018-11/2018	2.45
		12. भागपुर	आर.सी.सी. बेंच	08/2018	0.50
7.	फरूखनगर	13. सेखुपुर माजरी	तैयार मिश्रित कंकरीट	06/2018	0.42
		14. ताज नगर	जे.सी.बी., पाइप्स	11/2017-10/2018	0.10
		15. बुढेरा	जे.सी.बी.	05/2019	0.03
		16. तिरपड़ी	शटरिंग	09/2018	0.07
8.	पटौदी	17. फजलवास	तैयार मिश्रित कंकरीट	09/2018	0.13
9.	सोहना	18. उल्लाहवास	तैयार मिश्रित कंकरीट, जे.सी.बी.	12/2017-10/2018	0.39
10.	गुरूग्राम	19. बमरोली	शटरिंग	01/2018	0.18
		20. गुरूग्राम	ग्रेनाइट स्टोन	01/2015-04/2015	0.09
11.	नीलोखेड़ी	21. नीलोखेड़ी	शीशम की लकड़ी का शटर, दरवाजे और खिड़की के लिए चौखट, जामुकैल की लकड़ी	04/2017-11/2018	0.41
			कुल		**7.74**

परिशिष्ट-IX
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.6.1; पृष्ठ 20)
भूतपूर्व सरपंचों/पंचों से वसूलनीय राशि दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	भूतपूर्व सरपंच/पंच/ग्राम सचिव का नाम श्री/सुश्री	राशि (₹ लाख में)
1.	बेरी	भागलपुरी	संतोष कुमार	0.04
		माजरा बी	बेदपाल	0.13
			दिलबाग	0.01
			मुकेश	0.04
		धराणा	चन्दरभान	0.12
2.	मातनहेल	भांबुलिया	तारीफ	0.02
			सीमा देवी	0.22
		झामड़ी	हंसराज	0.06
			हंसराज	0.15
		कालियावास	अमर सिंह	0.02
			वेदपाल	0.003
			विजेंदर	0.45
		खापरवास	संतराम	0.18
		खानपुर खुर्द	अमरावती	4.40
3.	साल्हावास	ददनपुर	जयदयाल	0.02
			आजाद कौर	0.13
		कुंजिया	हवा सिंह	0.005
			सरवन देवी	0.22
		नवादा	पूनम	0.03
			दर्शना	0.08
		जटवाड़ा	विक्रम	2.35
			भरमा	0.19
4.	बादली	बुपनिया	चंदगीराम	0.07
			अमर सिंह	0.09
		एम.पी. माजरा	बनी सिंह	0.01
			ऋषि पाल	0.07
			मुकेश	0.10
		लक्सर	अशोक	0.34
			रोहताश	0.60
5.	झज्जर	जोंढी	मनफूल	0.17
		कुटानी	संतोष	0.12
			लाल सिंह	0.03
		केमलगढ़	कलावती	0.18
			भूराज	0.06
6.	पटौदी	लांगड़ा	सकुंतला	0.13
		फजलवास	विनोद	0.34
			रामकिशन	0.35
		मंधपुरा	ज्ञानो देवी	0.31
			शीश राम	0.19
		शाहपुर जाट	ईश्वर सिंह	0.15
			छतर सिंह	0.02
			राज सिंह	0.04
			कश्मीरी	0.01
			नरेश कुमार	0.13
		भोकरका	लक्ष्मी नारायण	0.02
		नरहेड़ा	हेम सिंह	0.28
		खलिलपुर	शिवचरण	0.02
			धरमपाल	0.04
		हुसैनका	मुख्तयार सिंह	0.07

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	भूतपूर्व सरपंच/पंच/ग्राम सचिव का नाम श्री/सुश्री	राशि (₹ लाख में)
7.	फरूखनगर	शेखुपुर माजरी	कांता	0.04
		जोनियावास	गजे सिंह	0.01
		तिरपड़ी	जगदीश	0.02
		घोसगढ़	नवीन	0.03
			सविता	0.04
8.	सोहना	घंगोला	केहर	0.03
			सुंदर	0.02
			अमित	0.13
			केला देवी	0.09
		बेहल्पा	ओम प्रकाश	0.10
		सरमथला	धर्मवीर	0.05
		चूहड़पुर	संतरा देवी	0.06
9.	गुरूग्राम	बाबूपुर	अतर सिंह	0.54
		धरमपुर	राज कुमार	0.27
		सिकंदरपुर	अनिल	0.06
			मुकेश	0.07
10.	असंध	मुंड	देवेंदर	0.14
			जीता राम	0.33
		जलमाणा	जय सिंह	0.02
			दिलीप सिंह	0.06
			परमजीत कौर	0.03
			गुरबाज	0.07
		दुपेड़ी	सुनीता	0.28
			महेंदर	0.34
		अरदाना	सुनील	0.04
		राहरा	ओमपाल	0.07
11.	घरौंडा	अलीपुर खालसा	सरबती देवी	0.10
			ओमपती	0.02
		बरौली	सीमा	0.52
12.	इंद्री	दामनहेड़ी	(उपलब्ध नहीं)	0.08
		गढ़पुर टप्पू	नियाजन	0.02
		धन्नोखेड़ी	शेर सिंह	0.27
			रामकली	0.34
		कादराबाद	बलवंत	0.49
			बलबीर	0.09
13.	कुंजपुरा	कलसोरा	कस्तूरी देवी	0.50
14.	नीलोखेड़ी	संधीर	रघुबीर	0.11
			दलबीर	0.24
15.	करनाल	कुराली	सुखदेव	0.02
		साबरी	धनपति	0.18
		बजीदाजटां	किशन सिंह	0.04
16.	निसिंग	मोतिया	मामराज	0.008
		बीर माजरा	सुरेंदर	0.04
		हेमदा	दाखों देवी	0.04
कुल				**18.856**

परिशिष्ट-X
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.6.2; पृष्ठ 20)
नकदी के अनियमित अवधारण के कारण ब्याज की अवसूली दर्शाने वाले विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का नाम	ग्राम पंचायत	माह	नकदी	रखी गई अतिरिक्त नकदी राशि	ब्याज (21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर)
1	झज्जर	राइया	07/2016 से 08/2016	2.50	2.25	0.08
2			01/2017	0.65	0.40	0.007
3			02/2017 से 03/2017	1.68	1.43	0.05
4			04/2017	2.14	1.89	0.03
5			05/2017 से 08/2017	3.47	3.22	0.23
6			09/2017	3.52	3.27	0.06
7			10/2017 से 12/2017	2.90	2.65	0.14
8			01/2018 से 03/2018	0.92	0.67	0.04
9			04/2018 से 07/2018	2.63	2.38	0.17
10			08/2018 से 10/2018	0.92	0.67	0.04
11			11/2018 से 12/2018	0.87	0.62	0.02
12			01/2019 से 03/2019	1.17	0.92	0.05
13		भदानी	04/2016 से 12/2016	2.06	1.81	0.29
14			01/2017 से 03/2017	1.90	1.65	0.09
15			04/2017 से 03/2018	3.58	3.33	0.70
16			04/2018 से 03/2019	6.00	5.75	1.21
17		हसनपुर	07/2018 से 09/2018	0.59	0.34	0.02
18			10/2018 से 03/2019	1.41	1.16	0.12
19	बेरी	डीघल	04/2017 से 03/2018	0.87	0.62	0.13
20			04/2018 से 03/2019	1.51	1.26	0.27
21		माजरा(बी)	10/2017 से 03/2018	0.66	0.41	0.04
22			04/2018 से 06/2018	1.01	0.76	0.04
23			07/2018 से 09/2018	2.46	2.21	0.12
24		भागपुर	04/2018 से 05/2018	1.03	0.78	0.03
25			06/2018 से 08/2018	5.43	5.18	0.27
26			09/2018 से 10/2018	2.70	2.45	0.09
27			11/2018 से 12/2018	4.23	3.98	0.14
28			01/2019 से 03/2019	2.30	2.05	0.11
29	बहादुरगढ़	नूनामाजरा	05/2017 से 06/2018	3.19	2.94	0.67

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का नाम	ग्राम पंचायत	माह	नकदी	रखी गई अतिरिक्त नकदी राशि	ब्याज (21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर)
30	पटौदी	लांगरा	04/2017 से 07/2017	0.63	0.38	0.03
31			08/2017 से 12/2017	0.62	0.37	0.03
32			01/2018 से 03/2018	0.61	0.36	0.02
33			04/2018 से 03/2019	1.01	0.76	0.16
34			04/2019 से 07/2019	2.02	1.77	0.12
35		नरहेड़ा	03/2017	0.36	0.11	0.002
36			04/2017 से 05/2017	6.52	6.27	0.22
37			06/2017 से 08/2017	2.92	2.67	0.14
38			09/2017 से 12/2017	2.89	2.64	0.18
39			01/2018 से 03/2018	1.93	1.68	0.09
40			04/2018 से 06/2018	2.20	1.95	0.10
41		हुसैनका	11/2017 से 12/2017	0.58	0.33	0.01
42			04/2018 से 07/2018	1.38	1.13	0.08
43			08/2018 से 09/2018	1.78	1.53	0.05
44			10/2018 से 12/2018	1.54	1.29	0.07
45			01/2019 से 03/2019	1.64	1.39	0.07
46			04/2019 से 06/2019	0.97	0.72	0.04
47			07/2019 से 09/2019	1.17	0.92	0.05
48	मुनक	कुटाना	09/2017 से 12/2017	2.35	2.10	0.15
49			01/2018 से 02/2018	2.68	2.43	0.05
50			03/2018	3.03	2.78	0.05
51			04/2018 से 09/2018	6.42	6.17	0.65
52			10/2018 से 12/2018	6.57	6.32	0.33
53			01/2019 से 02/2019	0.34	0.09	0.003
54	इंद्री	धन्नोखेड़ी	05/2018 से 07/2018	1.26	1.01	0.05
					कुल	**8.002**

परिशिष्ट-XI

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 24)

बकाया गृह-कर को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का नाम	बकाया गृह कर (₹ लाख में)
2017-18		
1.	डबवाली (सिरसा)	10.63
2.	बाधरा (चरखी दादरी)	3.88
3.	मुरथल (सोनीपत)	12.14
4.	शहजादपुर (अंबाला)	0.69
5.	साहा (अंबाला)	12.78
6.	रेवाड़ी (रेवाड़ी)	2.70
7.	बावल (रेवाड़ी)	2.25
2018-19		
8.	नारनौद (हिसार)	35.34
9.	साढौरा (यमुना नगर)	2.71
10.	टोहाना (फतेहाबाद)	4.94
11.	रतिया (फतेहाबाद)	5.23
12.	भूना (फतेहाबाद)	16.98
13.	जगाधरी (यमुना नगर)	0.33
14.	जाखल (फतेहाबाद)	9.72
15.	फतेहाबाद (फतेहाबाद)	18.53
16.	बिलासपुर (यमुना नगर)	11.44
17.	करनाल (करनाल)	2.85
18.	छछरौली (यमुना नगर)	3.47
19.	मुस्तफाबाद (फतेहाबाद)	4.68
20.	रादौर (यमुना नगर)	30.25
21.	मोरनी (पंचकुला)	2.68
22.	नीलोखेड़ी (करनाल)	21.09
	कुल	**215.31**

स्रोत: संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

परिशिष्ट-XII

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6; पृष्ठ 25)

अनुसूचित जाति की कम आबादी वाले गांवों में अनुसूचित जाति उप-योजना निधियों के उपयोग की विवरणी

क्र. सं.	खंड	वर्ष	गांव	कार्यों की संख्या	कुल व्यय (₹ लाख में)	अनुसूचित जाति जनसंख्या (प्रतिशत में)
1.	बड़ागुढ़ा	2012-13	बुप्प	1	3.20	31-39
			नागोकि	1	3.00	21-30
			करमगढ़	1	1.10	31-39
		2014-15	सुखचैन	1	4.84	21-30
		2015-16	थिराज	1	1.01	31-39
			सुरतिया	1	2.75	31-39
		2016-17	रोरी	1	3.00	31-39
2.	ऐलनाबाद	2012-13	हुमाऊ खेड़ा	1	4.49	11-20
			भुरतवाला	1	1.98	31-39
			धोलपलिया	1	1.98	11-20
			कारीवाला	1	1.98	31-39
			कुट्टाबाद	1	1.98	11-20
3.	नाथुश्री चोपटा	2012-13	नाथुश्री कलां	1	1.62	11-20
			हंजीरा	1	4.99	11-20
		2014-15	गुड़िया खेड़ा	1	19.83	11-20
		2015-16	जसानिया	1	0.26	21-30
			जसानिया	1	0.25	21-30
		2016-17	कागदान	1	4.41	31-39
4.	सिरसा	2012-13	कुसुम्बी	1	2.55	11-20
			मंगला	1	1.50	21-30
		2014-15	मीरपुर	1	1.35	11-20
			मीरपुर	1	2.16	11-20
			बंसुधार	1	8.73	21-30
			वैदवाला	2	1.99	21-30
		2015-16	शमशबत पट्टी	1	4.75	0-5
			पनिहारी	1	4.54	31-39
			वैदवाला	1	1.00	21-30
			हांडीखेड़ा	1	1.00	31-39
			मीरपुर	1	3.80	11-20
		2016-17	पनिहारी	1	1.57	31-39
			बंसुधार	1	7.20	21-30
5.	डबवाली	2014-15	रत्ता खेड़ा	1	6.01	21-30
		2015-16	बनवाला	1	4.01	21-30
			अबूदशहर	1	3.00	31-39
6.	ओढ़ां	2014-15	धरमपुरा	1	1.96	21-30
			ओढ़ां	1	6.34	21-30
			तख्त मल	1	1.36	21-30
		2015-16	रोहिरणवाली	1	0.75	11-20
			टप्पी	1	0.61	11-20
			पिपली	1	3.86	21-30
			केवल	1	2.23	21-30
		2016-17	लकडांवाली	1	9.48	31-39
7.	रानिया	2015-16	धनूर	1	4.61	31-39

क्र. सं.	खंड	वर्ष	गांव	कार्यों की संख्या	कुल व्यय (₹ लाख में)	अनुसूचित जाति जनसंख्या (प्रतिशत में)
8.	आदमपुर	2015-16	मोडा खेड़ा	1	3.12	21-30
			चुली बगरियां	1	3.01	11-20
		2016-17	बागला	2	10.82	11-20
			चौधरीवाली	1	9.45	11-20
			दरौली	1	1.72	21-30
			ढाणी मोहब्बतपुर	3	11.63	11-20
			ढाणी सिसवाली	1	7.46	11-20
			काबरेली	3	18.69	11-20
			खरा बरवाला	1	5.00	21-30
			मोठसारा	1	9.57	21-30
			सदलपुर	3	15.86	11-20
			सिसवाली	2	9.66	11-20
			तलेंवाली	1	0.57	21-30
			भोडिया बिश्नोइयां	1	13.35	11-20
			चुली कलां	1	0.99	11-20
		2017-18	महलसर	1	8.80	0-5
9.	अग्रोहा	2014-15	दुर्जैनपुर	1	5.07	21-30
			भाना	1	7.99	11-20
			चिकनवास	1	13.48	11-20
			सारंगपुर	1	14.96	11-20
			कनोह	2	12.02	31-39
			किरमारा	1	4.83	11-20
		2015-16	अग्रोहा	1	2.46	21-30
		2016-17	दुर्जैनपुर	1	1.51	21-30
			भाना	1	9.00	11-20
			चिकनवास	1	4.94	11-20
			अग्रोहा	1	4.20	21-30
			जगन	1	1.18	5-10
			कालीरावण	1	9.76	11-20
			कुलेरी	2	15.31	21-30
			लंधारी	2	17.18	31-39
			सैंडोल	1	7.00	5-10
			शमसुख	1	5.00	11-20
			थस्का	1	3.14	21-30
10.	हांसी-1	2014-15	कंवारी	1	8.50	21-30
		2015-16	डाटा	2	4.55	21-30
			धमैण	1	2.50	11-20
			ढंढेरी	1	0.42	21-30
			खानपुर	1	2.93	21-30
			कुम्भा	1	1.77	21-30
			सिंधेर	1	2.50	31-39
			सोरखि	2	6.01	31-39
			सुल्तानपुर	1	11.86	11-20
			सिसई कालीरावण	1	4.58	11-20
		2016-17	कंवारी	1	4.63	21-30
			डाटा	11	53.47	21-30
			खानपुर	3	14.79	21-30
			सिंधेर	6	27.95	31-39
			देपल	1	6.21	21-30
			गुराणा	4	27.13	21-30
			माजोद	2	6.00	31-39
			मसूदपुर	2	5.64	21-30
			सिंगवा राघो	4	24.30	21-30
			सिसाय बोला	4	18.57	21-30
			सिसाय कालीरावण	3	13.62	11-20
			उमरा	1	9.38	21-30

क्र. सं.	खंड	वर्ष	गांव	कार्यों की संख्या	कुल व्यय (₹ लाख में)	अनुसूचित जाति जनसंख्या (प्रतिशत में)
11.	नारनौंद	2014-15	मोठ करनैल	1	3.80	21-30
			मिर्चपुर	1	2.87	11-20
			राखी शाहपुर	1	3.94	11-20
		2015-16	मिर्चपुर	1	1.96	11-20
			पेटवाड़	2	5.99	11-20
			लोहारी राघो	1	2.15	31-39
			बुडाना	1	2.50	11-20
			खेड़ी जालब	1	2.97	21-30
			कापड़ो	2	5.04	21-30
			हैबतपुर	1	2.99	21-30
			भैणी अमीरपुर	1	3.66	11-20
			राखी खास	1	9.34	11-20
		2016-17	मोठ करनैल	1	4.85	21-30
			मिर्चपुर	1	2.79	11-20
			पेटवाड़	2	9.45	11-20
			लोहारी राघो	2	10.00	31-39
			कापड़ो	3	10.97	21-30
			हैबतपुर	1	3.50	21-30
			भैणी अमीरपुरी	1	1.52	11-20
			माढा	2	8.76	21-30
			माजरा	1	4.50	21-30
			नाड़ा	1	2.00	21-30
			नारनौंद	1	4.50	11-20
			राजथल	2	5.49	21-30
12.	हिसार-1	2014-15	खरखड़ी	1	0.74	21-30
			ढाणी जाटां	1	2.34	5-10
		2015-16	भोज राजो	1	1.19	21-30
			कैमरी	1	2.04	21-30
		2016-17	खरखड़ी	1	1.89	21-30
			नियाणा	2	7.46	31-39
			कैमरी	1	0.93	21-30
			अलीपुर	2	11.18	31-39
			बुरे	1	1.78	21-30
			चिड़ोद	1	0.07	11-20
			डाबड़ा	1	2.87	21-30
			धांसू	1	3.91	5-10
			खरड़	1	6.49	11-20
			खोखा	1	3.00	31-39
			मिर्जापुर	3	10.46	31-39
			सहरवा	1	4.37	11-20
13.	हिसार-II	2014-15	डोबी	1	1.66	21-30
			शाहपुर	1	2.00	21-30
			मिंगणीखेड़ा	1	5.99	21-30
			बालसमंद	1	6.51	21-30
		2015-16	डोबी	1	4.99	21-30
			आर्य नगर	2	6.86	21-30
			भेरियां	1	1.91	21-30
		2016-17	बालसमंद	2	8.38	21-30
			आर्य नगर	1	4.00	21-30
			भेरियां	1	1.74	21-30
			बुड़क	1	5.97	21-30

क्र. सं.	खंड	वर्ष	गांव	कार्यों की संख्या	कुल व्यय (₹ लाख में)	अनुसूचित जाति जनसंख्या (प्रतिशत में)
			चौधरीवास	2	6.73	31-39
			देवा	1	4.62	21-30
			हिंदवां	1	2.89	21-30
			काजला	1	4.18	11-20
			नियोली कलां	1	8.46	21-30
			पनिहारचक	1	1.68	21-30
			रावलवास कलां	3	11.36	21-30
			सिंघरान	1	2.00	31-39
			भेरियां	1	1.64	11-20
			मुक्लैन	1	0.98	21-30
			सिसवाला	2	6.74	21-30
14.	उकलाना	2014-15	लिताणी	1	2.08	21-30
			बिठमड़ा	2	13.08	21-30
		2015-16	लिताणी	2	11.41	21-30
			बिठमड़ा	1	2.99	21-30
			पाबड़ा	1	1.99	21-30
			चमार खेड़ा	2	4.00	11-20
			प्रभुवाला	1	2.16	31-39
			दौलतपुर	1	2.50	31-39
			कल्लर भैणी	1	3.00	31-39
		2016-17	लिताणी	1	2.50	21-30
			बिठमड़ा	4	12.93	21-30
			पाबड़ा	10	24.42	21-30
			चमार खेड़ा	1	3.00	11-20
			दौलतपुर	3	8.39	31-39
15.	बरवाला	2014-15	सरेड़ा	1	0.74	11-20
			जेवरा	1	3.49	21-30
			सरसाणा	1	3.50	11-20
			खरक पुनिया	1	5.21	21-30
			बधावड़	1	5.80	11-20
		2015-16	सरेड़ा	1	2.85	11-20
			खरक पुनिया	2	2.09	21-30
			ढाढ़	1	3.36	11-20
			बोबुआ	1	2.75	31-39
			जुगलाण	1	3.65	21-30
			मतलौडा	2	9.00	11-20
			खेदड़	1	4.32	21-30
		2016-17	सरेड़ा	1	3.60	11-20
			खरक पुनिया	3	19.95	21-30
			बोबुआ	2	3.38	31-39
			मतलौडा	1	2.00	11-20
			खेदड़	4	17.82	21-30
			भादाखेड़ा	1	4.00	11-20
			भनभोरी	3	2.37	21-30
			बयाना खेड़ा	1	2.63	11-20
			धिगताणा	1	9.87	21-30
			ज्ञानपुरा	1	4.69	11-20
			हसनगढ़	1	6.95	21-30
			पनिहारी	1	1.98	21-30
			राजली	2	6.85	11-20
			बिचपड़ी	2	4.10	31-39

क्र. सं.	खंड	वर्ष	गांव	कार्यों की संख्या	कुल व्यय (₹ लाख में)	अनुसूचित जाति जनसंख्या (प्रतिशत में)
			पंघाल	1	2.18	11-20
			सरसोद	2	4.19	21-30
			खेड़ी बरकि	1	1.46	31-39
16.	हांसी-II	2014-15	बड़छप्पर	1	6.64	21-30
		2015-16	बड़छप्पर	1	2.03	21-30
			सिंघवा खास	1	3.79	11-20
			बडाला	2	3.87	11-20
			सीसर	1	2.67	11-20
			भाटोल जटां	1	3.80	31-39
		2016-17	बडाला	1	1.91	11-20
			बास बादशाहपुर	2	11.99	5-10
			धर्म खेड़ी	1	7.84	21-30
			खांडाखेड़ी	1	4.69	31-39
			मोहला	3	17.93	31-39
			पुठी समैण	3	10.28	11-20
			उगालन	1	1.89	31-39
कुल					**1,271.18**	

अर्थात् ₹ 12.71 करोड़

परिशिष्ट-XIII

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7; पृष्ठ 26-27)

क: इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अपूर्ण आवास इकाइयों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	पहली व दूसरी किस्त की कुल राशि (₹ में)
1.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रेवाड़ी	2013-16	10	5,65,000
2.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बावल	2013-16	21	11,20,000
3.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जाटुसाना	2013-16	49	23,10,000
4.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, खोल	2013-16	136	65,15,000
5.	डी.आर.डी.ए., अंबाला	2013-16	534	2,53,55,000
6.	डी.आर.डी.ए., सिरसा	2013-16	159	65,30,000
7.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उकलाना	2013-14	17	7,05,000
8.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, अग्रोहा	2014-16	8	4,10,000
9.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, आदमपुर	2014-16	9	5,40,000
10.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बरवाला	2014-16	92	47,50,000
11.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हांसी-I	2014-16	57	28,25,000
12.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली	2013-15	28	16,80,000
13.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, मुस्तफाबाद	2013-15	7	4,20,000
14.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, मोरनी	2015-16	10	4,60,000
15.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हांसी-II	2015-16	113	56,60,000
16.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी,रतिया	2014-16	30	15,20,000
17.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद	2014-16	23	12,40,000
18.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, भट्टूकलां	2013-14	10	5,65,000
	कुल (क)		**1,313**	**6,31,70,000**

ख: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपूर्ण आवास इकाइयों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	पहली व दूसरी किस्त की कुल राशि
1.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद	2016-17	41	39,45,000
2.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रतिया	2016-17	50	51,90,000
3.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, भट्टूकलां	2016-18	59	54,75,000
	कुल (ख)		**150**	**1,46,10,000**

परिशिष्ट-XIV

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8; पृष्ठ 29)

क: पट्टा राशि के देर से जमा करने के कारण ब्याज की वसूलनीय राशि दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी	ग्राम पंचायत	प्राप्त पट्टे की राशि (₹ में)	देरी से जमा करवाई गई राशि (₹ में)	देरी की अवधि	जमा करवाने में देरी (दिनों में)	वसूलनीय ब्याज (21 प्रतिशत प्रतिवर्ष) (₹ में)
1	**फतेहाबाद**	चिंदर	2,76,200	1,65,700	19.04.18 से 26.04.18	8	762.67
				1,10,300	19.04.18 से 30.04.18	12	761.52
			2,70,400	2,70,200	15.06.17 से 02.07.17	18	2798.24
			3,57,700	1,30,000	13.05.16 से 01.06.16	20	1495.89
				2,27,700	13.05.16 से 23.08.16	103	13493.56
			2,64,600	1,00,000	21.05.15 से 29.05.15	9	517.81
				1,00,000	21.05.15 से 31.05.15	11	632.88
				30,000	21.05.15 से 02.06.15	13	224.38
				26,000	21.05.15 से 12.06.15	23	344.05
				8,000	21.05.15 से 07.07.15	49	225.53
			2,88,100	50,000	20.05.14 से 24.10.14	158	4545.21
				40,000	20.05.14 से 27.10.14	161	3705.21
				1,00,000	20.05.14 से 30.10.14	164	9435.62
				95,000	20.05.14 से 07.11.14	172	9401.10
		भिरडाना	6,18,200	3,00,000	05.05.18 से 03.06.18	30	5178.08
				3,18,200	05.05.18 से 27.09.18	146	26728.80
		काजलहेड़ी	7,17,250	3,75,000	26.04.18 से 14.05.18	18	3883.56
				1,40,000	26.04.18 से 01.06.18	36	2899.73
				2,02,250	26.04.18 से 01.07.18	66	7679.96
			5,56,500	90,000	0	0	0.00
				1,72,000	02.05.17 से 17.05.17	16	1583.34
				90,200	02.05.17 से 22.05.17	21	1089.81
				1,00,000	02.05.17 से 29.05.17	28	1610.96
				84,100	02.05.17 से 31.05.17	30	1451.59
				20,200	02.05.17 से 03.07.17	63	732.18
					कुल (क)		**1,01,181.68**

ख: नकदी के अनियमित प्रतिधारण के कारण ब्याज की वसूलनीय राशि दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी	ग्राम पंचायत	नकदी (₹ में)	देरी से जमा करवाई गई राशि (₹ में)	देरी की अवधि	जमा करवाने में देरी (दिनों में)	वसूलनीय ब्याज (21 प्रतिशत प्रतिवर्ष) (₹ में)
2	**बरवाला**	सरसोद	2,46,237	2,46,237	15.06.05 से 30.05.18	4,732	6,70,385.29
					कुल (ख)		**6,70,385.29**
3	**नारनौंद**	कोथकलां	11,48,594	11,23,594	01.06.13 से 30.06.13	30	19,393.54
			14,52,194	14,27,194	01.07.13 से 31.07.13	31	25,454.88
			14,52,194	14,27,194	01.08.13 से 31.08.13	31	25,454.88
			17,35,694	17,10,694	01.09.13 से 30.09.13	30	29,527.05
			11,65,054	11,40,054	01.10.13 से 31.10.13	31	20,333.57
			11,62,084	11,37,084	01.11.13 से 30.11.13	30	19,626.38
			11,62,094	11,37,094	01.12.13 से 31.12.13	31	20,280.77
			11,59,134	11,34,134	01.01.14 से 31.01.14	31	20,227.98

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी	ग्राम पंचायत	नकदी (₹ में)	देरी से जमा करवाई गई राशि (₹ में)	देरी की अवधि	जमा करवाने में देरी (दिनों में)	वसूलनीय ब्याज (21 प्रतिशत प्रतिवर्ष) (₹ में)
			11,59,134	11,34,134	01.02.14 से 28.02.14	28	18,270.43
			11,59,134	11,34,134	01.03.14 से 31.03.14	31	20,227.98
			11,59,134	11,34,134	01.04.14 से 30.04.14	30	19,575.46
			11,59,134	11,34,134	01.05.14 से 31.05.14	31	20,227.98
			23,96,534	23,71,534	01.06.14 से 30.06.14	30	40,933.33
			13,34,084	13,09,084	01.07.14 से 31.07.14	31	23,348.32
			13,34,084	13,09,084	01.08.14 से 31.08.14	31	23348.32
			13,34,084	13,09,084	01.09.14 से 30.09.14	30	22,595.15
			13,34,084	13,09,084	01.10.14 से 31.10.14	31	23,348.32
			13,79,934	13,54,934	01.11.14 से 30.11.14	30	23,386.53
			13,79,934	13,54,934	01.12.14 से 31.12.14	31	24,166.08
			13,79,934	13,54,934	01.01.15 से 31.01.15	31	24,166.08
			13,79,934	13,54,934	01.02.15 से 28.02.15	28	21,827.43
			13,79,934	13,54,934	01.03.15 से 31.03.15	31	24,166.08
कुल (ग)							**5,09,886.54**
4	**आदमपुर**	घुड़साल	5,90,900	5,65,900	12.04.17 से 30.04.17	18	5,860.55
			5,93,350	5,68,350	01.05.17 से 31.05.17	31	10,136.87
			5,91,556	5,66,556	01.06.17 से 30.06.17	30	9,778.91
			5,87,068	5,62,068	01.07.17 से 31.07.17	31	10,024.83
			5,70,305	5,45,305	01.08.17 से 31.08.17	31	9,725.85
			5,95,305	5,70,305	01.09.17 से 30.09.17	30	9,843.62
			3,15,492	2,90,492	01.10.17 से 31.10.17	30	5,013.97
			5,08,057	4,83,057	01.11.17 से 30.11.17	30	8,337.70
			2,36,777	2,11,777	01.12.17 से 31.12.17	31	3,777.17
			42,257	17,257	01.02.18 से 28.02.18	28	278.00
			42,239	17,239	01.03.18 से 31.03.18	31	307.47
			65,639	40,639	01.04.18 से 30.04.18	30	701.44
			कुल (घ)				**73,786.38**
		चौधरीवाली	2,27,492	2,02,492	01.08.17 से 30.09.17	61	7,106.64
			2,42,372	2,17,372	01.10.17 से 31.01.18	123	15,382.79
			2,26,780	2,01,780	01.02.18 से 31.03.18	59	6,849.46
			2,25,780	2,00,780	01.04.18 से 30.04.18	30	3,465.52
			कुल (ङ)				**32,804.41**
5	**उकलाना**	दौलतपुर	8,13,050	7,88,050	05.06.16 से 05.09.16	91	41,259.28
			8,22,900	7,97,900	10.04.17 से 02.06.17	52	23,871.42
			कुल (च)				**65,130.70**
कुल योग (क+ख+ग+घ+ ङ+च)							**14,53,175.00**

परिशिष्ट-XV
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.9; पृष्ठ 29)
प्रभार न सौंपने के कारण पूर्व-सरपंचों/पंचों से वसूल किए जाने वाली निधियों का विवरण

क्र. सं.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पूर्व-सरपंचों/पंचों की संख्या	अवधि	राशि (₹ लाख में)
1	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सिरसा	भरोकण	1	2010-15	2.43
2	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोनीपत	जाजी	3	उपलब्ध नहीं	3.93
		नैनातातरपुर	1	उपलब्ध नहीं	0.09
		महिपुर	1	उपलब्ध नहीं	0.19
3	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, गोहाना	सरगथल	4	उपलब्ध नहीं	1.04
		खेड़ी डंकन	1	उपलब्ध नहीं	0.20
4	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, मुंडलाना	ईस्सापुर खेड़ी	2	2000-15	0.26
		बड़ौदा थुथन	3	2000-15	0.89
		छतेरा	1	2010-15	1.58
5	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, अंबाला -II	जनेत पुर	2	2000-15	0.04
		टुंडली	1	2010-15	0.20
6	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बराडा	मनका	1	2010-15	0.27
		बीकोमपुर	1	2010-15	0.15
7	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बड़ा गुढ़ा	छत्रियां	1	2009-14	0.03
		मलारी	1	2009-14	0.72
8	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, राई	पबसरा	2	2013-15	0.87
9	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, खरखौदा	गोपालपुर	1	2010-15	0.23
		सिसाना-I	5	2005-15	0.40
10	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैरु	मानसरबास	1	2009-14	0.08
		लोहानी	1	2009-14	1.17
		कैरू-I	1	2005-09	0.19
11	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार-I	डाबड़ा	3	उपलब्ध नहीं	6.86
12	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार-II	शाहपुर	2	उपलब्ध नहीं	2.30
13	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, टोहाना	नांगला	2	2010-15	0.34
		हिंडलवाला	1	1989-93	0.26
14	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रतिया	ब्राह्मणवाला	1	1989-94	0.19
		रोजानवाली	1	2010-13	0.59
		ढाणी बबनपुर	1	2010-15	0.34
15	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जगाधरी	सुघ	1	2010-15	0.62
16	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद	भोडियाखेड़ा	2	2010-15	0.26
		चिंदर	2	1995-2015	0.02
17	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, मुस्तफाबाद	गढ़ीसिकंदरा	1	2010-15	0.19
		गढ़ीगोसाई	2	2005-15	0.40
		लवाणी	1	2010-15	0.20
		झाड़चंदाना	3	2000-15	0.16
कुल			**58**		**27.69**

परिशिष्ट-XVI

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.10; पृष्ठ 30-31)

क: मस्टर रोल पर बिना नाम और बिना हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लिए, किए गए भुगतान को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	यूनिट का नाम	गांव का नाम	कार्य का नाम	अवधि	श्रमिकों की संख्या	भुगतान की गई राशि (₹ में)
1.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, अग्रोहा	कुलेरी	सरकारी उच्च विद्यालय की पेंटिंग और सफेदी	03.12.17 से 29.12.17	11	1,33,850
		कुलेरी	सरकारी उच्च विद्यालय की पेंटिंग और सफेदी	01.01.18 से 11.01.18	11	56,050
		कालीरावण	आई.पी.बी. का निर्माण	01.12.17 से 27.12.17	12	1,33,850
2.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार-I	मय्यड़	सरकारी एस.एस. स्कूल की पेंटिंग	01.12.17 से 19.12.17	22	1,85,028
			नाली का निर्माण	02.01.18 से 10.01.18	15	57,538
3.	कार्यकारी अभियंता पंचायती राज, फतेहाबाद	नखटिया	आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण	07.02.16 से 20.02.16	8	31,668
		खजूरीजटी	आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण	01.03.16 से 12.03.16	11	41,973
		खरातीखेड़ा	आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण	01.03.16 से 11.03.16	8	25,562
4	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, भूना	नेहला	आई.पी.बी. स्ट्रीट का निर्माण	03.01.18 से 18.01.18	12	71,121
			आई.पी.बी. स्ट्रीट का निर्माण	08.12.17 से 21.12.17	9	41,238
			आई.पी.बी. स्ट्रीट का निर्माण	12.11.17 से 30.11.17	4	28,880
			आई.पी.बी. स्ट्रीट का निर्माण	01.01.18 से 17.01.18	18	1,24,474
				कुल	**141**	**9,31,232**

ख: विभिन्न कार्यों पर मजदूरों के एक साथ रोजगार और किए गए भुगतान दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	यूनिट का नाम	गांव का नाम	कार्य का नाम	अवधि	श्रमिकों की संख्या	भुगतान की गई राशि (₹ में)
1.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उकलाना	सूरेवाला	कुएँ के पास की चारदीवारी का निर्माण	05.01.15 से 14.01.15	4	15,220
			तालाब के पास चारदीवारी का निर्माण	05.01.15 से 14.01.15	4	15,220
2.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार-I	भगाना	ग्रिल लगाना	01.10.17 से 26.10.17	2	18,080
			स्वच्छता कार्य	01.10.17 से 20.10.17	2	15,960
3.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार-II	पातन	नाली की सलाई	11.10.16 से 20.10.16	4	9,144
			नाली का निर्माण	15.10.16 से 27.10.16	4	7,704
		धीरांवास	विकास केंद्र की सफेदी	01.01.17 से 29.01.17	3	6,044
			चारदीवारी का निर्माण	01.01.17 से 27.01.17	3	6754
		शाहपुर	पाइप लाइनों का कार्य	12.06.14 से 30.06.14	5	11,522
			पाइप लाइनों का कार्य	09.06.14 से 18.06.14	5	11,459
		जाखोदखेड़ा	पुलिया का निर्माण	01.05.17 से 29.05.17	1	6,096
			गली का निर्माण	10.05.17 से 31.05.17	1	6,096
			गली का निर्माण	01.05.17 से 04.05.17	1	1,524
4.	मुख्य योजना एवं विकास अधिकारी, करनाल	नीलोखेड़ी	बाल्मिकी चौपाल का निर्माण	01.08.17 से 14.08.17	11	26,352
			सामुदायिक कैंद्र का निर्माण	08.08.17 से 31.08.17	11	23,365
कुल					**61**	**1,80,540**

परिशिष्ट-XVII
(संदर्भ: अनुच्छेद 4.3.4.2; पृष्ठ 75)
क: स्टील के उपयोग के कारण वसूली के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	नगरपालिकाओं के नाम	कार्य का नाम	निष्पादन की अवधि	स्टील की मात्रा (एम.टी. में)	निविदा प्रीमियम (प्रतिशत में)	6000 प्रति एम.टी. की दर से अतिरिक्त भुगतान (₹ लाख में)
1	पेहोवा	पेहोवा में भरमजुन के पास सामुदायिक केंद्र और जिम का निर्माण	2018-19	33.14	6.96	2.13 (जून 2019 को)
2	पेहोवा	कैथल रोड पर नए नाला का निर्माण और मौजूदा नाला की मरम्मत	2018-19	9.90	(-)5.01	0.56 (मई 2019 को)
3	सांपला	सांपला में स्टेडियम में बहुउद्देशीय हॉल/सभागार का निर्माण	2017-18	197.79	13.99	13.53 (मार्च 2019 को)
4	सांपला	सर छोटू राम सामुदायिक केंद्र सांपला का निर्माण	2017-18	34.82	6.49	2.22 (अप्रैल 2018 को)
5	रानिया	बालेसर रोड रानिया में सामुदायिक हॉल और दुकानों का निर्माण	2018-19	48.26	8.08	3.13 (अगस्त 2019 को)
6	रानिया	मुख्य बाजार, रानिया में दुकानों और पार्किंग का निर्माण	2018-20	59.96	8.00	3.69 (फरवरी 2020 को)
		कुल				25.26

ख: हरियाणा की दरों की अनुसूची की तुलना में अधिक दरों के कारण अतिरिक्त भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	नगरपालिकाओ के नाम	कार्य का नाम	मद का नाम	ठेकेदार को वास्तव में भुगतान की गई दर	हरियाणा की दरों की अनुसूची के अनुसार ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाली दर	ठेकेदार को किया गया अधिक भुगतान (₹ लाख में)
1	नगरपालिका, सांपला	सांपला में स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम की चारदीवारी और ट्रैक का निर्माण	(i) हरियाणा की दरों की अनुसूची 31.83 के अनुसार 16 मीटर ऊंची 150 वॉट की 8 हाई मास्ट लाइट की आपूर्ति और लगाने का प्रावधान। (ii) अनुमान के अनुसार 16 मीटर ऊंची 150 वॉट की 8 हाई मास्ट लाइट की आपूर्ति और लगाने का प्रावधान।	43.20	14.48	28.72 (जनवरी 2019 को)
2	नगर निगम, करनाल	करनाल में वार्ड नं. 10 में सुभाष गेट से जट्टांमोहल्ला (पुराना शहर) तक 80 मि.मी. मोटी कलर्ड वाइब्ररेटेड टाइल्स उपलब्ध करवाना और लगाना तथा टाइप-I नाली का निर्माण करना	हरियाणा की दरों की अनुसूची 10.159 के अनुसार सभी रूप में 30 मि.मी. मोटे महीन बालू के बेड पर डिजाइन मिक्स सीमेंट एम-35 में सभी आकार और रंगों के 80 मि.मी. मोटे इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक प्रदान करना और बिछाना।	10.77	8.88	1.89 (नवंबर 2016 को)
3		करनाल में वार्ड नं. 10 में सुभाष गली से जट्टांमोहल्ला तक विभिन्न गलियों में 80 मि.मी. मोटी कलर्ड वाइब्ररेटेड टाइल्स उपलब्ध करवाना और लगाना तथा टाइप-I नाली का निर्माण करना	विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी रूप में रेत की 30 मि.मी. मोटी परत के साथ 80 मि.मी. मोटे टेबल बाइब्रेटिड इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक प्रदान करना और बिछाना।	14.42	11.90	2.52 (अक्तूबर 2016 को)
4	नगर निगम, यमुना नगर	वार्ड नंबर 9 में विभिन्न क्षेत्रों के नाली प्रकार I और II के साथ गलियों का निर्माण	हरियाणा की दरों की अनुसूची 13.89 बी के अनुसार 6 किलोग्राम प्रेशर सहने वाली 150 मि.मी. पी.वी.सी. रेन वाटर पाइप प्रदान करना और लगाना। अनुमान के अनुसार 6 किलोग्राम प्रेशर सहने वाली 150 मि.मी. पी.वी.सी. रेन वाटर पाइप।	0.88	0.49	0.39 (जुलाई 2018 को)
		कुल		**69.27**	**35.75**	**33.52**

परिशिष्ट-XVIII
(संदर्भ: अनुच्छेद 4.4; पृष्ठ 83)
विकास प्रभारों की वसूली न करने के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	नगरपालिकाओं के नाम	घोषित कॉलोनियों की संख्या	निर्मित क्षेत्र (वर्ग गज)	विकास प्रभारों की दर (₹ प्रति वर्ग गज)	राशि (₹ करोड़ में)
1.	नगर परिषद, चरखी दादरी	4	2,28,641.6	50	1.14
2.	नगर परिषद, बहादुरगढ़	26	9,45,784.4	50	4.73
3.	नगर परिषद, गोहाना	13	8,90,705.2	50	4.45
4.	नगर परिषद, पलवल	11	7,35,050.8	50	3.68
5.	नगरपालिका, हैली मंडी	6	1,82,129.2	30	0.55
6.	नगरपालिका, कलायत	3	54,740.4	30	0.16
7.	नगरपालिका, कलानौर	10	3,06,130.0	30	0.92
कुल		**73**	**33,43,181.6**		**15.63**

परिशिष्ट-XIX

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 85)

अस्वीकृत चैकों और उनमें आवेष्टित राशि के नगर निगम-वार मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	नगर निगम का नाम	अवधि	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	नगर निगम, अंबाला	मार्च 2012- जून 2017	413	115.19
2.	नगर निगम, फरीदाबाद	मार्च 2016- मार्च 2017	95	41.61
		कुल	**508**	**156.80**

परिशिष्ट-XX

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.8; पृष्ठ 87)

शुद्ध सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता को भुगतान किए गए वस्तु एवं सेवा कर के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	नगर निगम	फर्म का नाम	भुगतान का उद्देश्य	अवधि	भुगतान की गई कुल राशि (₹ लाख में)	भुगतान किया गया वस्तु एवं सेवा कर (₹ लाख में)
1.	नगर निगम, फरीदाबाद	इंपीरियल इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड सर्विसिज	स्वच्छता कार्य तथा फायर सर्विसिज	जुलाई 2017 से जनवरी 2018	538.19	69.05
2.		आर.एस. एंटरप्राइजेज	स्वच्छता कार्य	जुलाई 2017	19.13	2.99
3.		इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सेनीटेशन एंड पब्लिक हेल्थ	स्वच्छता कार्य	जुलाई 2017 से नवंबर 2017	78.37	12.16
4.		के.एस. मल्टीफैसीलिटी सर्विसिज (पी) लिमिटेड	स्वच्छता कार्य	नवंबर 2017	29.63	4.60
5.		इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सेनीटेशन एंड पब्लिक हेल्थ	स्वच्छता कार्य	अगस्त 2017 से फरवरी 2018	161.80	25.11
6.		आर.एस. एंटरप्राइजिज	स्वच्छता कार्य	दिसंबर 2017 से फरवरी 2018	92.35	14.26
7.		के.एस. मल्टीफैसीलिटी सर्विसिज (पी) लिमिटेड	स्वच्छता कार्य	अगस्त 2017	30.45	4.77
8.		आर.एस. एंटरप्राइजिज	स्वच्छता कार्य	जुलाई 2017 से नवंबर 2017	128.28	16.12
9.	नगर निगम, गुरूग्राम	इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सेनीटेशन एंड पब्लिक हेल्थ	स्वच्छता कार्य	जुलाई 2017 से दिसंबर 2017	36.32	5.64
10.		के.एस. मल्टीफैसीलिटी सर्विसिज (पी) लिमिटेड,	स्वच्छता कार्य	जनवरी 2018	29.53	4.57
11.		इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सेनीटेशन एंड पब्लिक हेल्थ	स्वच्छता कार्य	नवंबर 2017 से जनवरी 2018	20.39	3.165
12.		के.एस. मल्टीफैसीलिटी सर्विसिज (पी) लिमिटेड	स्वच्छता कार्य	मार्च 2018	54.77	10.67
13.		आर.एस. एंटरप्राइजेज	स्वच्छता कार्य	दिसंबर 2017	24.29	3.75
14.		के.एस. मल्टीफैसीलिटी सर्विसिज (पी) लिमिटेड	स्वच्छता कार्य	दिसंबर 2017	29.79	4.63

क्र. सं.	नगर निगम	फर्म का नाम	भुगतान का उद्देश्य	अवधि	भुगतान की गई कुल राशि (₹ लाख में)	भुगतान किया गया वस्तु एवं सेवा कर (₹ लाख में)
15.		इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सेनीटेशन एंड पब्लिक हेल्थ	स्वच्छता कार्य	दिसंबर 2017	37.17	4.80
16.		के.एस. मल्टीफैसीलिटी सर्विसिज (पी) लिमिटेड	स्वच्छता कार्य	अक्तूबर 2017	29.45	4.60
17.		इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सेनीटेशन एंड पब्लिक हेल्थ	स्वच्छता कार्य	अक्तूबर 2017	54.38	8.44
18.		आर.एस. एंटरप्राइजिज	स्वच्छता कार्य	जुलाई 2017 से अक्तूबर 2017	41.95	6.49
19.		इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सेनीटेशन एंड पब्लिक हेल्थ	स्वच्छता कार्य	सितंबर 2017	55.31	8.58
20.		आर.एस. एंटरप्राइजिज	स्वच्छता कार्य	सितंबर 2017	18.31	2.78
21		इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सेनीटेशन एंड पब्लिक हेल्थ	स्वच्छता कार्य	जुलाई 2017 से अगस्त 2017	13.99	2.17
22.		आर.एस. एंटरप्राइजिज	स्वच्छता कार्य	सितंबर 2017	24.15	3.75
कुल					**1,548.00**	**223.095**

परिशिष्ट-XXI
(संदर्भ: अनुच्छेद 4.9; पृष्ठ 87)
ई-निविदा प्रक्रिया के बजाय कोटेशन के आधार पर की गई खरीद को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	आपूर्तिकर्ताओं/एजेंसी/ठेकेदार का नाम	मदों का विवरण	कुल राशि (₹ लाख में)
1	नगर निगम, करनाल	वर्धमान फर्नीचर, करनाल	फर्नीचर की खरीद	0.47
		वर्धमान फर्नीचर, करनाल	फर्नीचर की खरीद	0.46
		वर्धमान फर्नीचर, करनाल	फर्नीचर की खरीद	0.49
		वर्धमान फर्नीचर, करनाल	फर्नीचर की खरीद	0.48
		वर्धमान फर्नीचर, करनाल	फर्नीचर की खरीद	0.50
		वर्धमान फर्नीचर, करनाल	फर्नीचर की खरीद	0.49
		वर्धमान फर्नीचर, करनाल	फर्नीचर की खरीद	0.49
		वर्धमान फर्नीचर, करनाल	फर्नीचर की खरीद	0.42
		वर्धमान फर्नीचर, करनाल	फर्नीचर की खरीद	0.97
		नंधावर्त ट्रेडर्ज	फर्नीचर की खरीद	0.45
		नंधावर्त ट्रेडर्ज	फर्नीचर की खरीद	0.21
		फाल्कोनेट आई.टी. सोल्यूशन, करनाल	आई.पी. कैमरा की खरीद	0.19
		फाल्कोनेट आई.टी. सोल्यूशन, करनाल	आई.टी. सामग्री की खरीद	1.73
		फाल्कोनेट आई.टी. समाधान, करनाल	सी.पी.यू. टच स्क्रीन सर्वर की खरीद	0.52
		एम.एस. शू एजेंसी, करनाल	जूते की खरीद	1.36
		दिल्ली सिल्क रिटेल स्टोर	वर्दी की खरीद	1.63
		शिवम ट्रेडर्स	सीमेंट की खरीद	1.05
		गैजेट एरिना, करनाल	ऑडियो सिस्टम का प्रावधान	2.45
2	नगर निगम, फरीदाबाद	श्रीराम कम्युनिकेशन	10 मोबाइल फोन की खरीद (कोटेशन पर)	0.98
		डावर इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स	41 मोबाइल फोन की खरीद (कोटेशन के बिना)	2.99
		योअर्स कम्यूनिकेशन्स	1 मोबाइल फोन की खरीद (कोटेशन के बिना)	0.20
		एमेजन.इन	1 मोबाइल फोन की खरीद (ऑनलाइन)	0.20
		क्रोमा रिटेल	1 लैपटॉप की खरीद (ऑनलाइन)	1.00
		विजय सेल्स	1 लैपटॉप और पेन ड्राइव की खरीद	0.49
		मैसर्ज गणपति एजेंसी	डेटॉल साबुन की खरीद	29.55
		जय फैब्रिकेटर्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स	10" सल्युस वैल्यू न्यू मेकिंग फिटिंग	1.17
		जय फैब्रिकेटर्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स	30 एच.पी. पंप सेट की मरम्मत	1.43
		जे.बी. एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	एस.बी.एम. के लिए आई.ई.सी. सामग्री	4.60
		प्योरटेक कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	डी एंड सी रजिस्टर	9.54

क्र. सं.	इकाई का नाम	आपूर्तिकर्ताओं/एजेंसी/ठेकेदार का नाम	मदों का विवरण	कुल राशि (₹ लाख में)
		प्योरटेक कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	लैपटॉप और डेस्कटॉप की खरीद	2.20
		प्योरटेक कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	लैपटॉप और डेस्कटॉप की खरीद	8.76
		एस.एम. प्रिंटर	कंप्यूटर और फर्नीचर की खरीद	4.58
		एस.एम. प्रिंटर	कंप्यूटर और फर्नीचर की खरीद	5.19
		सी.सी.आई. सिस्टम	कंप्यूटर और उपकरणों की खरीद	1.85
		एस.एम. प्रिंटर्ज	कंप्यूटर और फर्नीचर की खरीद	1.42
		हाईटेक ग्लास सॉल्यूशन फरीदाबाद	एल्यूमिनियम फॉल्स सीलिंग पी.वी.सी. पैनलिंग कार्य	1.77
3	नगरपालिका, झज्जर	मैसर्ज गर्ग ब्रदर्स	आयरन ग्रेटिंग	2.14
		मैसर्ज गीकेन सीटिंग कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड	कार्यालय फर्नीचर	2.11
		मैसर्ज मिगलानी इलेक्ट्रिकल	रोशनी का रखरखाव	3.12
4	नगरपालिका, हैली मंडी	जयवीर हनुमान नर्सरी पलवल	डब्ल्यू.एन. 1 और 7 में भाग में बागवानी कार्य	5.25
		गोरधन दास इलेक्ट्रिक कांट्रेक्टर झज्जर	859 स्ट्रीट लाइट और एक्सेसरीज की खरीद	3.61
		न्यू भारत इंजी. प्राइवेट लिमिटेड	ट्राई साइकिल रिक्शा की खरीद	1.54
		पारस मशीनरी स्टोर, रेवाड़ी	पंप सेट की खरीद	1.06
5	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय पंचकुला	दिव्या कलेक्शन करनाल	टी-शर्ट, कैप, लोवर आदि की खरीद।	1.43
		विजन फुटकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जूते और मोजे की खरीद	1.03
6	नगरपालिका, पेहोवा	मैसर्ज माजरा एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट कैथल	ग्रिल और पिलर	1.72
		मैसर्ज माजरा एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट कैथल	ग्रिल और पिलर	1.69
		मैसर्ज गणेश बिल्डिंग मैटिरियल पेहोवा	आई.पी.बी. 60 मि.मी. की खरीद	2.11
		मैसर्ज भगवती उद्योग कुरुक्षेत्र	कूड़ेदान की खरीद	3.97
7	नगर निगम, रोहतक	आई.सी.ए.इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	जूते की खरीद	1.51
		मैसर्ज चिनार फैब्रिक्स	वर्दी की खरीद	6.42
8	नगरपालिका, चीका	मैसर्ज तरसेम ब्रदर्स, चीका	5 फीट एवं 3 फीट के खंभों की खरीद	1.01
		मैसर्ज अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, चीका	बिजली के सामान की आपूर्ति	4.78
		भसीन एजेंसी, पटियाला	कुर्सियों की खरीद	1.11
9	नगर परिषद, नरवाना	यामीन, छाता	बंदर पकड़ना	3.20

क्र. सं.	इकाई का नाम	आपूर्तिकर्ताओं/एजेंसी/ठेकेदार का नाम	मदों का विवरण	कुल राशि (₹ लाख में)
10	नगर निगम, पानीपत	अनुराधा टेलर्स एंड क्लॉथ हाउस	सफाई कर्मचारियों के लिए यूनीफॉर्म और जूतों की खरीद	5.45
11	नगर परिषद, पलवल	न्यू भारत इंजी. (एसडब्ल्यूएम) प्राइवेट लिमिटेड कुरुक्षेत्र	कंक्रीट पार्क बेंच	2.83
		श्री शिवम इंटरप्राइजेज, कुरुक्षेत्र	शेड के साथ चेयर मिनी हाउस	1.25
		श्री शिवम इंटरप्राइजेज, कुरुक्षेत्र	डी.एम.सी. 3 से.मी. क्षमता	8.71
		श्री शिवम इंटरप्राइजेज, कुरुक्षेत्र	डी.एम.सी. 3 से.मी. क्षमता	4.36
		श्री शिवम इंटरप्राइजेज, कुरुक्षेत्र	स्टैंड के साथ डी.एम.सी. 900x900x900	3.98
				2.99
12	नगर परिषद, नारनौल	श्री नटराज ट्रेडर्स	ए.सी. की खरीद	2.26
		श्री नटराज ट्रेडर्स	कुर्सियों की खरीद	0.63
13	नगर निगम, अंबाला	वेट-वेल ग्रुप	ई-वेट ब्रिज की मरम्मत	1.25
		गैजेट एरिया	म्यूजिक सिस्टम खरीद	13.02
		भारत प्रकाशन	पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद	3.67
14	नगर निगम, सोनीपत	न्यू सम्राट फर्नीचर	फर्नीचर की खरीद	0.77
		बजरंग आजाद सॉ मिल्स	फर्नीचर की खरीद	0.48
		बजरंग आजाद सॉ मिल्स	फर्नीचर की खरीद	0.47
15	नगर निगम, हिसार	मैसर्ज कुमार ऑटोमोबाइल	टायर और ट्यूब की खरीद	0.74
		मैसर्ज कुमार ऑटोमोबाइल	टायर और ट्यूब की खरीद	0.95
		मैसर्ज जैन आयरन स्टोर	सरिया की खरीद	2.20
		मैसर्ज शांति ब्रिक्स कंपनी	ईंटों की खरीद	1.47
		मैसर्ज अल्फा इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड	ए.सी., स्टेबलाइजर आदि की खरीद	4.26
		मैसर्ज जैन फर्नीचर हाउस	फर्नीचर की खरीद	4.56
16	नगर परिषद, बहादुरगढ़	अरिहंत इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, लिमिटेड	खेलकूद के सामान, योग जिम के सामान	15.03
		अरिहंत इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, लिमिटेड	खेलकूद के सामान, योग जिम के सामान	15.02
17	नगर परिषद, टोहाना	सर्वेक्षण एवं वैज्ञानिक प्रयोगशाला	समतल उपकरणों की खरीद	1.95
		कम्बोज टाइल इंडस्ट्रीज	टाइल्स की खरीद	3.45
		मैसर्ज दीपक कुमार सैनी	निर्माण सामग्री	1.23
कुल				**244.07**

अर्थात् ₹ 2.44 करोड़

परिशिष्ट-XXII

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.11; पृष्ठ 90)

स्वचालित गणक मशीनों के डिश-एंटीना पर इंस्टालेशन और प्रक्रिया फीस की अवसूली के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	नगरपालिकाओं का नाम	अवधि	ऑफ-साइट ए.टी.एम. की संख्या	वसूलनीय राशि		कुल
				प्रतिस्थापन फीस	प्रक्रिया फीस	
				(₹ लाख में)		
1	नगर परिषद, टोहाना	2015-18	11	0.55	0.11	0.66
2	नगर परिषद, गोहाना	2015-18	09	0.45	0.09	0.54
3	नगर निगम, अंबाला	2015-17	106	5.30	1.06	6.36
4	नगर परिषद, चरखी दादरी	2015-17	09	0.45	0.09	0.54
कुल			**135**	**6.75**	**1.35**	**8.10**

परिशिष्ट-XXIII

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.12; पृष्ठ 90)

मस्टर रोल पर अनियमितताएं दर्शाने वाले विवरण

क: एक ही मजदूर को दो कार्यों (i) जवाहर पार्क वार्ड नंबर 24 और (ii) पुराने फायर ब्रिज की मरम्मत) पर एक ही तारीख को भुगतान की गई मजदूरी का विवरण

क्र. सं.	मजदूरों का नाम	अवधि	दिनों की संख्या	दर प्रतिदिन (₹ में)	कुल (₹ में)
1	सत्यवान	22, 23 और 27 फरवरी 2017	3	480	1,440
2	संदीप	22,25 और 28 फरवरी 2017	3	480	1,440
3	रामशरण	22,25,27 और 28 फरवरी 2017	4	480	1,920
4	मनीष	22, 23,25,27 और 28 फरवरी 2017	5	480	2,400
5	बेलदेव	22,23,24,27 और 28 फरवरी 2017	5	330	1,650
6	बल्कार	22,25 और 28 फरवरी 2017	3	330	990
7	प्रवीण	22, 24 और 28 फरवरी 2017	3	330	990
8	रिंकू	22,24,25, 27 और 28 फरवरी 2017	5	330	1,650
9	चंदर पाल	22,23,25 और 28 फरवरी 2017	4	330	1,320
10	बिन्नी	22,24,27 और 28 फरवरी 2017	4	330	1,320
11	सुलतान	22,23,25,27 और 28 फरवरी 2017	5	330	1,650
				कुल	**16,770**

ख: एक मस्टर रोल पर हस्ताक्षर करने वाले मजदूरों और दूसरे मस्टर रोल पर अंगूठे के निशान और इसके विपरीत दिखाने वाले विवरण

क्र. सं.	मजदूरों के नाम	03.03.2017 से 21.03.2017 की अवधि के लिए मस्टर रोल पर अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर	राशि (₹ में)	22.03.2017 से 27.03.2017 की अवधि के लिए मस्टर रोल पर अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर	राशि (₹ में)
1	अमित	हस्ताक्षर	4,550	अंगूठे का निशान	1,950
2	विकास	अंगूठे का निशान	4,875	हस्ताक्षर	1,950
3	अशोक	हस्ताक्षर	4,550	अंगूठे का निशान	1,950
4	सुमित	अंगूठे का निशान	3,458	हस्ताक्षर	1,950
5	राकेश	हस्ताक्षर	3,458	अंगूठे का निशान	1,950
6	अजय	अंगूठे का निशान	3,705	हस्ताक्षर	1,950
7	आनंद	अंगूठे का निशान	3,458	हस्ताक्षर	1,950
8	महावीर	हस्ताक्षर	3,458	अंगूठे का निशान	1,482
9	जयवीर	अंगूठे का निशान	3,458	हस्ताक्षर	1,482
10	प्रमोद	हस्ताक्षर	3,458	अंगूठे का निशान	1,482
11	रामफल	अंगूठे का निशान	3,458	हस्ताक्षर	1,482
12	सुरेश	हस्ताक्षर	3,458	अंगूठे का निशान	1,482
		कुल	**45,344**		**21,060**

ग: मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के बिना मस्टर रोल का विवरण

यूनिट का नाम	कार्य	अवधि	मजदूरों की संख्या	राशि (₹ में)
नगर परिषद, टोहाना	राम धर्मशाला का निर्माण	उपलब्ध नहीं	11	1,13,976
	राम धर्मशाला का निर्माण	उपलब्ध नहीं	11	79,002
नगर परिषद, कैथल	जखोली अड्डा में महिलाओं/पुरुषों के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	08 अगस्त 2017 से 15 अगस्त 2017	8	21,838
	भगीरथ चौक के पास सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक का निर्माण	08 अगस्त 2017 से 16 अगस्त 2017	8	23,869
	पुराने फायर ब्रिज की मरम्मत	22 फरवरी 2018 से 22 मार्च 3.2018	22	1,83,270
नगर निगम, अंबाला	**लागू नहीं**	10 जून 2015 से 14 जून 2015	9	14,408
	धर्मशाला में कमरों और शेड का निर्माण	02 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2015	16	38,825
	धर्मशाला में कमरों और शेड का निर्माण	02 मार्च 2015 से 10 मार्च 2015	10	22,750
	कांसी भवन के सामने गली का निर्माण	23 मार्च 2015 से 26 मार्च 2015	9	11,279
	शमशान घाट में कमरे और शेड का निर्माण	05 अप्रैल 2015 से 07 अप्रैल 2015	12	13,003
नगर परिषद, नरवाना	डब्ल्यू.एन. 16 में एल.आई.सी. रोड पर सामुदायिक केंद्र की चारदीवारी का निर्माण	03 मार्च 14 से 16 मार्च 14	5	19,140
	मॉल गोदाम रोड में शौचालय का निर्माण	03 जून 15 से 09 जून 15	3	8,790
	डब्ल्यू. एन. 3 में गंगा प्लंबर के घर से जयबीर तक नाली के साथ सड़क का निर्माण	07 सितंबर 14 से 10 सितंबर 14	7	8,540
	आई.पी.बी. पुराने निर्माण तालाब से डी.एस.पी. हाउस डब्ल्यू.एन. 3 गली का निर्माण	10 जनवरी 16 से 25 जनवरी 16	11	57,886
	डब्ल्यू.एन. 3 में गंगा प्लंबर के घर से जयबीर तक नाली के साथ सड़क का निर्माण	02 अप्रैल 14 से 29 अप्रैल 14	10	39,786
नगरपालिका, झज्जर	जाल और गली की मरम्मत	19 सितंबर 17 से 25 सितंबर 17	7	16,795
	रविदास धर्मशाला का निर्माण	13 जून 16 से 17 जून 16	8	13,660
	श्री राम धर्मशाला का निर्माण	01 अगस्त 16 से 04 अगस्त 16	7	9,192
कुल			**174**	**6,96,009**

परिशिष्ट-XXIV

(संदर्भः अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 93)

एकत्रित प्राप्तियों और कैशियर के पास वास्तविक जमा को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	दिनांक	जी-8 में आवेष्टित रसीदों की संख्या	एकत्रित राशि	रोकड़िया के पास जमा करवाई गई राशि	अंतर
1	15 फरवरी 2017	6131, 6133 से 6137	1,85,110	1,84,412	698
2	17 फरवरी 2017	6137 से 6140, 6142	2,98,375	2,57,706	40,669
	17 फरवरी 2017	6142 से 6147, 6149	2,62,371	2,61,417	954
3	20 फरवरी 2017	6149, 6150, 6151, 6153, 6154, 6155	4,04,208	4,03,090	1,118
	20 फरवरी 2017	6155 से 6160	3,60,105	3,59,944	161
4	22 फरवरी 2017	6170 से 6179	7,31,465	7,31,386	79
5	23 फरवरी 2017	6179 से 6187, 6189, 6190, 6191	16,88,152	16,83,735	4,417
6	27 फरवरी 2017	6192 से 6199	16,33,400	16,32,936	464
	27 फरवरी 2017	6200 से 6205, 6207 से 6216, 6218 से 6219	11,98,608	11,96,954	1,654
	27 फरवरी 2017	6219 से 6232	12,42,192	12,41,562	630
	27 फरवरी 2017	6239 से 6257	23,82,415	23,81,222	1,193
7	02 मार्च 2017	6262 से 6278	4,05,636	3,99,796	5,840
8	29 जनवरी 2018	6942 से 6945	1,40,805	1,40,560	245
कुल			**1,09,32,842**	**1,08,74,720**	**58,122**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

www.cag.gov.in/ag/haryana/hi